खण्ड–485, अंक–3
शुक्रवार, 01 चैत्र, शक संवत् 1934
(22 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 485 में 3 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
जिलाधिकारी, लखीमपुर द्वारा सत्र के दौरान आहूत की गयी बैठक को स्थगित करने की मांग	7
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	7-11
मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट के अधीन कार्यरत वार्ड ब्वाय के विगत 08 माह से रुके हुए वेतन को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11
लखनऊ आवास विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी ब्लाक ''ए'' के पार्क में हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11-12
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद हाथरस (महामायानगर) के सासनी में तैनात नायब तहसीलदार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12-13
भारत सरकार की आई0ए0पी0 योजनान्तर्गत जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में चिन्हित कार्यों को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अकारण लम्बित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र रामपुर अन्तर्गत आने वाली 03 न्याय पंचायतों को तहसील लालगंज में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13-14
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	14
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय ग्रामों में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	14-15
जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम अमलीकौर एवं माचा में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	15
कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र के यशोदानगर, गोपालनगर आदि क्षेत्रों में नाले-नालियों तथा मुख्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में हास्पिटल प्रबन्धकों/प्रशासकों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	16
जनपद शाहजहांपुर स्थित खन्नौत नदी पर विसरात घाट के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	16
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में तहसील मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	17
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	17
जनपद महाराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	17-18
जनपद शामली के गांव हिरणवाड़ा-चंदेना की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	18
जनपद बहराइच में पुलिस द्वारा होली के पर्व पर गाने बजाने पर लगाई गई पाबन्दी को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	18
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	19
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के कस्बा बेलरांया में नया विद्युत कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	19
जनपद इलाहाबाद के थाना जार्ज टाउन में श्री विनोद कुमार के गायब होने सम्बन्धी दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-40/09 पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19-20
अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन हेतु तिथि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद बस्ती के आंवला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धन्नावली गौटिया, मजरा मृतलकपुर के पास से बहने वाली नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद मेरठ में चुर्रा जुर्रानपुर रेलवे फाटक पर हो रहे ओवर ब्रिज का निर्माण त्वरित गति से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में चार विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास अन्तर्गत पोखर से पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21-22
जनपद लखनऊ के शुतुर खाना, मकबूलपुर में नई सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय सड़कों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में राज चौराहे के पास मुलतानीमल मोदी पार्क में श्री केदार नाथ मोदी की प्रतिमा को न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22-23
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सरोथर कठौतिया के मदरसा अरबिया स्कूल से मस्जिद तक आर0सी0सी0 डलवाने व इंटरलाकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद बाराबंकी में लखनऊ से सटे हुए ग्रामवासियों की जमीनों को भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23-24
जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर अन्तर्गत पटेल नगर के भू-खण्डों से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	24-25
वित्त वेतन आयोग-2 के शासनादेश दिनांक 08-09-10 के अनुपालन में लोक निर्माण-8 द्वारा नियम विरुद्ध उच्च पदों पर अनियमित रूप से विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25
कानपुर विकास प्राधिकरण के भू-खण्ड संख्या-जी/531/1 गुजैनी, एल0आई0जी0 के अध्यासी को दूसरा भू-खण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25-26
बाल भारती विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, इलाहाबाद में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	26
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्रामों में नाले एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	26-27

विषय	पृष्ठ-संख्या
पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा माननीय सदस्यों का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	27
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	27
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां अन्तर्गत ग्राम तेजीपुर में अपात्र व्यक्तियों को एस0डी0एम0 द्वारा अवैध रूप से जमीनों का पट्टा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	27-28
जनपद झांसी में पारीक्षा तापीय विद्युत परियोजना के 22 कर्मचारियों जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई थी, के मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	28
जनपद लखनऊ की पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	28-29
जनपद आगरा के विकास खण्ड जगनेर में गुगॉवद बांध एवं रिछोहा बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	29
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	29
जनपद सहारनपुर के कलसिया-फतेहपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के कार्य हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	29-30
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में तमजापुर डींग के मध्य कैमुआ नाला पर छोटा पुल की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट के निवारण हेतु हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30-31
जनपद गाजियाबाद के केला भट्टा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31
कानपुर नगर की अर्रा रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद सन्तकबीर नगर में नगर पंचायत हरिहरपुर से लखनऊ, बस्ती तथा गोरखपुर के लिये संचालित उ0 प्र0 परिवहन निगम की बस सेवा को पुनः शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	31-32
जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोहरौना में फायर स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की ग्राम सभा नरनी से सिलहटा के बीच 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन पूर्णतया जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नैनी अन्तर्गत काजीपुर कोतवाली के पीछे सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	32-33
जनपद लखनऊ के सुभानी खेड़ा, तेलीबाग में सन्तोषी माता मन्दिर के पास किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद बहराइच के मोहल्ला बड़ीहाट में टीन के बक्से बनाने के कारखाने से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र शिवपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	34
प्रदेश के महाविद्यालयों एवं इण्टर कालेजों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद के सहकारिता विभाग के गोदामों में हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद संतकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल स्थित आमी नदी गोनहाघाट पर अपरोच का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विजेथुआ राजापुर में हनुमान मंदिर की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35-36
ए0आर0एम0 अकबरपुर द्वारा विभाग में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर अन्तर्गत सिकन्दरपुर-बलिया मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	36-37
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड एवं नगरा के विद्युत तारों के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
समला देवी इण्टर कालेज, रूधौली, जनपद जौनपुर का निर्माण कार्य गलत तरीके से कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	37-38
प्रदेश में तैनात शैडो व गनर को बढ़े हुए भत्ते का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	38

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के होम्योपैथिक कालेजों में शैक्षणिक अनुभव की जांच में किये जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38-39
जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत फल मण्डी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में केन्द्रीय सड़क निधि अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के ब्लाक स्थित नाले की गहराई कराये जाने एवं उसकी पटरी का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच में कार्यरत वार्ड आया के वेतन से नियम विरुद्ध हो रही रिकवरी को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
कृषि विभाग में कार्यरत बी0टी0एम0/एस0एम0एस0 के रुके हुए मानदेय का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज में कार्यरत लेखपाल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में की जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों के बकाया 10 वर्षों के एरियर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41-42
जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव की सड़कों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद मऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समस्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
जिला गोरखपुर के अन्तर्गत मछली मण्डी में व्यापारियों को दुकान आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत बंधे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	44-45
जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा में ऐरा चीनी मिल के श्रमिकों को मानकों के अनुरूप वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गोला तहसील की न्याय पंचायत को उरूवा ब्लाक में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	45-46

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद के निर्वाचन क्षेत्र लोनी में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग से गढ़ी सबलू तक के जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्ग को सी0सी0 मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद की जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के कतिपय विकास खण्डों के जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	46-47
जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय ब्लाकों में पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र के रमना ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ में तैनात कर्मचारियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में ए0पी0 तटबन्ध के रुके हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	48-49
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान गंगा नदी के तट पर बसार बांध के मरम्मत कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में थर्मल पावर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद संत रविदास नगर के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
उ0 प्र0 परिवहन निगम द्वारा मिर्जापुर से सोनभद्र हेतु रात्रिसेवा की बसों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51-52
जनपद शामली के विभिन्न मार्गों में परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	52
कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में की गई भारी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में तालाबों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
आगरा कैण्ट के सोहल्ला क्षेत्रान्तर्गत टूटी हुई नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद लखीमपुर खीरी की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	54

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखीमपुर खीरी में गोला से अलीगंज तक के सड़क की जीर्ण-शीर्ण हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कस्बा कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
प्रदेश में 'पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां' योजना में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	55
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित कौथला झील व कल्याणपुर झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा खरगीपुर में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	56
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	56-57
जनपद पीलीभीत के गांव दियोरियाकला में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त स्थान पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
नियम-51 की समस्त सूचनाओं को स्वीकार किये जाने का अनुरोध ...	57-58
कार्य-सूची की मद संख्या-1 से 5 तक के स्थगन की सूचना	58
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	58
जनपद आगरा के बड़ा उखर्रा कलुवा लम्बरदार के धर्मशाला से शहीद मोहन सिंह की मूर्ति तक लगभग 200 मीटर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सोनू बघेल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	58
जनपद आगरा शहर ताजमहल के निकट सेवाला सरांय में 100 मीटर सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जय किशोर आनन्द आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	59
जनपद आगरा के बिजलीघर के पास स्थित रविदास नगर में लगभग 100 परिवारों की उजाड़ी गयी झुग्गी-झोपड़ी के गरीब असहाय परिवारों को सरकारी योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जुगनू पिप्पल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	59

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा शहर ताजमहल के निकट जगनेर रोड से नगला ऊदा, नगला प्यारे होते हुए सोहल्ला तक सड़क व नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमपाल कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	59
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान व विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव रफियाबाद कलान, लक्ष्मणपुर व कबरा पश्चिमी में रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जीतेन्द्र शाक्य व श्री राम कुमार राठौर निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	59
जनपद वाराणसी में तारकेश्वर मन्दिर एवं उसकी भूमि का बैनामा कराने हेतु मन्दिर निधि से अनावश्यक रूप से निकाले गये 28 लाख रुपये को काशी विश्वनाथ मन्दिर की निधि में वापस कराये जाने विषयक श्री शतरुद्र प्रकाश निवासी जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	59-60
उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए कतिपय विधेयकों को पुरःस्थापन, विचार एवं पारण हेतु आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	60
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	60-61
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	61
कार्य-सूची की शेष मदों को बाद में लिए जाने का निर्णय	61
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान-84 सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (जारी)	61-74
सदन का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	74
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	74-80
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित एवं पारित)	80-88
जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत टाण्डा में विश्व हिन्दू परिषद् के वरिष्ठ नेता श्री रामबाबू गुप्ता की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	88-89
जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा के ग्राम चमरूपुर पठान के रहने वाले मुश्ताक और रईस के ऊपर प्राणघातक हमले में मुश्ताक की हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	89-90

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कोतवाली बांसी के मोहल्ला शास्त्रीनगर में गोविन्द यादव की लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वालों को पकड़े जाने के बावजूद उल्टा पीड़ितों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह व अन्य आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	90-92
जनपद गोरखपुर के गगहा चौराहा थाना गगहा में श्री दुर्गासा गुप्ता एवं श्री बाबू लाल गुप्ता की हुई मृत्यु एवं घायलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	92-94
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	94-95
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)...	95-96
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	97-98
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरःस्थापित एवं पारित...	99-102
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों यथा-कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़ियां, मांझी तथा मछुआ जाति को अनुसूचित जाति की सभी सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प (स्वीकृत)	102-103
प्रदेश के महानगरों की नगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 के प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)...	103-104
मुख्य मंत्री द्वारा पूर्व विधायकों की पेंशन आदि के बढ़ोत्तरी, सदस्यों के दैनिक भत्ते आदि में बढ़ोत्तरी, प्रत्येक विधायक को 100 हैण्डपम्प दिये जाने तथा विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के मानदेय आदि की घोषणा... ...	104-105
प्रदेश में महानगरों की नगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनंसख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 के प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	105
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिए पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू किये जाने सम्बन्धी श्री सूरजपाल सिंह द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2013 के प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)	105

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा की पेयजल समस्या हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पंचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़े जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2013 के प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)	105
शासन की ''हमारी बेटी, उसका कल'' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 3000/-धनराशि प्रदान किये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 के प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	105-106
जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)	106
जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)	106
जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)	106
काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने सम्बन्धी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)	106
शहरी क्षेत्र में रहने वाले अल्प आय वर्ग के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु 500 हैण्डपम्पों का अधिष्ठान किये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत)	106
प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में 2000 करोड़ के ठेके में कुख्यात माफिया कम्पनी द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	107
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवन जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुं0 कौशल सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की जारी चर्चा का स्थगन ...	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	107-114
जनपद गाजियाबाद में मानकों की अनदेखी कर संतोष यूनिवर्सिटी तथा संतोष मेडिकल एवं डेन्टल कालेज को चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	114-115
जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम सेवई में गाटा संख्या-786 व 796 को बंजर भूमि घोषित किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	115-116
इलाहाबाद प्रशासन द्वारा सराय ऐक्ट 1887 के अनुसार गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य ...	116-117
जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपुर व प्राथमिक विद्यालय भुवर निरंजनपुर तथा प्राथमिक विद्यालय सोनारी में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	117-119
आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनेक महाविद्यालयों की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी अस्थाई सम्बद्धता न किये जाने के सम्बन्ध में श्री तस्लीम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	119-121
जनपद आगरा के थाना सैंया के तेहरा क्षेत्रान्तर्गत श्रेयस ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े की गयी डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	122-122
प्रदेश में टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में नियुक्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	122-123
मऊ स्थित भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अल्लूपार केरमा को नियम विरुद्ध परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	123-124
लखनऊ के ब्लाक बक्शी का तालाब स्थित किसान सहकारी समिति, महिगवां द्वारा सरकारी अनाज की खरीद में घटतौली एवं अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत टी0टी0एस0पी0 टंकियों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	125
विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गम्भीर पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	125-126
जनपद कौशाम्बी के शुक्ला देवी बालिका विद्यालय जू0 हाई स्कूल, दारानगर के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	126
मुख्य मंत्री द्वारा विधान मण्डल रक्षकों के पौष्टिक भत्ते आदि में बढ़ोत्तरी की घोषणा	126-127
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन	127-151
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	152
राष्ट्र-गान	152

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-341

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी' श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
43. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
46. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
47. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
50. उदयराज, श्री — उन्नाव
51. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
53. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन

54. उमाशंकर, श्री बलिया
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओम कुमार, श्री बिजनौर
57. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
58. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
61. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
62. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
63. काली चरन सुमन, श्री आगरा
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
66. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. कैलाश, श्री गाजीपुर
69. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
70. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
71. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
72. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
73. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
74. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
75. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
76. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
77. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
78. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
79. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
84. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
85. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
86. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
88. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
89. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
90. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
91. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
92. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
93. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
94. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
95. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
96. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
98. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
99. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
100. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
101. तसलीम, श्री बिजनौर
102. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
103. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
104. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
105. दलजीत सिंह, श्री बांदा
106. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
107. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
108. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
109. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
113. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
114. धर्मराज, श्री बाराबंकी
115. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
116. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
117. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
118. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
119. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
120. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर

121. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
122. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
123. नारद राय, श्री बलिया
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
126. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
127. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
128. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
129. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
130. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
131. पीतमराम, श्री पीलीभीत
132. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
133. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
134. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
136. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
137. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
138. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
139. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
140. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
144. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
145. बदलू खां, श्री उन्नाव
146. बाबू खां, श्री हरदोई
147. बाबूलाल, श्री गोण्डा
148. बावन सिंह, श्री गोण्डा
149. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
150. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
151. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
152. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
153. बैजनाथ, श्री मऊ
154. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
155. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
156. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
157. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
158. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
159. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
160. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
161. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
162. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
163. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
164. मनबोध, श्री देवरिया
165. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
166. मनीष रावत, श्री सीतापुर
167. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
171. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
172. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
173. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
174. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
175. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
176. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
177. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
178. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
179. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
180. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
181. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
182. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
183. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
184. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
185. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
186. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
187. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
188. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर

189. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
190. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
191. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
192. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
195. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
196. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
197. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
198. योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'', श्री गोण्डा
199. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
200. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
201. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
202. रणजीत सुमन, श्री एटा
203. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
204. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
205. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
206. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
207. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
208. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
209. रवि शर्मा, श्री झांसी
210. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
211. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
212. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
213. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
214. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
215. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
216. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
217. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
218. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
219. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
220. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
221. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
222. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
223. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
224. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
225. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
226. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
227. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
228. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
229. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
230. राम करन आर्य, श्री बस्ती
231. राम खिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
232. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
233. राम गोविन्द, श्री बलिया
234. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
235. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
236. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
237. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
238. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
239. राम मगन, श्री बाराबंकी
240. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
241. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
243. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
244. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
245. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
246. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
247. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
248. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
249. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
250. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत

251. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
252. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
253. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
254. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
255. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
256. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
257. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
258. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
259. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
260. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
261. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
262. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
263. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
264. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
265. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
266. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
267. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
268. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
269. विजय सिंह, श्री रामपुर
270. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
271. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
272. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
273. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
274. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
275. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
276. वीरपाल राठी, श्री बागपत
277. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
278. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
279. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
280. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
281. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
282. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
283. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
284. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
285. शाकिर अली, श्री देवरिया
286. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
287. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
288. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
289. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
290. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
291. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
292. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
293. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
294. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
295. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
296. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
297. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
298. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
299. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
300. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
301. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
302. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
303. संजय कपूर, श्री रामपुर
304. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
305. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
306. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
307. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
308. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
309. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
310. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
311. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
312. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
313. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन

314.	सन्तोष पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	
315.	सावित्री बाई फूले, सुश्री	बहराइच	
316.	सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री	बदायूं	
317.	सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर	
318.	सियाराम सागर, डा0	बरेली	
319.	सीमा, श्रीमती	जौनपुर	
320.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	
321.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	
322.	सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज	
323.	सुदेश शर्मा, श्री	गाजियाबाद	
324.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	
325.	सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र	
326.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	
327.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर	
328.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	
329.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
330.	सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर	
331.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
332.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	
333.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	
334.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
335.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
336.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
337.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
338.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
339.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर	
340.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	
341.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] जिलाधिकारी, लखीमपुर द्वारा सत्र के दौरान आहूत की गयी बैठक को स्थगित करने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, 301 वगैरा ले लें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, हमारे जनपद लखीमपुर में कलेक्टर द्वारा एक बैठक आयोजित की गयी है जिसमें सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, निर्धन व असहाय जो हैं, उनकी बेटियों की, पुत्रियों की शादी के लिए और गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए 2012-13 आर्थिक सहायता योजना की नीति निर्धारित करने की बैठक है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मैं तो सदन में हूं कल भी यही बात उठी थी तो इसको देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय सदस्य यहां बैठक में हैं उनके यहां लखीमपुर खीरी में कलेक्टर ने बैठक रखी है, तो उसे स्थगित करा दें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, अभी स्थगित करा देते हैं।

[11.02 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी अभी आपने 301 पुकारा तो मान्यवर, 301 और 51 पुकारा नहीं जाता, 301 और 51 की स्वीकृति की घोषणा आपकी पीठ से होती है।

श्री अध्यक्ष-

मैं नाम पढ़कर कर दूं, क्या फर्क पड़ता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

छोड़िये, जाने दें।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-3-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 105 सूचनायें प्राप्त हुईं और समस्त माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

1-श्री सन्त प्रसाद,

2-श्री रघुराज प्रताप सिंह,

3-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

4-श्री गेंदालाल चौधरी,

5-श्री ललितेशपति त्रिपाठी,

6-श्री प्रमोद तिवारी,

7-श्री संजय कपूर,

8-श्री प्रदीप चौधरी,

9-श्री दलजीत सिंह,

10-श्री सतीश महाना,

11-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

13-श्री रामचन्द्र यादव,

14-श्री जय प्रताप सिंह,

15-श्री बजरंग बहादुर सिंह,

16-श्री सुरेश राणा,

17-साध्वी सावित्री बाई फूले,

18-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,

19-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

20-श्री केशव प्रसाद मौर्य,

21-श्रीमती कृष्णा पासवान,

22-श्री धर्मपाल सिंह,

23-श्री रविन्द्र भड़ाना,

24-ठा0 दलवीर सिंह,

25-श्री पूरन प्रकाश,

26-श्री त्रिलोकी राम,

27-श्री तेजपाल सिंह,

28-श्री भगवती प्रसाद,

29-श्री सुदेश शर्मा,

30-श्री अनीसुर्रहमान,

31-श्री मो0 आसिफ जाफरी,

32-श्री प्रदीप माथुर,

33-श्री कमाल युसुफ मलिक,

34-श्री राम सिंह,

35-श्री मो0 मुस्लिम,

36-श्री सन्तराम कुशवाहा,

37-श्री राजबली जैसल,

38-श्री नीरज कुशवाहा 'मौर्य',

39-श्री तसलीम,

40-श्री ब्रजेश कुमार,

41-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

42-श्री रविदास मेहरोत्रा,

43-श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

44-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

45-श्री महावीर सिंह राणा,

46-श्री रोशन लाल वर्मा,

47-श्री राकेश बाबू,

48-श्री सुरेश बंसल,

49-श्री राधेश्याम,

50-श्री इन्द्रजीत सरोज,

51-श्री विजय कुमार दुबे,

52-श्री उमाशंकर,

53-हाजी परवेज अहमद टंकी,

54-श्री कुलदीप सिंह सेंगर,

55-श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट',

56-श्री उदय लाल मौर्य,

57-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

58-श्री बाबू खां,

59-श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद,

60-श्री रामचन्द्र चौधरी,

61-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

62-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

63-श्री गोरख पासवान,

64-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई',

65-श्री राम मगन रावत,

66-श्री धर्मराज यादव,

67-श्री इन्दल कुमार,

68-श्री राम लाल अकेला,

69-श्री विजय कुमार पासवान,

70-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

71-श्रीमती सीमा द्विवेदी,

72-श्रीमती नजीबा खान जीनत,

73-श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर,

74-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,

75-श्री रामहेत भारती,

76-श्री उमेश पाण्डेय,

77-श्री जय प्रकाश निषाद,

78-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

79-श्री राजेन्द्र सिंह,

80-श्री शमशेर बहादुर,

81-श्री राजेश त्रिपाठी,

82-श्री जाकिर अली,

83-श्री मदन गोपाल वर्मा,

84-श्री मोहम्मद आसिफ,

85-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,

86-श्रीमती अनुप्रिया पटेल,

87-श्री राधेश्याम जायसवाल,

88-श्री अजय कुमार 'लल्लू',

89-श्री राजेश यादव,

90-श्री जय प्रकाश अंचल,

91-डा0 विजय कुमार,

92-श्रीमती रूबी प्रसाद,

93-श्री पंकज कुमार मलिक,

94-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,

95-श्री मो0 अलीम खां,

96-श्री गुटियारी लाल दुवेश,

97-श्री सुनील कुमार लाला,

98-श्री विनय तिवारी,

99-श्री पूर्णमासी देहती,

100-श्री शारदा प्रताप शुक्ला,

101-श्री मदन चौहान,

102-श्री इन्द्रपाल सिंह,

103-श्री विजय बहादुर यादव,

104-श्री रामवीर उपाध्याय तथा

105-श्री अगयश राम सरन वर्मा।

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचानाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट के अधीन कार्यरत वार्डब्वाय के विगत 08 माह से रुके हुए वेतन को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मियों का पिछले एक वर्ष से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट के अधीन तैनात वार्डब्वाय श्री पवन कुमार कुशवाहा का विगत 01 वर्ष में एक बार से अधिक बार स्थानांतरण हो चुका है तथा पिछले 08 माह से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिससे न केवल उनकी कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है वरन् उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। यह एक उदाहरण मात्र है इस प्रकार के कई प्रकरण विभाग में लम्बित पड़े है जिनका निराकरण विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए श्री पवन कुमार कुशवाहा समेत जितने भी प्रकरण विभाग में लम्बित पड़े हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण किये जाने एवं समय से वेतन का भुगतान किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ आवास विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी ब्लाक 'ए' के पार्क में हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

लखनऊ के आवास विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी के ब्लाक ए के मकान नं0-ए 1103/4 से 1103/17 के सामने स्थित पार्क पर अवैध कब्जे तथा बसें खड़ी की जा रही हैं तथा वहां पर गलियों व नालियों की सफाई न होने से गन्दगी बढ़ती जा रही है जिससे गर्मी में भयंकर बीमारी का खतरा पैदा हो सकता है तथा वहां स्थित सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। इसका निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को नियम-301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी अनुकम्पा चाहता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है जहां पर स्वास्थ्य की देखभाल एवं बीमारी की दशा में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की निर्भरता सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही होती है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत स्थापित प्रा0 स्वा0 केन्द्र भानपुर को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा तो मिल गया, परन्तु मानक के अनुरूप न तो कभी विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति हुई और न तो मरीजों को स्वास्थ्य सुविधायें ही बेहतर उपलब्ध हो पायीं। आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्र एक प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा एक संविदा डाक्टर के बल पर संचालित हो रहा है, जबकि मानक के अनुरूप जांच आदि के लिए समस्त उपकरणों के साथ-साथ 6 विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति सी0एच0सी0 पर होनी चाहिए। मुख्य भवन से लेकर डाक्टरों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय भवन आदि की सारी सुविधायें होने के बावजूद डाक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के रात्रि निवास न करने के कारण आवासीय भवन के खिड़की, दरवाजे तक गायब हो चुके हैं। आपेरशन थियेटर का आज तक ताला ही नहीं खुला। एक्स-रे मशीन तथा जांच के अन्य उपकरण न होने के कारण जांच आदि की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। जो उपकरण हैं भी वह भी जंग खा रहे हैं। सी0एच0सी0 का परिसर झाड़-झंखाड़ में तब्दील हो गया है। सफाई आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है। रोशनी की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रसव जैसा गंभीर कार्य मोमबत्ती की रोशनी में कराया जाता है। आपात स्थिति में गंभीर मरीजों को लेकर शहर के अस्पतालों की तरफ भागना ग्रामीणों की विवशता बन गयी है। जनहित को देखते हुए सी0एच0सी0 भानपुर में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति एक्स-रे आदि जांच की सुविधा तथा मेडिकल स्टाफ की अनिवार्यता किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस (महामायानगर) के सासनी में तैनात नायब तहसीलदार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदा लाल चौधरी-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के सासनी में तैनात नायब तहसीलदार श्री नरेन्द्र यादव द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है। जिससे न केवल किसानों एवं आम जनता में आक्रोश है वरन् असंतोष भी व्याप्त है। श्री यादव के निदेशानुसार पूरे कार्यालय परिसर में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छोटे-छोटे कार्यों के लिये भी पैसे की मांग की जाती जिसे दे पाने में असमर्थ पीड़ितों के कार्यों में कमियां निकालकर परेशान किया जाता है।

अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुये समुचित कार्यवाही किये जाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सदन की कार्यवाही रोक कर वक्तव्य देने की मांग करता हूं।]

भारत सरकार की आई0ए0पी0 योजनान्तर्गत जनपद मिर्जापुर के मड़ियान विधान सभा क्षेत्र में चिन्हित कार्यों को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अकारण लम्बित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेश पति त्रिपाठी-

[मान्यवर, भारत सरकार की आई0ए0पी0 2011-12 एवं 2012-13 योजना के अन्तर्गत मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में चिन्हित कार्यों में बेवजह कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विलम्ब किया जाता है जिससे उक्त योजना मे कार्य की गुणवत्ता तथा पूरे क्षेत्र में सुचारु रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। जिला स्तर पर इसका अनुश्रवण समय-समय पर न होने के कारण तथा प्रशासनिक लापरवाही के कारण भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। उक्त योजना के कार्यों को कराये जाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है। टेण्डर कार्य करीबियों को दिया जा रहा है जिससे कार्यों में व्यापक खामियां हैं। पारदर्शिता के अभाव कार्य अवरुद्ध पड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय तथा भविष्य में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता तथा समय-समय पर उनका अनुश्रवण किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाय, जिससे कि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की जो योजनाएं नक्सल प्रभावित एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु चल रही हैं, उनमें इन योजनाओं का लाभ मिल सके तथा यह क्षेत्र नक्सल समस्या से ऊबर सके। प्रदेश सरकार स्तर से इस सन्दर्भ में सम्बन्धित तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश दिया जाय जिससे कि मड़ियान विधान सभा क्षेत्र में आई0ए0पी0 योजना तथा केन्द्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र हेतु दिये गये विशेष पैकेज द्वारा मिलने वाली धनराशि का सदुपयोग हो सके तथा इस क्षेत्र के लोग भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र रामपुर अन्तर्गत आने वाली 03 न्याय पंचायतों को तहसील लालगंज में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ की तीन न्याय पंचायतें-**कस्बा लतीफपुर, संग्रामगढ़** एवं **अशोगी,** तहसील कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत पड़ती है। अतः इन तीनों न्याय पंचायतों का राजस्व सम्बन्धी कार्य तहसील कुण्डा से संपादित होता है जबकि इन तीनों ही न्याय पंचायतों का थाना संग्रामगढ़ है जो लालगंज सर्किल के अन्तर्गत आता है अर्थात् इन तीनों न्याय पंचायतों से सम्बन्धित लोगों को तहसील स्तर पर कार्यरत उप जिलाधिकारी से कार्य पड़ने पर उनको तहसील कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ जाना पड़ता है और **पुलिस**

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग से सम्बन्धित कार्य पड़ने पर पुलिस उपाधीक्षक, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के यहां जाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ **विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत की यह तीनों न्याय पंचायतें-कस्बा लतीफपुर, संग्रामगढ़ एवं अशोगी तहसील कुण्डा में पड़ती है जबकि विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ की शेष सभी न्याय पंचायतें तहसील लालगंज, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत पड़ती हैं मात्र उपरोक्त तीन न्याय पंचायतें ही तहसील कुण्डा में पड़ती हैं।** ऐसी परिस्थिति में जहां इनर न्याय पंचायतों का राजकीय कार्य एवं विकास कार्य प्रभावित होता है वहीं इन तीनों न्याय पंचायतों के अन्तर्गत रहने वाले लोगों को भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। **यहां की विषम भौगोलिक परिस्थिति, विकास, एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मा0 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने भी इनको कुण्डा तहसील से निकालकर तहसील लालगंज में सम्मिलित करने हेतु संस्तुत किया है।** न्याय पंचायत कस्बा लतीफपुर, न्याय पंचायत संग्रामगढ़ एवं न्याय पंचायत अशोगी के तहसील लालगंज में सम्मिलित न होने से लोगों को कार्य कराने में असुविधा हो रही है और उनमें चिन्ता तथा कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रारम्भ कराये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर **एम0ए0, एम0एस0सी0** एवं **एम0 कॉम0** की कक्षायें संचालित करने की मांग छात्र एवं छात्राओं द्वारा काफी लम्बे समय से चली आ रही हैं-मगर अभी तक इसका संचालन न होने से छात्र आन्दोलित हो रहे हैं तथा उनमें भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यहां पर स्नातकोत्तर शिक्षा न मिलने से छात्र व छात्राओं का भविष्य अंधकार में पड़ गया है तथा छात्र व छात्रायें स्नातकोत्तर की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उपरोक्त महाविद्यालय में **एम0ए0, एम0एस0सी0** एवं **एम0कॉम0** की कक्षाये संचालित किया जाना अति आवश्यक है जिससे शिक्षा की सुविधा मिल सके और छात्र तथा छात्रायें परास्नातक स्तर पर उपरोक्त विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय ग्रामों में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र गंगोह, जनपद-सहारनपुर के ग्राम गुडम्ब व रायचंदा के बीच नदी का पुल व बहलोलपुर ठोल्ला फतेहपुर मार्ग पर पुल निर्माण व गंगोह से बड़गांव होते हुए नूरखेड़ी मार्ग पर बड़गांव के पास पुल निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है।

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इन कार्यों को कराने का कष्ट करें।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम अमलीकौर एवं माचा में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बांदा जनपद के विकास खण्ड-तिन्दवारी के ग्राम-अमलीकौर तथा ग्राम-माचा को 2012-13 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास के अन्तर्गत चयनित किया गया था। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी दोनों गांवों के तमाम मजरे बिजली, सड़क व पेयजल तथा आवास जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे ही गांव के लोगों को जानकारी हुई की हमारे गांव डा0 लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कर लिये गये हैं तो लोगों में एक उम्मीद तथा खुशी की लहर जागी, लेकिन आज भी तमाम मजरे इन सुविधाओं से वंचित रखे गये हैं जिससे गांव के लोग बेहद दुःखी व निराश हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों गांवों के सभी मजरे को पूर्णतया विकसित कराकर सड़क, बिजली, पेयजल एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र के यशोदानगर, गोपालनगर आदि क्षेत्रों में नाले-नालियों तथा मुख्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय, कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा दक्षिण कानपुर का अविकसित क्षेत्र है। इसमें यशोदा नगर, गोपाल नगर, शंकराचार्य नगर, राजीव नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है। जिसमें अधिकांश सोसाइटी की जमीनें हैं। संविधान के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार है और सरकार को इसकी व्यवस्था करनी ही चाहिए। सोसाइटी क्षेत्र का विकास उनके लेआउट प्लान एवं विनियमितीकरण की चर्चा में फंस कर रह जाता है। कदाचित नगर निगम की इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जल निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्थायें एवं मुख्य मार्गों को बनाने का प्रबन्ध किया जाय। तो कुछ स्थानों पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उद्घाटित जल निकासी एवं मुख्य मार्ग बनाने का काम किया जा रहा है। परन्तु यह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। जब तक इन क्षेत्रों का नीतिगत निर्णय न हो जाये तब तक इनकी न्यूनतम आवश्यक जल निकासी एवं मुख्य मार्ग बनाने की प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए।

अतः मैं यशोदानगर, गोपालनगर, शंकराचार्य नगर और राजीव नगर क्षेत्र के आवश्यकतानुसार नाले एवं नालियों के साथ-साथ मुख्य मार्ग के निर्माण की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में हास्पिटल प्रबन्धकों/प्रशासकों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, विभिन्न चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों का कार्य अब बहुआयामी होता जा रहा है। चिकित्सा कार्यों के अतिरिक्त अब बहुतेरे ऐसे कार्य होते हैं, जिनके सफल संचालन के लिये सिर्फ चिकित्सीय ज्ञान से कार्य नहीं हो सकता है। चिकित्सालय तथा चिकित्सीय शिक्षण संस्थानों का प्रबन्धन अपने आपमें एक अलग विशेषज्ञता की अपेक्षा रखता है। प्रबन्धन संस्थानों में पूरे दूनिया में इसी दृष्टि से हास्पिटल प्रबन्धन/प्रशासन के कोर्सेज प्रारम्भ किये हैं और पूरे देश/उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग करके हम अपने चिकित्सीय संस्थानों के प्रबन्धन को बहुत बेहतर बना सकते हैं।

देश के बहुत से चिकित्सा संस्थान अपने-अपने प्रबन्धन में इन विशेषज्ञों का उपयोग करते हैं। समय की मांग है कि अब प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में भी इन विशेषज्ञों की सेवा का वैधानिक रूप से उपयोग किया जाये।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय को नियम-301 के तहत सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर स्थित खन्नौत नदी पर विसरात घाट के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर के अन्तर्गत आने वाले शाहजहांपुर नगर जो कि दो नदियों (1) गर्रा नदी (2) खन्नौत नदी के बीच बसे होने के कारण समुचित विकास नहीं हो पाया। आबादी बढ़ने तथा वाहनों के बढ़ने के साथ ही नगर में न तो मार्गों का विस्तार हुआ न ही मार्ग आवश्यकता के अनुरूप चौड़े हुए, जिस कारण शाहजहांपुर के मुख्य मार्गों पर हर समय जाम लगा रहता है जिससे आवागमन में हर समय बहुत कठिनाई होती है। शाहजहांपुर में रिंग रोड की मांग हुई, आगणन बना परन्तु अभी शासन द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। यह अभी मांग ही है, अभी इस पर कोई कार्य आगे नहीं हुआ। शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए जहां मार्गों का चौड़ीकरण आवश्यक है वहीं पर रेती रोड (हथौड़ा चौराहे से पुत्तूलाल चौराहा) से विसरात घाट जाने वाले मार्ग पर खन्नौत नदी के ऊपर यदि एक पुल का निर्माण हो जावे तो बहुत सा ट्रैफिक रेती रोड से विसरात घाट-हुसेनपुरा होते हुए अन्टा चौराहे पर जा सकता है जिससे शहर में आवागमन में सुविधा हो जावेगी तथा जाम में भी कमी आयेगी। जनहित ने उक्त खन्नौत नदी पर विसरात घाट के पास एक पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुल निर्माण की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में तहसील मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली तहसील में वर्ष 2011-12 से माह फरवरी, 2013 तक आग लगने से 565 मकान जले तथा दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई 4 गम्भीर रूप से घायल हुए। इन घटनाओं में करोड़ों रुपये की क्षति हुई। तहसील क्षेत्र के पिछड़े गांवों में जब तक आग बुझाने की मशीनें पहुंचती हैं तब तक पूरा गांव जलकर खाक हो जाता है। इस गम्भीर समस्या मुक्ति के लिये अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की मांग जनता द्वारा विगत एक दशक से की जा रही है। 16वीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के पहले सोमवार को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर में मा0 मुख्य मंत्री जी ने जबाव दिया है कि रूदौली तहसील में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की जायेगी। परन्तु अभी तक अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु किसी तरह की वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की गयी है और नहीं अग्निशमन केन्द्र के क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी है जिसके कारण क्षेत्रवासियों के सामने गम्भीर संकट है। प्रकरण रूदौली क्षेत्र की लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रूदौली तहसील मुख्यालय पर एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रताप सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में सड़कों की हालत अत्यन्त जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। प्रमुख रूप से (1) बेलोहा बाजार से मरोटिया बाजार से होते हुए ग्राम बेलउख तक, (2) ग्राम पगारे से ग्राम बत्सा तक, (3) ग्राम भुसौला से ग्राम मरोटिया बाजार तक, (4) ग्राम जनियां जोत से ग्राम कोड़री सहित कई अन्य सड़कें भी अत्यन्त जर्जर हो गयी हैं। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इसलिए मार्ग शीघ्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जनहित में इन मार्गों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गो का शीर्घ निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद महाराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज का कस्बा बृजमनगंज टाउन एरिया बनाये जाने की सभी शर्तें पूरी करता है और इसे टाउन बनाये जाने की काफी समय से मांग

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन ने सर्वे कराया और निरीक्षण कराकर नक्शा बनवाया। यह कस्बा 15 हजार से अधिक आबादी एवं जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भौगोलिक एवं जनसंख्या तथा क्षेत्रफल सभी दृष्टि से बृजमनगंज कस्बा टाउन एरिया का अर्हता रखता है विकास की दृष्टि से बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बृजमनगंज को टाउन एरिया न बनाये जाने से विकास के अभाव में क्षेत्र के निवासियों में असन्तोष है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद शामली के गांव हिरणवाड़ा-चंदेना की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन जनपद शामली के गांव हिरणवाड़ा-चन्देना की विद्युत तार लाइनें बहुत जर्जर हालत में हैं जिससे कई बार गांव में दुर्घटना हो चुकी है साथ ही गांव उस्मानपुर से मादलपुर तक गांव की विद्युत लाइन पिछले 35 वर्षों से बदली नहीं गयी है। हर समय दुर्घटना सिर पर रहती है। आये दिन इसके लिए किसान तथा उपभोक्ता धरना-प्रदर्शन एवं शिकायतें करते रहते हैं।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच में पुलिस द्वारा होली के पर्व पर गाने बजाने पर लगाई गई पाबन्दी को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

साध्वी सावित्री बाई फूले-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा जनपद बहराइच के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों व शहर बाजार में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर मनोरंजन में गाजा-बाजा के साथ होली मनाई जाती है किन्तु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यह प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि होली के पर्व पर कोई मनोरंजन गाजा-बाजा व डीजी बाजा के साथ होली का पर्व नहीं मनाया जायेगा। मान्यवर, ऐसी स्थिति में विशेष एक संप्रदाय का मनोबल दबाने का प्रयास किया जा रहा है इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा भी हो सकती है। होली के पर्व को फीका करने के लिए यह बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मान्यवर, होली के राष्ट्रीय पर्व पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये पुलिस द्वारा अनर्गल प्रचार-प्रसार जो किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोके जाने व होली के पर्व पर होने वाले मनोरंजन (गाजा-बाजा) पर पुलिस द्वारा कोई हस्तक्षेप न किये जायं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, विकास खण्ड सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर का गांव खानपुर भौगोलिक स्थिति से अति महत्वपूर्ण गांव है। यहां पर रेलवे हाल्ट तथा इण्टरमीडिएट कालेज है। इसके आसपास लगभग 15 गांव लगते हैं। इनमें से किसी भी गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है। इन गांवों में पशुओं की बीमारी की स्थिति में 8-10 कि0मी0 दूर स्थित पशु चिकित्सालय में जाना पड़ता है या किसी प्राइवेट चिकित्सक की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। प्राइवेट चिकित्सक से पशुओं का इलाज कराना न केवल आर्थिक दृष्टि से मंहगा पड़ता है अपितु उनकी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह रहता है। ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्र के किसानों को पशु चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण भारी संख्या में पशु दम तोड़ देते हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के कस्बा बेलरांया में नया विद्युत कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[महोदय, विधान सभा निघासन जिला खीरी के बेलरांया क्षेत्र में विद्युत विभाग का कार्यालय न होने की वजह से ग्राम-लालापुर, हरडाही, बदालपुर, मोतीपुर ऐसे लगभग 10 से अधिक गांवों के लोगों को बिजली का बिल जमा करने के लिये 10 कि0मी0 दूर तिकुनियां या सिंगाही जाना पड़ता है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को अनावश्यक समय के साथ अतिरिक्त धन भी व्यय करना पड़ता है तथा कई बार ग्रामीण समय से बिजली बिल न जमा करने के कारण विभाग द्वारा दी जा रही है छूट से वंचित हो जाते हैं तथा विद्युत विभाग की राजस्व वसूली भी समय से नहीं हो पाती, समाधान हेतु कस्बा बेलरांया में विद्युत विभाग कार्यालय खोलने की आवश्यकता है तथा क्षेत्र के लोग लम्बे समय से इसके लिए आंदोलित भी हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कस्बा बेलरांया में विद्युत कार्यालय खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के थाना जार्ज टाउन में श्री विनोद कुमार के गायब होने सम्बन्धी दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-40/09 पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय, जनपद इलाहाबाद के थाना जार्ज टाउन से 13/9/2009 को गहरी साजिश के अन्तर्गत नौकरी का लालच देकर जनपद के ही हंडिया थाना क्षेत्र के ग्राम बीरापुर धांवल निवासी श्री विनोद कुमार को गायब किये जाने का मुकदमा जार्ज टाउन थाना में अपराध संख्या 40/09 धारा-419, 420, 364 में दर्ज होने और गायब युवक के बुजुर्ग पिता द्वारा अपना सर्वस्व गवां कर थानेदार से लेकर प्रधान मंत्री तक भटकने के बाद भी नहीं मिला और न दोषियों को दण्ड मिला है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर गायब विनोद कुमार को बरामद करने एवं मुकदमों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन हेतु तिथि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, पूरे प्रदेश में लगभग 42 प्रतिशत अनु0जाति/अनु0जनजाति के छात्र छात्रवृत्ति फार्म नहीं भर पाये हैं। उक्त फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2013 निर्धारित थी। अन्तिम तिथि बीत जाने के उपरान्त भी हजारों छात्र-छात्रायें अभी तक फार्म नहीं भर सके हैं। जिसके कारण वे छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जायेंगे। छात्रहित में उक्त तिथि को 15 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रदेश के 42 प्रतिशत अनु0जाति/अनु0जनजाति के छात्र-छात्राओं के हित से जुड़े हुए विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए छात्रवृत्ति फार्म भरने की तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद बस्ती के आंवला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धन्नावली गौटिया, मजरा मुतलकपुर के पास से बहने वाली नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्म पाल सिंह-

[महोदय, आंवला विधान सभा के ग्राम धन्नावाली गौटिया मजरा मुतलकपुर के पास एक नदी बहती है। इस गांव के लोगों का रामनगर ब्लाक व बाजार को आना-जाना रहता है। बरसात में नदी भर जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। 10 कि0मी0 दूर घूमकर आना-जाना पड़ता है।

इस नदी पर एक काजवे (रपटा पुल) बनना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नदी पर काजवे (रपटा पुल) बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में चुर्रा जुर्रानपुर रेलवे फाटक पर हो रहे ओवर ब्रिज का निर्माण त्वरित गति से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना-

[महोदय, जनपद मेरठ में चुर्रा जुर्रानपुर रेलवे फाटक पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। जिसका निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। कुछ समय के लिए प्रारम्भ होता है और फिर महीनों बन्द रहता है। पता करने पर ज्ञात हुआ है कि धनाभाव के कारण कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। ओवर ब्रिज का निर्माण का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने के कारण आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। जनहित में उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण धन उपलब्ध करवाकर त्वरित गति से कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चुर्रा जुर्रानपुर रेलवे फाटक के ओवर ब्रिज को समय सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में चार विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली में कई विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को विद्युत आपूर्ति के समय लगातार विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है। तहसील मुख्यालय गभाना पर प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र व 33 के0वी0 के प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र ग्राम बरका विसारा (ब्लाक चण्डौस) ग्राम कलुआ (ब्लाक लोधा) ग्राम बाद ढसन्ना (ब्लाक धनीपुर)।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित इन चार विद्युत उपकेन्द्रों की शीघ्र स्थापना के बाद क्षेत्रीय जनता को विद्युत आपूर्ति की समस्या से मुक्ति सम्भव है।

अतः मैं चाहूंगा कि उपरोक्त चार विद्युत उपकेन्द्रों की शीघ्र स्थापना कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, जनपद-मथुरा में वर्ष 2012-13 की जिला योजना के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण अंचल के हमारे द्वारा विभिन्न सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण कराने के विभिन्न मार्गों की सूची जनपद मथुरा के लोक निर्माण विभाग (सी0डी0-1) के अन्तर्गत ब्लाक राया, ब्लाक बल्देव एवं लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा के ब्लाक फरह के सड़क नवनिर्माण कराने और मरम्मत के प्रस्तावों को प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शासन को धन आवंटन हेतु अग्रेसित किया गया है। जिले की प्रस्तावित सड़कों के नवनिर्माण/मरम्मत के प्रस्तावों में जो जिला योजना में धन आवंटन कम होने के कारण जो प्रस्ताव रह गये हैं। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि उपरोक्त तीनों ब्लाकों के प्रस्तावित सड़कों के नवनिर्माण/मरम्मत के प्रस्तावों को जिला योजना में धन आवंटन कम होने के कारण जो हमारे द्वारा क्षेत्र की मार्गों की सूची है जो उनमें शेष है। उनको शासन द्वारा अन्य योजनाओं/विशेष पैकेज प्रदान कर पूर्ण कराकर क्षेत्र की सड़कों की नवनिर्माण/मरम्मत कराया जाय। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त तीनों ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में सड़क के नवनिर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास अन्तर्गत पोखर से पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) के कस्बा गोण्डा में अलीगढ़ गोण्डा रोड के उत्तर दिशा में एक पोखर स्थित है। वर्षा के समय इस पोखर में काफी पानी भर जाता है। जिससे कस्बा गोण्डा के निवासियों के घरों में पानी भर जाता है तथा वहां पर संक्रामक बीमरी जैसे-डेगूं,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मलेरिया आदि फैल जाती है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि यदि पोखर के पानी निकासी हेतु एक नाली बनवाकर पास के नाले से जोड़ दिया जाय तो उक्त समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त पोखर की नाली को बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के शुतुर खाना, मकबूलगंज में नई सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि शुतुर खाना मकबूलगंज जनपद लखनऊ में लगी हुई सीवर लाइन जो मकान नं0 89/39 श्री मुख्तार अहमद के घर के सामने है वहां के निवासियों ने काफी वर्षों पहले प्राइवेट सीवर लाइन डाल रखी है। परन्तु अब आबादी काफी बढ़ जाने के कारण आये दिन सीवर चोक हो जाती है और रास्ते में गन्दगी रहती है जिसके कारण बच्चे आये दिन गन्दगी होने के कारण बीमारी के शिकार हो रहे हैं तथा वहां के निवासियों को आने-जाने में भी कठिनाई का सामना उठाना पड़ता है। यह मामला जनहित से सम्बन्धित है।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के विषय पर शासन से सीवर लाइन डलवाने की अविलम्ब मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय सड़कों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[मान्यवर, जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में निम्न गांवों की सड़कों का लेपन कार्य जनहित में कराया जाना है :-

1-प्रेमपुर से विजन नगलिया।

2-विजन नगलिया से पलसेड़ा की सीमा तक।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में राज चौराहे के पास से मुलतानीमल मोदी पार्क में श्री केदार नाथ मोदी की प्रतिमा को न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के राज चौराहे के पास मुलतानीमल मोदी पार्क के नाम से स्थित है। इस पार्क में मुलतानीमल मोदी की एक भव्य तथा विशाल प्रतिमा कई वर्षों पूर्व स्थापित की गई थी, जो कि आज भी उसी स्थान पर लगी हुई है। पार्क में लगी यह प्रतिमा शहर की न केवल एक प्राचीन धरोहर है। अपितु मुलतानीमल मोदी शहर के संस्थापक भी हैं। अब इस पार्क परिसर में केदार नाथ मोदी की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्षेत्रीय जनता केदार नाथ मोदी की प्रतिमा को लगाये जाने का विरोध कर रही है तथा क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर केदार नाथ मोदी की प्रतिमा न लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुररहमान-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम-मुस्तफापुर-II एवं मुन्डिया गन्नु में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया हैं। दोनों गांव रामगंगा नदी के खादर में पड़ते हैं। ग्रामवासी भी कई बार लिखकर दे चुके हैं। मैंने स्वयं भी विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं माननीय मुख्य मन्त्री को लिखकर उक्त दोनो गांवों के विद्युतीकरण का अनुरोध किया है। परन्तु फिर भी आज तक दोनो गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया। जिस कारण क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है।

अतः मैं उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर ग्राम मुस्तफापुर-II एवं मुन्डिया गन्नु विधान सभा क्षेत्र कांठ का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सरोथर कठौतिया के मदरसा अरबिया स्कूल से मस्जिद तक आर0सी0सी0 डलवाने व इंटरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 आसिफ जाफरी-

[महोदय, मैं आपका ध्यान-सरोधर कठौतिया, पोस्ट-महुआ बुजुर्ग, जिला-सिद्धार्थनगर के मदरसा अरबिया स्कूल से मस्जिद तक के मार्ग की ओर ले जाना चाहता हूं जो बरसात के मौसम में कीचड़ एवं पानी से भर जाता है जिससे मदरसे में पढ़ने आने वाले बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, गांव के अन्य लोगों के भी आने-जाने में असुविधा होती है।

उक्त मार्ग पर आर0सी0सी0 डलवाने व इण्टरलॉकिंग कराये जाने की अत्यन्त आवश्कता है जिससे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों व ग्रामीणों की परेशानी को दूर किया जा सके।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को नियम-301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।]

जनपद बाराबंकी में लखनऊ से सटे हुए ग्रामवासियों की जमीनों को भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रजिस्ट्री कराये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, जनपद-बाराबंकी, लखनऊ शहर से सटा है। इसके तीन प्रमुख ब्लाक-निन्दूरा, देवां एवं बंकी लखनऊ शहर की सीमा से सटे हुए हैं। सीमा से सटे होने के कारण इन ब्लाकों की जमीन का मूल्य काफी बढ़ गया है। यहां के छोटे, दलित तथा गरीब किसानों की भूमि को भू-माफिया दलाल स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। बाराबंकी के मित्तई

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम में शारदा नहर निर्माण से किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं तथा वर्तमान में भू-माफियाओं के चक्कर में किसानों की खेती योग्य जमीन को जबरिया बेचने को मजबूर किया जा रहा है। उ0प्र0 के पिछली सरकार अर्थात् 2002 से 2012 तक निन्दूरा-देवां-बंकी ब्लाकों मे भूमि का फर्जी कारोबार स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से पूरी चरम पर पहुंचा। हरिजन को आवंटित पट्टों तथा इस हेतु बनी धारा 157/अ0अ0 उपधारा (4) का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है। कई मृतक भू-स्वामियों का फर्जी फोटो लगाकर अधिकारियों की मिलीभगत करके गलत विरासत में नाम दर्ज कर यहां के लोगों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां की गयीं। यहां के गरीब तथा पिछड़े किसान इस तरह से हुए अपने भूमि पर अवैध कब्जा करने, गलत रजिस्ट्रियां कराने आदि के बारे में अत्यन्त दुःखी हैं। इससे उनमें सरकार तथा प्रशासन के विरोध में आक्रोश व्याप्त है। वह सरकार एवं प्रशासन के विरोध में कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बाराबंकी जनपद जो कि लखनऊ शहर की सीमा से सटा हुआ है, की वर्ष 2002 से वर्तमान समय तक भू-माफियाओं, फर्जी रजिस्ट्रियों तथा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीनों की जांच कराकर कार्यवाही किया जाना तथा ऐसे कार्यों पर रोक लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है जिससे गरीब तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को अपना हक प्राप्त हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर अन्तर्गत पटेल नगर के भू-खण्डों से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि पटेलनगर, इन्दिरानगर, लखनऊ में पटेलनगर सहकारी, गृह निर्माण समिति लि0 लखनऊ रजि0 सं0-183/79 रजि0 कार्यालय, 9 पटेलनगर इस्माइलगंज लखनऊ से श्रीमती शकुन्तला शर्मा पत्नी श्री कृष्णकान्त शर्मा, निवासी सी-1023/2 इन्दिरानगर, लखनऊ ने (रजिस्ट्री दिनांक 16 जून, 1993) को भू-खण्ड सं0-281, श्री हनोमान प्रसाद, पुत्र स्व0 श्री सर्वजीत वर्मा, निवासी-ग्रा0-गढ़ी मिर्जापुर, पो0-धौरहरा, जनपद-बाराबंकी (रजिस्ट्री दिनांक 7 जनवरी, 1997) भू-खण्ड सं0-280, श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव, पत्नी श्री रवि कुमार श्रीवास्तव, निवासी-सी 2/56 सेक्टर-एच, एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ (रजिस्ट्री दिनांक 23 जून, 2000) भू-खण्ड सं0-278 तथा श्री रविकान्त शुक्ल एवं श्री रमाकान्त शुक्ल, पुत्र श्री अवसान प्रसाद शुक्ल, निवासी-628/एम-44, मुरारीनगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (रजिस्ट्री दिनांक 23 अगस्त, 1994) भू-खण्ड सं0-274, क्रय किये गये हैं। उक्त भू-खण्डों पर सितम्बर, 2003 तक सभी प्रार्थीगणों का कब्जा था। दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त भू-खण्डों पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में समिति ने अपने पत्रांक मेमो0 प0न0स0गृ0नि0स0/03-04, दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, पुलिस अधीक्षक, ट्रान्सगोमती तथा क्षेत्राधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र देकर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवैध कब्जे हटाये जाने हेतु कार्यवाही करने की मांग की थी। कोई कार्यवाही न होने पर भू-खण्ड स्वामियों द्वारा पुलिस महानिदेशक से दिनांक 20 सितम्बर, 2007 को प्रार्थना की किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे भू-खण्ड स्वामियों में भय एवं प्रशासन से निराशा व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवैध कब्जे हटाये जाने की कार्यवाही करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

वित्त वेतन आयोग-2 के शासनादेश दिनांक 08-09-10 के अनुपालन में लोक निर्माण-8 द्वारा नियम विरुद्ध उच्च पदों पर अनियमित रूप से विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2063, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के अनुपालन में लोक निर्माण अनुभाग-8 द्वारा जिन कर्मचारियों को विनियमित करने का अनुमोदन जारी किया गया था, उनमें लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों को नियमों के विरुद्ध उनके मूल पदों से हटकर, अन्य उच्च पदों पर विनियमित करते हुए, उच्च वेतनमान भी दे दिया गया। जोकि उक्त शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत लोक निर्माण अनुभाग-8 की मनमानी का ज्वलन्त उदाहरण है। क्योंकि उक्त शासनादेश में ''पद परिवर्तन/त्रुटि सुधार'' के नाम पर पद अथवा वेतनामन में परिवर्तन/परिवर्धन की अनुमति नहीं है। इसके अनुसार जो कर्मचारी दिनांक 29 जून, 1991 को जिस पद पर तथा जिस वेतनमान में कार्यरत था, उसे उसी पद तथा वेतनमान में विनियमित किया जाना था। किन्तु लोक निर्माण अनुभाग-8 ने अपनी विधिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए, मनमाना अनुमोदन जारी कर दिया। जिसके कारण अनेक वरिष्ठ कर्मचारियों की वरिष्ठता का हनन हुआ है और वो अपने से कनिष्ठ कर्मी के अधीनस्थ कार्य करने को विवश हैं। जिसके कारण उनमें व्यापक आक्रोश तथा घोर निराशा व्याप्त है। जो किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकती है।

अतः शासन द्वारा किये गये पद के दुरुपयोग के उक्त प्रकरण में मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही तथा वक्तव्य की मांग करता हूं। क्योंकि उक्त प्रकरण व्यापक लोक महत्व का है।]

कानपुर विकास प्राधिकरण के भू-खण्ड संख्या-जी/531/1 गुजैनी, एल0आई0जी0 के अध्यासी को दूसरा भू-खण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मो0 मुस्लिम-

[महोदय, निवेदन है कि श्री रामचन्द्र पम्नानी निवासी 117 एन/475 ए रानीगंज, काकादेव, कानपुर को कानपुर विकास प्राधिकरण की योजना में भू-खण्ड संख्या जी/531/1 गुजैनी एल0आई0जी0 विधान सभा की याचिका समिति की संस्तुति के उपरान्त आवंटित किया गया था और उसका जवाब भी याचिका समिति में आया हुआ है। परन्तु उनको डेढ़ साल पहले जो उक्त भू-खण्ड आवंटित किया गया है इस पर पक्का मंदिर बना हुआ है, यह पूरा पैसा भी जमा कर चुके हैं। यह तमाम बार लिखापढ़ी भी कर चुके हैं। परन्तु इन्हें कोई दूसरा भू-खण्ड नहीं दिया जा रहा है। यह लगभग 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आंखों से दिखाई भी ठीक से नहीं देता हैं यह कानपुर विकास प्राधिकरण के चक्कर लगाते-लगाते थक गये हैं।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि कृपया इन्हें कोई दूसरा भू-खण्ड आवंटित किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करें या उक्त भूखण्ड से मंदिर को हटवाकर मंदिर को अन्यत्र स्थापित कराने का काम किया जाना चाहिए।

सादर।]

बाल भारती विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, इलाहाबाद में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संतराम कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि प्रबन्धक बाल भारती विद्यालय जूनियर हाई स्कूल मोती लाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, तेलियरगंज इलाहाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं के सेवानिवृत्त के पश्चात् रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापन कराया गया था। उक्त पदों पर चयन/साक्षात्कार की कार्यवाही कराये जाने हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित किये जाने का अनुरोध किया गया था शासन द्वारा दिनांक 7-9-2011 द्वारा पात्रता परीक्षा उ0 प्र0 (टी0ई0टी0) लागू हो जाने के उपरान्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक पात्रता परीक्षा उ0 प्र0 (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के आदेशानुसार पुनः पद विज्ञप्ति किये गये इस शर्त के साथ कि अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के साथ टी0ई0टी0 उत्तीर्ण हो। उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापिका ही मात्र कार्यरत है। लगभग ढाई वर्ष से उक्त विद्यालय में रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने से अध्ययनरत अभ्यर्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि बाल भारती विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल मोती लाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, तेलियरगंज, इलाहाबाद में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्रामों में नाले एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव वि0 ख0 कोरांव एवं मेजा के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में सींकी ग्राम में समशेर का डेरा तक लम्बाई लगभग 2 कि0मी0, 2-महुली लाला के पुरवा में सड़क का निर्माण एवं नाले पर पुल का निर्माण एवं ल0 2 कि0मी0, 3-कोहडार मार्ग खीरी मार्ग के ग्राम सिरहिर से बोझी का पुरवा से ल0 2 कि0मी0, 4-ककराही से पिपरहटा तक का सड़क का निर्माण एवं नाले के पुल का निर्माण ल0 3 कि0मी0 न होने से लोगों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। देश को आजाद हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गांवों का विकास होने में सबसे महत्वपूर्ण पक्की सड़क एवं नालों पर पुल होता है। पक्की सड़क एवं नाले पर पुल न होने से लोगों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है तथा आवागमन भी बाधित है। जिससे क्षेत्रीय एवं पूरे गांववासियों को सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पक्की सड़कों को निर्माण एवं नाले पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।]

पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा माननीय सदस्यों का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज कुशवाहा (मौर्य)-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16-3-2013 को अपरान्ह 3.00 बजे विकास भवन सभागार शाहजहांपुर में आहूत बैठक की सूचना जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा मुझे पत्रांक सं0 1415/पि0व0क0अधि0/शादी-बीमारी/2012-13 दिनांक 7-3-2013 के माध्यम से दी गयी जिसमें मुझे (मा0 विधायकों) सदस्य बताया गया व जिलाधिकारी उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे। आपकी ओर से व सरकार के निर्देश के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों का अपमान किया जा रहा है जो चिन्तनीय एवं सोचनीय भी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-बिजनौर, विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्रामों-सुंगरबेहड़ा लालपुर सौजीमल, सलेमपुर भट्टा नया गांव कोटद्वारा रोड, नगर के मोहल्ला वाहिद नगर, नई बस्ती, जाब्तागंज पालोमल कालोनी में 65 वर्षों से अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जिसकी वजह से किसानों, छात्र-छात्राओं एवं क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है, कि उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां अन्तर्गत ग्राम तेजीपुर में अपात्र व्यक्तियों को एस0डी0एम0 द्वारा अवैध रूप से जमीनों का पट्टा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजेश कुमार-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र 159, बिलग्राम मल्लावां जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम तेजीपुर में अपात्र व्यक्तियों को एस0डी0एम0 द्वारा पट्टे किये जा रहे है। जबकि उस ग्राम सभा के निहायत गरीब भूमिहीन व्यक्तियों एवं पांच विस्वा व दस विस्वा, जमीन रखने

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाले व्यक्ति को इस पट्टे की पत्रावली से वंचित रखा गया है एवं धनाठय लोगों को पट्टों का लाभ दिया जा रहा है। इस पट्टे की पत्रावली को निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया जाय, पात्र व्यक्तियों को पट्टा न दिये जाने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को पट्टा दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी में पारीक्षा तापीय विद्युत परियोजना के 22 कर्मचारियों जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई थी, के मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पारीक्षा तापीय विद्युत परियोजना (उपक्रम) पारीक्षा में संचालित है। इस उपक्रम में स्थापना के समय में भूमि अध्यापित मस्टर रोल कर्मचारी तैनात किये थे और करीब 22 कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो गयी लेकिन इन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अभी तक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है। जिससे इनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और करीब दो माह से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनुकम्पा नियुक्ति न मिलने से इन परिवार के आश्रितों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महम्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए, इन भूमि अध्यापित मस्टर रोल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर समायोजित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ की पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, लखनऊ शहर में 80 प्रतिशत से अधिक नागरिक जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किये गये जल को पीते है। लखनऊ जल संस्थान का मुख्य जल स्त्रोत गोमती नदी का पानी है। गोमती नदी में 7 बड़े नाले खुलते है, जिससे गोमती नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है तथा वही पानी लखनऊ शहर के नागरिक पी रहे हैं, जिससे पीलिया तथा पेट के अनेक रोग हो रहे है। शहर में अनेक स्थानों पर दुषित गंदे एवं बदबूदार जल की आपूर्ति हो रही है।

गोमती नदी में गिरने वाले 7 नालों के लिए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जाये जिससे जनता को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो तथा लखनऊ जल संस्थान से शुद्ध पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा लखनऊ मध्य क्षेत्र में गोमती नगर में एक वाटर वर्क्स का निर्माण कराया जाये ताकि जनता को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके तथा शहर में खराब ट्यूवबेल तथा खराब हैण्ड पम्प ठीक करवाये जाये तथा लखनऊ मध्य क्षेत्र में 500 हैण्डपम्प लगाये जाये।

यह अविलम्बनीय अत्यधिक लोक महत्व का विषय है जिस पर वक्तव्य देने के साथ-साथ लखनऊ शहर में पानी की गम्भीर समस्या का समाधान करने नियमित शुद्ध जल की आपूर्ति की जाये

7 नालों को गोमती नदी में गिरने से पहले सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जाये ताकि गोमती नदी प्रदूषित होने से बच सके। मैं जनता को शुद्ध पीने का पानी मिले यह सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विकास खण्ड जगनेर में गुगांवद बांध एवं रिछोहा बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ब्लाक-जगनेर क्षेत्र के गांव के लोगों को एवं पशुओं के पीने के पानी उपलब्ध न होने के कारण काफी गम्भीर संकट पैदा हो गया है। जिसके कारण कई पशुओं की मौत हो चुकी है तथा लोगों को चार-पांच कि0मी0 दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा हैं तथा सिंचाई के लिए पानी की गम्भीर समस्या है। जगनेर क्षेत्र राजस्थान की सीमा से लगा होने एवं पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण जलस्तर काफी नीचे है। वहां पर बोरिंग आदि कराकर भी पानी नहीं निकाला जा सकता है। महोदय, यदि ब्लाक जगनेर क्षेत्र में गुगांवद बांध एवं रिछोहा बांध को यदि पक्का करा दिया जाये तो पहाड़ों से आने वाला बरसात के पानी को रोका जा सकेगा। जिससे क्षेत्र में जल स्तर ऊपर आ सकेगा। गुगांवद बांध एवं रिछोहा बांध को पक्का न कराये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है जनपद-बस्ती के सदर विधान सभा के अन्तर्गत पूरे शहर में सीवर लाइन न होने के कारण शहर में जल जमाव स्थिति बनी रहती जिससे पूरे नगर पालिका क्षेत्र वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीवर लाइन न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में सीवर डाले जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के कलसिया-फतेहपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के कार्य हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महावीर सिंह राणा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन की संज्ञान में अतिमहत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बेहट जनपद सहारनपुर के मुख्य मार्ग कलसिया-फतेहपुर की लम्बाई लगभग

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

22 कि0मी0 की जिसकी उच्चीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य मात्र 5 कि0मी0 तक ही हुआ है शेष कार्य धनाभाव के कारण बन्द हो गया है। यह मार्ग अतिमहत्वपूर्ण मार्ग जिसका सुदृढ़ीकरण का कार्य न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बहुत ही कठिनाई होती है आये दिन दुर्घटनाएं हो रही, जिससे स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है।

कृपया कलसिया-फतेहपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करें।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में तमजापुर डींग के मध्य कैमुआ नाला पर छोटा पुल की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 133 तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत वि0 ख0 निगोही में तमजापुर डींग के मध्य कैमुआ नाला पर छोटा पुल जर्जर व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण बरसात में जल भराव से हजारों एकड़ भूमि प्रतिवर्ष जलमग्न हो जाती है। साथ ही कृषकों की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। जिस कारण हजारों कृषकों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और प्रभावित ग्रामों में रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो जाती है व संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी रहती है। जनहित में बड़े पुल का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से उक्त पुल को बनवाने हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही की जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट के निवारण हेतु हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय,

निम्न ग्रामों में पेयजल की काफी किल्लत है। जिन ग्रामों में पेयजल संकट है वह निम्न प्रकार है :-

(1) लज्जाराम दिवाकर ग्राम पिपरौली-ब्लाक नारखी

(2) कब्रिस्तान मौहम्मदाबाद ब्लाक टूण्डला

(3) पप्पू दिवाकर के पास खरिया (हजरतपुर) ब्लाक इण्डका

(4) सियाराम जाटव नगला सिकन्दर ब्लाक नारखी

(5) जाटव बस्ती कुबेरगणी ब्लाक नारखी

(6) खेतपाल निषाद गदलपुरा (ग्राम सभा रसूलाबाद ब्लाक टूण्डला)

(7) दिवाकर बस्ती लखनई ब्लाक टूण्डला

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से जनहित में उपरोक्त हैण्डपम्पों के लगाने की मांग करता हूं तथा सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के केला भट्टा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में केला भट्टा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जिसके 98 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है जिसकी संख्या करीब सवा लाख है। यहां बुन्दू के होटल से साबिक की पुलिया को जाने वाली मुख्य सड़क तक एवं सादिक की पुलिया से अमन कालोनी तक सड़क पूर्णतया बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। जगह-जगह गड्ढे हो चुके हैं और सदैव गन्दा पानी भरा रहता है। जिसमें हजारों लोग प्रतिदिन होकर गुजरते हैं। इस सड़क के न बनने से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर की अर्रा रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम-

[महोदय,

आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूं। कानपुर नगर में हमीरपुर रोड (नौबस्ता) से निकलकर अर्रा को जाने वाली **अर्रा रोड** जगह-जगह कट गई है एवं बरसात में यहां पानी भरा रहता है। जिससे क्षेत्र के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण इस सड़क पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

क्षेत्र के निवासियों की उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए **अर्रा रोड** की रिपेयरिंग कराने के सम्बन्ध में हमारी इस नियम-301 की सूचना को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव, नगर विकास को आदेश प्रदान करने की कृपा करें। महोदय इस कार्य से क्षेत्र की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी।]

जनपद सन्तकबीर नगर में नगर पंचायत हरिहरपुर से लखनऊ, बस्ती तथा गोरखपुर के लिये संचालित उ0 प्र0 परिवहन निगम की बस सेवा को पुनः शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[मान्यवर,

निवेदन है कि जनपद संत कबीर नगर में नगर पंचायत हरिहरपुर से लखनऊ, बस्ती एवं गोरखपुर को प्रतिदिन परिवहन निगम की बसें चलती थीं परन्तु विगत कुछ माह से यह सेवा बन्द कर दी गयी है यह कहकर की यात्री नहीं मिलते हैं यह गलत है क्योंकि बस सेवा नियमित नहीं चलती थीं। महोदय, नगर पंचायत हरिहरपुर की आबादी दस हजार से ज्यादा है। परिवहन निगम की बस सेवा बन्द हो जाने से हरिहरपुर व उसके आस-पास के ग्रामों के नागरिकों को बेहद असुविधा हो रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि नगर पंचायत हरिहरपुर से प्रतिदिन लखनऊ, बस्ती एवं गोरखपुर के लिए परिवहन निगम की बस सेवा को शुरू कराने की कृपा करें। जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधा हो सके।

अतः मान्यवर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोहरौना में फायर स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दूबे-

[महोदय,

हमारे विधान सभा 329 खड्डा के अन्तर्गत ग्रामीणों के आवास के रूप में आज भी बहुतायत झोपड़ियां हैं, लगभग **प्रत्येक वर्ष अग्नि आपदा से भारी त्रासदी को देखते हुए ग्राम सोहरौना में फायर ब्रिगेड स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ** परन्तु चार वर्ष के निर्माण के उपरान्त **मात्र 40 प्रतिशत के कार्य पूर्ण हुए हैं।** कार्य प्रगति काफी धीमा है।

क्या प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के दृष्टिगत उक्त फायर स्टेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की योजना है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की ग्राम सभा नरनी से सिलहटा के बीच 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन पूर्णतया जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत **ग्राम नरनी से सिलहटा के बीच जो 11000 वोल्ट की मेन लाइन गुजरी है उसमें वर्ष 1968 में तार लगाया गया था जो कि अत्यन्त जर्जर अवस्था में होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें घटित हो रही हैं** तथा कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा आये दिन इस जर्जर तार की वजह से किसी न किसी घर मकान में आगजनी आदि की घटना होती रहती है जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा आन्दोलन की स्थिति बनी हुई है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नैनी अन्तर्गत काजीपुर कोतवाली के पीछे सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाजी परवेज अहमद टंकी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद इलाहाबाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र नैनी इलाहाबाद में काजीपुर, नैनी में नैनी कोतवाली के पीछे जहां पर सीवर लाइन पड़ी है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहीं मकान नं0 179/ए से मकान नं0 185 तक लगभग 130 मीटर सड़क पर सीवर लाइन नहीं डाली गई है, जिसके कारण वहां के निवासियों को अत्यन्त असुविधा होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत उक्त स्थान पर सीवर लाइन डलवाये जाने सम्बन्धी लोकमहत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उक्त कार्य को अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के सुभानी खेड़ा, तेलीबाग में सन्तोषी माता मन्दिर के पास किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ के सुभानी खेड़ा, तेलीबाग, सन्तोषी माता के मन्दिर के आगे कब्रिस्तान की तरफ मुड़ने वाली रोड के कोने पर किये जा रहे निर्माण की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह भूमि नं0 436 जिसका क्षेत्रफल 0.0380 अभिलेखों में बंजर अंकित है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय निवासियों के लिखित अनुरोध पर एस0डी0एम0 सदर के पत्रांक 97/अहा0/फौ0/2013, दिनांक 16-3-2013 को सी0आर0पी0 की धारा-133 के अन्तर्गत थाना एस0ओ0, पी0जी0आई0 को यह आदेश दिये गये थे कि मौके पर कोई परिवर्तन न किया जाय और एक सप्ताह में पूरी रिपोर्ट दी जाय।

किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एस0ओ0 थाना पी0जी0आई0 द्वारा एस0डी0एम0 सदर के उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए अभिलेखों में अंकित बंजर भूमि पर स्वयं खड़े होकर दिनांक 17 एवं 18 मार्च, 2013, दिन शनिवार, रविवार को अवैध निर्माण करा दिया गया।

प्रश्न यह है कि एस0ओ0 थाना पी0जी0आई0 द्वारा ऐसा क्यों और किन कारणों से किया गया इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

उक्त बंजर भूमि किसने और कैसे बेच दी और खरीददार ने क्यों और कैसे उक्त भूमि क्रय कर ली। उपरोक्त समस्त प्रकरण की एक उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि क्षेत्रवासियों में हो रहे इस असन्तोष को शान्त किया जा सके।

अतः मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को नियम-301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।]

जनपद बहराइच के मोहल्ला बड़ीहाट में टीन के बक्से बनाने के कारखाने से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद बहराइच के मोहल्ला बड़ीहाट के पूर्णतया आवासीय क्षेत्र में स्थित टीन के बक्से आदि बनने के कारखाने से हो रहे ध्वनि प्रदूषण से क्षेत्रीय जनता को हो रही बीमारी एवं परेशानी के दृष्टिगत उक्त प्रतिष्ठान को आवासीय क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में हैं दिनांक 21-1-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत सूचना विषयक प्रकरण पर एक जांच दिनांक 21-12-2012 को सहायक निदेशक कारखाना फैजाबाद से स्थलीय निरीक्षण एवं दिनांक 4-7-2012 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया गया किन्तु समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है।

इस सम्बन्ध में कब स्थलीय निरीक्षण हुआ क्षेत्रीय जनता की जानकारी में ही नहीं है। कारखाना मालिक श्री लक्ष्मण प्रसाद के आवास में बैठकर यदि स्थलीय निरीक्षण होगा तो समस्या ज्यों कि त्यों बनी रहेगी समस्या क्षेत्रीय जनता को है ओर उनसे पूछतांछ तक नहीं की गई। अतः मैं चाहता हूं कि उनकी पुनः एक उच्च स्थलीय जांच ध्वनि प्रदूषण का सम्बन्ध पर्यावरण विभाग से है कराये जाने के साथ क्षेत्रीय जनता की भी राय ली जाय ताकि प्रश्नगत समस्या का निदान हो सके।

उक्त प्रकरण को नियम-301 में उठाने हेतु आपकी अनुकम्पा चाहता हूं।]

धन्यवाद।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र शिवपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयलाल मौर्य-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र 386-शिवपुर की निम्नलिखित मार्गों के निर्माण/मरम्मत की तरफ ले जाना चाहता हूं :-

1-चन्द्रा चौमुहानी बलुआ रोड से होते हुए बलुआघाट तक रोड की मरम्मत हेतु लगभग-6 कि0मी0।

2-सारनाथ से मुनारी तक जल निकासी एवं सड़क मरम्मत कार्य।

3-उपरहा बाजार से गाजीपुर मुख्य मार्ग से बनकट होते हुए आजाद चौराहा तक सड़क मरम्मत का कार्य लगभग-3 कि0मी0।

4-पंचकोसी चौराहा से सलारपुर-हनुमान मन्दिर होते हुए दीनापुर तक सड़क मरम्मत कार्य लगभग-5 कि0मी0।

5-बलुआघाट से रमचन्दीपुर मल्लाह बस्ती तक जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण का कार्य लगभग-5 कि0मी0।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को नियम-301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं।]

प्रदेश के महाविद्यालयों एवं इण्टर कालेजों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के महाविद्यालय एवं इण्टर कालेजों में वर्तमान समय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर रोक लगी है जिससे काफी कार्य बाधित होता है। विद्यालयों के संचालन में भी असुविधा होती है। इसके कारण शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है। तत्काल लगी रोक को हटाये जाने की आवश्यकता है। जिससे विद्यालय संचालित करने वाले लोगों को भी सुविधा मिल सके।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लगी रोक को हटाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद के सहकारिता विभाग के गोदामों में हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू खां-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद जनपद हरदोई अन्तर्गत सितारा गांव पिहानी में दो सहकारिता की गोदामें हैं वहां के ठेकेदार और बाबू द्वारा चावल मिल मालिकों से एक ट्रक पर 10000/- (दस हजार) की अवैध वसूली की जा रही है जिससे मिल मालिकों में काफी रोष व्याप्त है। तत्काल इस पर रोक लगायी जाये और ठेकेदारों व इसमें सम्मिलित लोगों को दण्डित किया जाये और इनके ठेके निरस्त किये जायें।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने एवं अवैध रूप से की जा रही वसूली को बन्द किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद संतकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल स्थित आमी नदी गोनहाघाट पर अपरोच का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ ''पप्पू'' निषाद-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल, जनपद सन्तकबीर नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड बघौली के हरदी भगवानपुर लगड़ाबार मार्ग पर आमी नदी के गोनहाघाट पर लगभग सात वर्ष के पूर्व पुल का निर्माण हो चुका है लेकिन आज तक अभी अपरोच नहीं बना है जिससे क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त कार्य को जनहित में कराया जाना आवश्यक है। यह आम जनता से जुड़ा प्रश्न है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुए गोनहाघाट पुल का अपरोच का निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विजेथुआ राजापुर में हनुमान मंदिर की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र चौधरी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विजेथुआ राजापुर विजेथुआ में हनुमान जी का बहुत पुराना मन्दिर है वहां पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हर शनिवार व मंगलवार को आने-जाने वालों का तांता लगा रहता है। सड़क खराब होने के कारण आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण उक्त मार्ग पर चलना भी कठिन होता है। ऐसी स्थिति में उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय की ओर उपरोक्त सड़क के निर्माण कार्य/मरम्मत कराये जाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

ए0आर0एम0 अकबरपुर द्वारा विभाग में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ए0आर0एम0 अकबरपुर डिपो जनपद अम्बेडकर नगर में तैनात श्री एस0एन0 शुक्ला जो पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के निवासी हैं द्वारा बड़े पैमाने पर विभाग में अनियमिततायें की जा रही है। यही नहीं आर0एम0 फैजाबाद के यहां तैनात प्रदीप उपाध्याय को अकबरपुर डिपो में गलत तरीके से अपने साथ सम्बद्ध करके धन उगाही करने का कार्य पिछली सरकार से करते चले आ रहे हैं। मेरे द्वारा लिखित रूप से शिकायत पर जांच अधिकारी आर0एम0 फैजाबाद बगैर मौके पर गये विभागीय ड्राइवरों व कन्डक्टरों को ए0आर0एम0 के सामने बैठाकर ही जांच की खानापूर्ति कर ली। स्थानीय लोगों से जांच पूछताछ कर ली होती तो सही तथ्य सामने आते। मेरे लिखित शिकायत जो जांच के लिए भेजा गया जिसमें प्रदीप उपाध्याय का जिक्र मेरे द्वारा किया गया था उसके तुरन्त बाद कार्यवाही के बजाय उपाध्याय को नियमित रूप से अकबरपुर डिपो में ही तैनात कर दिया गया है। जो सदन की अवमानना है श्री उपाध्याय जनपद अम्बेडकर नगर के ही मूल निवासी हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं अकबरपुर डिपो में ए0आर0एम0 द्वारा सभी कार्यों में भ्रष्टाचार को बल दिया जा रहा है और इनके कार्य व्यवहार से परिवहन निगम के तमाम कर्मियों में असन्तोष है इन्हें तत्काल हटाया जाये और इनके कार्य-कलापों की उच्च स्तरीय जांच कराकर इन्हें दण्डित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल शासन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने एवं दोषी को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर अन्तर्गत सिकन्दरपुर-बलिया मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा के अन्तर्गत सिकन्दरपुर बलिया मार्ग के अब तक न बनाने से जनता को बहुत कठिनाई हो रही है सिकन्दरपुर बलिया मार्ग वर्ष 2010 वर्ष 2011 में स्वीकृत है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसको छात्र शक्ति कन्सट्रेशन कम्पनी बना रही है। दो वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी यह सड़क 15 कि0मी0 भी नहीं बनायी गयी है इस मार्ग में इतने बड़े गड्ढे हो गये हैं कि यातायात बहुत ही प्रभावित होती है लोगों का जिला मुख्यालय पर जाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। कितने वाहन गड्ढे में गिरते जाते हैं और गिरकर नष्ट हो जाते हैं। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं यह गम्भीर विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य को यथाशीघ्र कराये जाने के लिए सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड एवं नगरा के विद्युत तारों के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के अन्तर्गत नगर पंचायत बेल्थरा रोड एवं नगरा के विद्युत तार जर्जर स्थिति में है जिससे आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है और विद्युत सप्लाई में तरह-तरह की बाधायें भी आती रहती हैं जिससे स्थानीय लोगों को काफी असुविधा होती है। तत्काल विद्युत तार बदले जाने की आवश्यकता है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत तार बदले जाने की मांग करता हूं।]

समला देवी इण्टर कालेज, रूधौली, जनपद जौनपुर का निर्माण कार्य गलत तरीके से कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। समला देवी इण्टर कालेज रूधौली जनपद जौनपुर का निर्माण जबरदस्ती दूसरे व्यक्ति की जमीन पर करा लिया गया है। जबकि उक्त जमीन अब भी विद्यालय के नाम से नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र पर जिला अधिकारी, जौनपुर ने अपने पत्रांक संख्या-405 दिनांक 17-11-2012 द्वारा जांच कर स्पष्ट रूप से विद्यालय को गलत तरीके से निर्माण कराये जाने का जिक्र करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय को स्पष्ट रूप से भेजा है जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है जो गलत है। शासन स्तर पर जिला अधिकारी के जांच रिपोर्ट को दबाकर रखा गया है। कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तत्काल अनाधिकृत रूप से बने विद्यालय को तोड़ा जाय, वास्तविक जमीन मालिक को उसको जमीन का कब्जा दिलाया जाये। इस तरह से अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले को दण्डित किया जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में तैनात शैडो व गनर को बढ़े हुए भत्ते का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल को बढ़े हुए छठे वेतनमान के अनुसार सभी पुलिस कर्मियों को बढ़े हुए भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। परन्तु वी0आई0पी0 व अन्य लोगों की सुरक्षा में लगे गनर व शैडो को अभी तक पुराना भत्ता ही दिया जाता है जोकि तीन हजार रुपये मात्र सुनिश्चित है।

अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पूरे प्रदेश में तैनात शैडो व गनर को भी बढ़े हुए भत्ते का लाभ दिलाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के होम्योपैथिक कालेजों में शैक्षणिक अनुभव की जांच में किये जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज-

[महोदय,

सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश के बाहर से प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के शैक्षणिक अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच करायी जा रही है। जबकि इनका चयन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 से चयनित होने के उपरान्त शासन द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी तथा वर्षों से कार्यरत हैं। आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में आमंत्रित करता है जिनके शैक्षणिक अनुभव प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार होम्योपैथिक परिषद्/निदेशक होम्योपैथिक के प्रति हस्ताक्षरित हों। प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के अनुभव प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षरित हैं फिर भी शासन स्तर पर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उ0 प्र0, पूर्व रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0 प्र0, वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर होम्योपैथिक शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तथा खुलेआम अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। यह भ्रष्ट अधिकारी होम्योपैथिक शिक्षक नियमावली, 1990 का खुला उल्लंघन करते हुए लूटखसोट कर शैक्षणिक अनुभव प्रमाण-पत्र दे रहे हैं जिस पर रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड शैक्षणिक अनुभव प्रमाण-पत्रों को प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया है जो पूर्णतया फर्जी है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर सदन के माध्यम से उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बाहर के होम्योपैथिक शिक्षकों के साथ ही प्रदेश के होम्योपैथिक शिक्षकों के शैक्षणिक अनुभव प्रमाण-पत्र, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के वर्तमान रजिस्ट्रार, पूर्व रजिस्ट्रार वर्तमान में, डिप्टी डायरेक्टर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होम्योपैथिक की भी निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत फल मण्डी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्दल कुमार-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद जनपद लखनऊ में वर्तमान सरकार द्वारा फल मण्डी स्वीकृत की गयी है जिसका टेण्डर भी हो चुका है। परन्तु अभी भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। चूंकि मलिहाबाद फल पट्टी के नाम से पूरे देश में मशहूर है और अपनी सरकार की मंशा भी किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाभ दिये जाने की है।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल स्वीकृत फल मण्डी का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में केन्द्रीय सड़क निधि अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामलाल अकेला-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद रायबरेली के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क निधि से बछरावां से महराजगंज तथा बछरावां से हैदरगढ़ मार्ग निर्माणाधीन है। बछरावां महराजगंज मार्ग में महराजगंज ड्रेन पर बना हुआ पुल पिछले 7 वर्षों से टूटा हुआ है और दोनों तरफ की सड़कें खोद दी गयी हैं और वर्तमान में निर्माण कार्य पूरी तरह से बन्द है। आधा अधूरा काम छोड़कर निर्माण इकाइयां गायब हो गयी हैं, उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं। क्षेत्रीय निवासियों ने सपा सरकार से काफी उम्मीद लगा रखी है किन्तु अब तक उक्त मार्ग में निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने से जनता निराश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से उक्त मार्ग व पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर क्षेत्रीय जनता के लिए सुगम आवागमन को यथाशीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के ब्लाक लोटन स्थित नाले की गहराई कराये जाने एवं उसकी पटरी का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन के ग्राम बरदगवा से धन्निहवां, ठड़वरिया पुल से होते हुए नदी तक हगनी नाला की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गहराई अत्यन्त कम होने के कारण बरसात में जलभराव अत्यधिक हो जाता है जिससे कृषकों की सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न हो जाती है इस जल भराव की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु उक्त नाले की गहराई कराये जाने एवं क्षेत्रीय जनता के आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु उसकी पटरी का चौड़ीकरण का कार्य एवं बजहा ताल के बगल से मुडिला बांध होते हुए गौरी गांव तक (विकास खण्ड बर्डपुर) सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त जनहित के कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से जनपद सिद्धार्थनगर के उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच में कार्यरत वार्ड आया के वेतन से नियम विरुद्ध हो रही रिकवरी को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय, उपरोक्त विषयक श्रीमती सरिता शर्मा के वेतन का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय के आदेश सं0-1317/सी0/आफ-2007 दिनांक 19-3-2007 एवं अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 फैजाबाद मण्डल/देवीपाटन मण्डल के आदेश सं0-ए0डी0/च0श्रे0/को0के0/07/12-3-85 दिनांक 23-3-2007 के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय बहराइच के द्वारा महानिदेशालय से श्रीमती सरिता शर्मा के नाम से वेतन एरियर का बजट मंगाकर श्रीमती सरिता शर्मा को वेतन एरियर का भुगतान कर दिया था परन्तु अपयश बिना किसी आधार के तथा बिना सरिता शर्मा को सुने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0 प्र0 के आदेश सं0-4डी/च0श्रे0/111/2007/7563 दिनांक 20-11-2012 के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच के द्वारा श्रीमती सरिता शर्मा के वेतन से प्रतिमाह 2000/- का रिकवरी किया जा रहा है जोकि न्याय संगत नहीं है। जब इनके वेतन एरियर का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय एवं विभाग में उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में हुआ था तो पुनः रिकवरी किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि श्रीमती सरिता शर्मा के वेतन से हो रहे रिकवरी को तत्काल रोकने एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा विभाग के उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कृषि विभाग में कार्यरत बी0टी0एम0/एस0एम0एस0 के रुके हुए मानदेय का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[महोदय,

समस्त बी0टी0एम0/एस0एम0एस0 विगत वर्ष अप्रैल, 2011 से प्रसार सुधार योजनान्तर्गत (आत्मा) के पद पर अनवरत कार्यरत हैं। सर्विस प्रोवाइडर के कार्य संतोषजनक न होने के कारण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत वर्ष जून, 2011 से 17 जनवरी, 2012 तक का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया है। कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद भी इस वित्तीय वर्ष 2012-13 के मानदेय का भुगतान न तो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा और न ही विभाग द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारीगण विभाग के माध्यम से मिशन एवं परियोजना सम्बन्धित कार्यों को अनवरत रूप से किया जा रहा है एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों के पास जानकारी दी जाती है।

अतः कृषि विभाग से सम्बन्धित इन कर्मचारियों का भुगतान स्काईलार्क संस्था को न देकर क्योंकि पहले यह संस्था पैसा लेकर फरार हो चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस पर सरकार ध्यान आकृष्ट करके कृषि विभाग से सम्बन्धित भुगतान कराने की कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज में कार्यरत लेखपाल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में की जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री नजीबा खान जीनत-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, तहसील डुमरियागंज के ग्राम-अमौना पाण्डेय में लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में एक जीवित महिला को मृतक दिखाकर उसके लड़कों के नाम वरासत करवा दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम-अमौना पाण्डेय निवासी श्रीमती पाती पत्नी स्व0 माया राम को हलका लेखपाल ने दिनांक 15-9-2011 को मृतक दिखाकर प क 11 में दोनों लड़कों जयश्री व राम चन्द का नाम चढ़ा दिया। जबकि उक्त महिला चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी कि साहब मैं जिन्दा हूं। इस प्रकरण पर एस0डी0एम0 डुमरियागंज को लिखित पत्र भी दिया गया। लेकिन उच्चाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं।

अतः मान्यवर, लोकमहत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से उक्त लेखपाल को सस्पेन्ड करने एवं श्रीमती पाती को न्याय दिलाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों के बकाया 10 वर्षों के एरियर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'-

[महोदय,

मैं माननीय सदन का ध्यान उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के उन उपेक्षित कर्मचारियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिन्हें पंचम वेतनमान का करीब 10 वर्षों का बकाया एरियर का भुगतान न करने का गलत निर्णय हाल ही में शासन द्वारा लिया गया है। जबकि निगम कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम तथा ईमानदारी के द्वारा निगम को ऐतिहासिक, आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की है। किन्तु शासन के गलत निर्णय से कर्मचारियों में गलत संदेश गया है। क्योंकि निगम प्रबन्धन द्वारा शासन को भ्रामक सूचना देकर गलत निर्णय कराया गया है। वर्ष 2009-10 तक के अंकेक्षित लेखों के अनुसार निगम का कुल संचित शुद्ध लाभ रुपये 147.69 करोड़ है, जिससे एरियर भुगतान का रु0 40 करोड़ आसानी से वहन किया जा सकता है। किन्तु निगम प्रबन्धन द्वारा कुल संचित शुद्ध लाभ में से अनेक ऐसी धनराशियों को पहले घटाया जा रहा है, जो अधिकारियों के कुप्रबन्धन तथा वित्तीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनियमितताओं के कारण पैदा हुई है। उदाहरण के लिये विभिन्न निर्माण कार्यों पर ग्राहकों से प्राप्त धन के सापेक्ष अधिक व्यय की गयी सण्ड्री डेटर्स/व्ययाधिक्य की धनराशि तथा विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये पद के दुरुपयोग के कारण उपजी संभावित हानियां। जिनकी वसूली उत्तरदायी अधिकारियों से न करके, निगम के निष्ठावान तथा मेहनती कर्मचारियों के बकाया एरियर से की जा रही है। इस प्रकार भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारियों के काले कारनामों को छुपाने के लिये मेहनती तथा ईमानदार कर्मियों का करीब 10 वर्षों का बकाया एरियर अवैध तरीके से हड़पा जा रहा है। जबकि श्रमिक नियमों तथा कम्पनी अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन तथा बकाया एरियर का भुगतान सबसे पहले किया जाना चाहिए। उसके बाद अन्य मदों में प्रीरिजवर्स (संभावित व्ययों/हानियों के लिये संचित प्राविधान) बनाया जाना चाहिए। यदि एक साथ 10 वर्षों के एरियर भुगतान में कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो इसे पांच-पांच वर्षों के दो भागों में किया जा सकता है।

इसी प्रकार से पंचम वेतनमान के अन्तर्गत गैर तकनीकी कर्मियों को समयमान वेतनमान की सुविधा उनकी योगदान तिथि से सेवाकाल की गणना के आधार पर देय है तथा वर्ष 2006 से देय छठा वेतनमान तथा एस0सी0पी0 व्यवस्था का लाभ भी उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के अनुरूप ही दिया जाना आवश्यक है। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नियमों तथा नीतियों के आधार पर दोनों निगमों में शत-प्रतिशत समानता है।

अतः सैकड़ों कर्मचारियों को सीधे प्रभावित करने वाले व्यापक लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही तथा वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[महोदय, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि विधान सभा महोबा के अनेक ग्रामों में विद्युत की गम्भीर समस्यायें हैं। मैंने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा है कि ग्राम खरका, ग्राम पहरा, ग्राम करहरा कलां, ग्राम मकरबई, ग्राम इमलिया, ग्राम बिलबई, ग्राम बरबई, ग्राम ज्यौरइया, ग्राम खमरिया, ग्राम भड़रा (डबरा), ग्राम दमौरा, ग्राम सिंघनपुर बधारी, ग्राम किडारी, ग्राम बहिंगा, ग्राम कहरा, ग्राम बनियॉतला, ग्राम शाहपहाड़ी में दलित बस्तियों में कहीं खम्भे तारों का अभाव है तो कहीं ट्रांसफार्मर फुंके हुए हैं एवं ट्रान्सफार्मर कम शक्ति के होने के कारण लो वोल्टेज की गम्भीर समस्या बनी हुई है अथवा ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार क्षेत्र के अनेक ग्रामों के अलावा कांशीराम कालोनियां भी पूर्ण अंधकार में है तथा महोबा नगर के बाहरी क्षेत्र में भी लो-वोल्टेज की समस्या होने के कारण आये दिन विद्युत की खराब व्यवस्था को लेकर धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं।

विद्युत विभाग को उपरोक्त समस्याओं से अवगत कराने पर क्षेत्रीय जनता को गुमराह कर भारी भरकम स्टीमेट शासन को न भेजकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पास भेजकर निधियों की मांग करते हैं, जबकि सीमित क्षेत्रीय निधि होने के कारण जनप्रतिनिधि चाहकर भी अपनी निधि से यह कार्य नहीं करा सकते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव की सड़कों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147, हरगांव में राजेपुर सम्पर्क मार्ग से खेदरापुर से लंघनिया होते हुए पकरिया धापूपुर तथा मलिहाबाद सम्पर्क मार्ग से ग्राम बनियानी तेंदुवा सम्पर्क मार्ग तक रास्ता कच्चा व बहुत ही खराब है। जिस पर वर्षात के दिनों में रास्ते में काफी गड्ढे होने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। इसी रास्ते से क्षेत्रीय ग्रामीण अपना गन्ना बैलगाड़ियों तथा ट्रैक्टर ट्रालियों से अवध शुगर मिल्स हरगांव को ले जाते हैं, दुर्घटना का काफी भय बना रहता है।

अतएव इस लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राजेपुर सम्पर्क मार्ग से खेदरापुर, लंधनिया होते हुए पकरिया धापूपुर सम्पर्क मार्ग तक तथा मलिहाबाद सम्पर्क मार्ग से बनियानी तेंदुवा सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समस्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड-बड़रांव, दोहरीघाट, फतहपुर मण्डांव आदि के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाफे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिपाह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुग्गी चौरी स्थित है। सरकार का दावा है कि उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हमेशा दवा एवं डाक्टर उपलब्ध रहते हैं। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्षेत्रीय जनता अपने इलाज हेतु जाती है तो वहां से उन्हें बैरंग खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्रों पर न तो दवा उपलब्ध होती है और न ही डाक्टर मौजूद रहते हैं। यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुत्ते के काटने के दौरान लगने वाली (रैबीज) इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं रहता है। क्षेत्रीय मरीजों को अपने इलाज हेतु प्राइवेट डाक्टरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुग्गी चौरी में पूरा सरकारी स्टाफ तैनात है, परन्तु उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कभी भी स्टाफ उपलब्ध नहीं रहता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हमेशा ताला बन्द रहता है। जिससे क्षेत्रीय मरीजों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की गयी है, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला गोरखपुर के अन्तर्गत मछली मण्डी में व्यापारियों को दुकान आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला गोरखपुर के अन्तर्गत स्थानान्तरित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, महेवा, गोरखपुर में दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को मछली मण्डी में व्यापारियों को जिसमें कुछ व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गयी थी, लेकिन दुकानों की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण सभी व्यापारियों को दुकानें आवंटित नहीं हो सकी थी, शेष बचे हुए व्यापारियों को दुकान न आवंटित हो पाने के कारण खाली जगह पर अपना व्यापार करने हेतु जगह आवंटित की गयी थी, जिस पर प्रतिमाह जगह के किराये की वसूली की जा रही है, उसी जगह पर 2009 में शासन द्वारा मत्स्य विभाग से दुकान का निर्माण करा दिया गया तबसे आज तक उक्त दुकान में आवंटी ही व्यापार करते चले आ रहे हैं। उक्त दुकानों की मण्डी समिति द्वारा दिनांक 28-2-2013 को नियमानुसार नीलामी की गयी। जिसमें दस व्यापारियों को दुकानें आवंटित हुईं परन्तु अब जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त दस आवंटी व्यापारियों से नीलामी की धनराशि नहीं जमा की जा रही है और कहा जा रहा है कि उक्त दुकानों की दुबारा नीलामी की जायेगी। अब मछली मण्डी व्यापारियों को मण्डी समिति के लोग आकर उनका व्यापार बन्द कराने की धमकी दे रहे हैं एवं दुकानों में अपना ताला बन्द करने की कोशिश की जा रही है। जिससे व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, मछली मण्डी के व्यापारियों द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों एवं शासन से भी की गयी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिसके कारण मछली मण्डी व्यापारियों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत बंधे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आने वाला ग्राम मगरमूड़ में विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध को वर्ष 1942 में निर्मित किया गया था, जो कि वर्तमान समय में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वीयर से निकलने वाली भरपुरा राजबहा, जिसकी ल0 लगभग 19 कि0मी0 है। जिससे 2600 एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। लेकिन बांध पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की फसलें पानी के अभाव में सूख जा रही हैं, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय किसानों द्वारा उक्त बंधे के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक शासन द्वारा निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध का निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा में ऐरा चीनी मिल के श्रमिकों को मानकों के अनुरूप वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा में ऐरा चीनी मिल में 1000 से अधिक कर्मचारियों व श्रमिकों को श्रमिक वेज बोर्ड के अनुसार नियुक्ति पत्र न्यूनतम वेतन वार्षिक बोनस, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, प्रोडक्शन बोनस तथा आफ सीजन का रिटर्निंग भत्ता, भविष्य निधि योजना का लाभ होना अनिवार्य है। उपरोक्त विषयों में मानक के अनुसार श्रमिकों को एवं अन्य कर्मचारियों को मिल प्रबन्धन द्वारा लाभ नहीं दिया जा रहा है एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जांचोपरान्त 300 फीट तक पानी अशुद्ध है, कालोनियों में साफ-सफाई नहीं है, मजदूरों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा के लिए डाक्टर मौजूद नहीं हैं। उक्त समस्या के निदान हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक उपरोक्त समस्या के निदान हेतु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्र में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गोला तहसील की न्याय पंचायत को उरूवा ब्लाक में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र गोला तहसील में अन्तर्गत न्याय पंचायत कुरावल खजनी तहसील एवं खजनी विधान सभा क्षेत्र के बेलघाट ब्लाक के अन्तर्गत रखा गया है, जबकि बेलघाट ब्लाक मुख्यालय पूरी तरह से इस न्याय पंचायत के निवासियों के लिए उल्टा पड़ता है तथा वहां अपने कार्य हेतु जाने के लिए साधन के अभाव के चलते नदी उस पार भारी परेशानी उठानी पड़ती है, कुरावल न्याय पंचायत के जन-प्रतिनिधियों एवं आम जनता जिनका विकास खण्ड से सीधा सरोकार है, उन्हें बेलघाट की बजाय उरूवा ब्लाक अधिक सामंजस्य पूर्ण एवं आसान है जहां सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आसानी से जनता पहुंच सकती है। इस कुरावल न्याय पंचायत की जनता को अपने वर्तमान ब्लाक मुख्यालय बेलघाट तक पहुंचने की परेशानी तथा ब्लाक अधिकारियों द्वारा इस न्याय पंचायत की सुदूर एक किनारे होने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधा को देखते हुए उक्त कुरावल न्याय पंचायत को जो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोला तहसील का हिस्सा है, उसे खजनी तहसील के ब्लाक बेलघाट से निकालकर उरूवा ब्लाक मुख्यालय जो काफी नजदीक में स्थित है, समायोजित किये जाने की मांग आम जनता कर रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के निर्वाचन क्षेत्र लोनी में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग से गढ़ी सबलू तक के जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्ग को सी0सी0 मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जाकिर अली-

[मान्यवर,

मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गाजियाबाद के निर्वाचन क्षेत्र लोनी में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग से गढ़ी सबलू तक लगभग 1.5 कि0मी0 का मार्ग अत्यधिक जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो जाने के कारण इस पर चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण क्षेत्रीय निवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त दिल्ली यमुनोत्री मार्ग से गढ़ी सबलू तक लगभग 1.5 कि0मी0 के मार्ग को सी0सी0 मार्ग बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद की जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 238 जहानाबाद फतेहपुर जहानाबाद क्षेत्र में विद्युत के तार अत्यन्त जर्जर स्थिति में है जिससे गरमी के दिनों में तार टूट कर गिरने के कारण किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है। फलस्वरूप उनके सामने जीवकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और फसल नष्ट हो जाने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पाती है। अतः जनहित में यह नितान्त आवश्यक है, जहानाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर विद्युत के तारों को तत्काल बदलाया जाये।

अतः लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त जनहित उक्त कार्य को तत्काल लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के कतिपय विकास खण्डों के जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद आसिफ-

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के विकास खण्ड ऐराया तथा विकास खण्ड हथगाम के कतिपय मार्ग अत्यधिक जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो जाने के कारण साइकिल तथा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मोटर साइकिल से भी चलना दूभर हो रहा है। बरसात के दिनों में इन मार्गों पर जल भराव के कारण क्षेत्रीय निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विकास खण्ड ऐराया के ग्राम निम्नलिखित हैं :--

1-टाण्डा मार्ग (पुलिया) से तौरा तक, केकरन पर मजरे रसूलपुर भण्डरा से बधौली तक एकौनागढ़ जरे रसूलपुर भण्डरा से बैरून की अराड होते हुए पण्डितन के पूरवा तक, धमंगलपुर मजरे बघौली से रतनसेन पुर तक, ग्राम खगियापर मजरे मोहम्मदपुर गौंती से प्रेमनगर मण्डवा सम्पर्क मार्ग, ग्राम आशीषपुर से बांसी का पुरवा तक, सरगुपुर बरगला सम्पर्क मार्ग से लखनदास बाबा की कुटिया तक, नौबसता सम्पर्क मार्ग (सैदपुर) चलथरा सम्पर्क मार्ग तक।

2-विकास खण्ड हथगाम

नहर पटरी से पूनिया की अड़ार तक वाया गुधैया मजरे पट्टी शाह तक, बेहटापुर मजरे कसरांव से हिरावनपुर मजरे पलिया बुजुर्ग तक, हथगाम आम्बापुर सम्पर्क मार्ग से नटन का डेरा होते हुए चीटू के पुरवा तक।

3-विकास खण्ड भिटौरा

मवई पुल से नरौली तक, मवई बाबा कुटी से मवई गांव तक, नरौली चौराहा से कुम्हारन का पुरवा मजरे चुराई, नरौली बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग से असऊपुर होते हुए रेहरा सम्पर्क मार्ग तक, बेला मोड़ से बरौहा तक।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमानस की कइिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त मार्गों की तत्काल मरम्मत/निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय ब्लाकों में पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा-

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड मलवां के अन्तर्गत ग्राम सभा मलवां, चक्की, कुंवरपुर, कुरइयां तथा रिवाड़ी बुजुर्ग में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2010 में पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी। परन्तु अभी तक उक्त गांवों में पानी की टंकियों का निर्माण नहीं कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त ग्रामों में पानी का लेवल काफी नीचे चले जाने एवं खारे पानी के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। ग्राम सभाओं द्वारा पेयजल के निराकरण कराने हेतु पानी की टंकियों के निर्माण हेतु भूमि भी प्रस्तावित हो चुकी है।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल की समस्या के निराकरण कराये जाने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्तावित भूमि पर पानी की टंकियों का निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र के रमना ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रोहनिया के रमना ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण आज से बीस वर्ष पहले से पूर्ण हो चुका है। अस्पताल की 22 बेड की क्षमता है। स्टाफ आवास बिल्डिंग भी पूर्णतया वर्षों से बनकर तैयार है। किन्तु आज तक पूर्णरूप से स्वास्थ्य केन्द्र चालू नहीं हो पाया है। मात्र एक डाक्टर एवं एक कम्पाउन्डर दिन में दो घंटे का समय देते हैं। जिनके पास सभी आवश्यक दवायें भी उपलब्ध नहीं रहती हैं। अस्पताल पूर्णरूप से न चलने से क्षेत्रीय जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें गम्भीर बनी हुई हैं।

विनम्र निवेदन है कि क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुरूप अस्पताल को पूर्णरूप से चलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।]

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ में तैनात कर्मचारियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलवाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में तैनात शिवशरण यादव पुत्र श्री राम सजीवन जो बीसों वर्षों से संविदा पर विभाग में तैनात हैं इन्हें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन 2017 जे रोड सेक्टर-सी महानगर विस्तार लखनऊ में तैनात उप सचिव द्वितीय ने अपने पत्र सं0-02/वि0से0आ0/म0रो0-2(1) दिनांक 2-1-07 द्वारा श्री यादव को पत्र भेजा गया था जिसमें सारे कागज व प्रमाण-पत्रों सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया गया और यह उपस्थित भी हुये। परन्तु अभी तक इन्हें नियमित नहीं किया गया। इससे इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है सारी औपचारिकतायें पूर्ण होकर एम0डी0 पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में लम्बित है। चौबीस वर्ष सेवा करने वाले इस कर्मचारी के साथ पिछली सरकार में भेदभाव किया गया और इससे जूनियर कई दैनिक कर्मियों को नियमित भी कर दिया गया है जिससे भेदभाव होने के कारण यह कर्मचारी कुंण्ठित है और इसका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर है तत्काल दैनिक श्रेणी कर्मचारी को नियमित किया जाय और पूरी सेवा जोड़ कर उसका लाभ दिया जाय।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में ए0पी0 तटबन्ध के रुके हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-331, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध का एक्टेंशन नरवाजोत के अमवाखास बंधे पर बाढ़ग्रस्त द्वारा वर्ष 2013-14 में स्वीकृत परियोजनाओं पर धन आवंटित करने व समय अवधि से पूर्व कार्य कराये जाने के लिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन बन्धों की स्थिति काफी चिन्तनीय बनी पड़ी है। नरवाजोत तटबन्ध की वर्तमान स्थिति यह है कि बन्धा को लगातार नदी काट रही है। जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा कई बार मौके का निरीक्षण किया गया है।

अक्सर यह देखा जाता है कि धन भी आवंटित होता है तो बाढ़ के समय होता है और उस समय धन का लूट-खसोट एवं बन्दर बांट ही होता है। कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में वर्ष 2013-14 में विधान सभा तमकुहीराज के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड कुशीनगर में स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तावित है :--

1-जनपद कुशीनगर के नरवाजोत तटबन्ध पर स्थिति स्पर कि0मी0 1.000, से 1.500 कि0मी0 की पुनः स्थापना, कि0मी0 1.300 पर एक अद्द स्टड का निर्माण एवं कि0मी0 0.800 से 1.300 के मध्य रिवेटमेन्ट एवं स्लोप पिचिंग कार्य की परियोजना-परियोजना उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् के 45वीं स्थायी संचालन।

2-जनपद कुशीनगर में नरवाजोत तटबन्ध के सुदृढ़ीकरण की परियोजना।

3-जनपद कुशीनगर में स्थित ए0पी0 तटबन्ध की कि0मी0 1.600 पर स्थित स्पर की पुनः स्थापना की परियोजना।

4-जनपद कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध के कट इन्ड-2 पर स्थित स्टड चैनेज 130 मी0 एवं 250 मी0 के पुनर्स्थापना की परियोजना।

5-जनपद कुशीनगर में स्थित ए0पी0 तटबन्ध के कि0मी0 10.518 पर निर्मित स्तर के नोज डाउन स्ट्रीम पिचिंग एप्रन एवं अपस्ट्रीम में दो अद्द टीथ निर्माण की परियोजना।

6-जनपद कुशीनगर में स्थित अगवाखास तटबन्ध पर स्थित स्पर कि0मी0 4.200 पर स्पर कि0मी0 4.500 की पुनः स्थापना, कि0मी0 4.400 से 4.900 के मध्य 5 अद्द स्टड निर्माण की परियोजना एवं स्पर कि0मी0 4.900 के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। **क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के कार्य**-परियोजना उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् के 45वीं स्थाई संचालन समिति में स्वीकृत है।

7-जनपद कुशीनगर में स्थित ए0पी0 तटबन्ध के कि0मी0 1.625 से 1.860 के मध्य रिवटमेन्ट के पुनर्स्थापन कार्य की परियोजना-परियोजना स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्रेषित है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री को पत्र द्वारा दिनांक 28-02-2013 को अवगत कराया जा चुका है।

अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए कृपया अपेक्षित परियोजनाओं पर बजट आवंटित कर समय रहते पहले कार्य कराया जाना लोकहित में है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान गंगा नदी के तट पर बसार बांध के मरम्मत कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनहित में अविलम्बनीय महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड कलान गंगा नदी के तट पर बसार बान्ध जो काफी पुराना है के मरम्मत में घोर अनियमिततायें बरती जा रही है। शासन द्वारा 50-60 लाख से अधिक की धनराशि उक्त मद में दे चुकी है परन्तु बान्ध के समीपस्थ गांव कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं क्योंकि मरम्मत की धनराशि का कभी भी गम्भीर तथा सार्थक उपयोग नहीं किया गया है बल्कि कुछ धनराशि इधर-उधर लगाकर अधिकांश धनराशि की बन्दर बांट उक्त कार्य को अन्जाम देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में आपस में कर ली जाती है। इस तथ्य की भी जांच की जा सकती है कि उक्त बान्ध के क्षतिग्रस्त होने पर सैकड़ों गांव जलमग्न हो जायेंगे तथा धन तथा जन की होने वाली हानि का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है।

अतः आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि उक्त बान्ध में सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बान्ध की ठोस मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में थर्मल पावर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बिल्थरा रोड के बगल में घाघरा नदी एवं कोड़वी मुहान ताल पर इसी सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री बीर बहादुर सिंह एवं ऊर्जा मंत्री सुनील शास्त्री बिल्थरा रोड में थर्मल पावर स्थापित करने की घोषणा की गयी थी, जिससे उत्पादित बिजली का लक्ष्य 750 मेगावाट निर्धारित की गयी थी। उक्त थर्मल पावर स्थापना वर्ष 2010 से लेकर 2012 तक होनी थी, जिसका सर्वे विभागीय स्तर पर पूर्व में किया जा चुका है। कतिपय कारणों से उस पर धन आवंटन एवं कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। चूंकि उक्त थर्मल पावर पूर्वांचल के अत्यन्त पिछड़े जनपद बलिया के पश्चिम उत्तर उत्तरी किनारा रमऊ उत्तर देवीलाल के सरहद पर प्रस्तावित है। उसके स्थापित हो जाने से जहां पूर्वांचल के दर्जनों जनपदों को विद्युत आपूर्ति की समस्या से निजात मिलेगी वहीं छोटे और बड़े लोगों का जीविकोपार्जन के लिए पलायन करते हैं उसको रोका जा सकेगा। इससे उनको रोजगार भी सुलभ हो सकेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार को ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद संत रविदास नगर के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 बिजय कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-संत रविदास नगर (भदोही) में विकास खण्ड अभोली के ग्राम पंचायत गुवाली में ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से ग्राम पंचायत में कई प्रभावशाली एवं अपात्र लोगों के परिवार में 8 से 10 अन्त्योदय एवं वी0 पी0 एल0 तथा अपने रिश्तेदारों जो उस ग्राम पंचायत तो दूर उस जिलें के भी निवासी नहीं है उनके राशन कार्ड बनवा लिये हैं तथा सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित अन्य योजनाओं का भी लाभ ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से ले लिए हैं जिसके कारण गरीब पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित होता जा रहा है उदाहरण स्वरूप उसी ग्राम पंचायत की मुसहर जाति जो जन जाति की श्रेणी में आती है उस जाति के एक भी व्यक्ति का अन्त्योदय व वी0 पी0 एल0 के कार्ड नहीं बनाये गये है जिनके नाम निम्न है मनोज पुत्र पारस, राजकुमार पुत्र पारस, राकेश पुत्र होरीलाल, श्यामलाल पुत्र पन्नालाल, जियालाल पुत्र पन्नालाल, हूबलाल पुत्र पारस, अटल बिहारी पुत्र बौकन, कैलाश पुत्र रमेश, गरीब पुत्र पन्ना, रामआसरे पुत्र संतोषी, होरीलाल पुत्र अनूप, संतोषी पुत्र राजा मुसहर आदि व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बनाए गये हैं जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई किन्तु आज तक प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण आज तक ग्राम पंचायत में बने राशन कार्डों की जांच नहीं की जा सकी है जिसके कारण उक्त गांव की गरीब जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए फर्जी राशन कार्डों की जांच कराए जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 परिवहन निगम द्वारा मिर्जापुर से सोनभद्र हेतु रात्रिसेवा की बसों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूबी प्रसाद-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-दुद्धी, जनपद-सोनभद्र में जनपद-इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से रात्रि में परिवहन बसों का संचालन न के बराबर है जिससे राशि में आने वाले यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिर्जापुर जनपद से रात्रि 08.00 बजे के बाद परिवहन की बसें बहुत ही कम संचालित होती हैं। रात्रि में केवल एक बस 12.00 बजे इलाहाबाद से चलकर मिर्जापुर होते हुए शक्तिनगर को जाती है, फिर सुबह 5.30 बजे परिवहन की बस जाती है। इससे दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों से चलकर आने वाले यात्रियों का मिर्जापुर रोडवेज जहां पर यात्रियों को बैठने तथा अन्य सुविधाओं का अभाव है, वहां घण्टों बैठकर बसों का अभाव है। जनहित में मिर्जापुर से रात्रि 10.00 बजे के बाद हर 01 या 02 घण्टे के बाद सुबह 04.00 बजे तक परिवहन की बस जनपद-सोनभद्र के राबर्टसगंज, ओबरा, दुद्धी, शक्तिनगर, रेनुकूट के लिए चलाया जाना अति-आवश्यक है जिससे कि यात्रियों का असुविधा का सामना न करना पड़े। उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा मिर्जापुर से सोनभद्र रात्रिसेवा की बसें 10.00 बजे से लेकर प्रातः 4.00 बजे तक प्रति एक या दो घण्टे पर यात्रियों के हित में चलाये जाने हेतु समुचित निर्देश दिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद शामली के विभिन्न मार्गों में परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[महोदय, जनपद शामली नया जनपद है, इस जनपद में परिवहन की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण जनपदवासियों को तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है, जिससे यातायात में कठिनाइयां होती हैं। जनपद-मुख्यालय जाने-आने के लिए परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से न होने से लोग परेशान रहते हैं। जनपद के मुख्य मार्ग टूटे हुए है, सड़क में बड़े-बड़े गड्ढ़े हो गये हैं, जर्जर सड़कें होने के कारण जनपदवासियों एवं अन्य जनपदों से आने-जाने वालों को भी विकट स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों में भी सड़कों का वही हाल है, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत बहुत दिनों से नहीं हो पायी है। इस प्रकार जनपद-शामली में आम आदमी को जाने-आने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। यहां पर नियमित रूप से चलने वाली बसों का कई मार्गों पर अभाव है। क्षेत्रीय तथा जनपद के बाहर जाने वाली बसों की उपलब्धता भी बहुत कम हैं। शामली से उन, शामली से कांधला, शामली से बुढ़ाना, शामली से सिसौली, शामली से थाना भवन, शामली से मुजफ्फरनगर, शामली से मेरठ, कांधला से गंगेरू, कांधला से लिसाढ़ इत्यादि रूटों पर सरकारी बस न के बराबर चलाई जा रही हैं, जिससे आम आदमी को दैनिक तथा आवश्यक कार्य से जाने-आने में असुविधा होती है तथा उसे बसों का कई-कई घण्टे तक इंतजार करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में की गई भारी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय, कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0/जल निगम/सी0एण्डएफ0 द्वारा अब तक हुये विकास कार्यो में भारी अनियमितता एवं निम्न गुणवत्ता स्तर पाया गया है। इन विभागों द्वारा सीवर, जलापूर्ति की पाइपलाइनों को डालने के दौरान पहले से बनी सड़कों को भी ध्वस्त कर दिया गया है और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया है। मेरी विधान सभा परिधि में तो कई स्थानों पर पाइप भी नहीं डाले गये है तथा क्षेत्रों को उपेक्षित छोड़ दिया गया है तथा मेरे द्वारा कई बार शिकायत करने पर भी निरंकुश अधिकारियों द्वारा उक्त समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र नारकीय हो गया है। छावनी विधान सभा के अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों की पूर्व सूचना जनप्रतिनिधि/विधायकों को लिखित में उपलब्ध कराये जाने तथा जैसे-तैसे होने वाले विकास कार्यो की अनियमितता गुणवत्ता स्तर एवं अधिकारियों की निरंकुशता पर नियंत्रण हेतु इस समस्या पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में तालाबों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 अलीम खां-

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के जमानियां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा-सेवराई, ब्लाक-भदौरा में निम्न गाटा संख्या, जो तालाब दर्ज है, पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त तालाबों पर अवैध रूप से कब्ज कर लिया गया है, जिससे ग्राम के निवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय मा0 मंत्री जी भी वरदहस्त प्राप्त है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तालाबों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण दण्डनीय अपराध है, फिर भी गाजीपुर उक्त तालाबों का उपयोग कुछ दबंगों द्वारा अपने निजी हित में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है और किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है।

गाटा संख्या-1408, रकबा 2.886 हेक्टेयर, 1447 रकबा 0.675 हेक्टेयर, 1472 रकबा 2.132 हेक्टेयर, 1450 रकबा 0.666 हेक्टेयर, 1947 रकबा 2.694 हेक्टेयर, 1365 रकबा 0.959 हेक्टेयर, 1496 रकबा 0.640 हेक्टेयर, 1332 रकबा 0.413 हेक्टेयर, 1405 रकबा 0.339 हेक्टेयर, 1407 रकबा 0.802 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या-1991 रकबा 2.060 हेक्टेयर।

अस्तु लोक महत्व के इस सूचना पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

आगरा कैण्ट के सोहल्ला क्षेत्रान्तर्गत टूटी हुई नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

[महोदय, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि आगरा शहर के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट के सोहल्ला की नई आबादी में लक्ष्मी नरायण कुशवाहा के घर के सामने दो गलियां लम्बे अर्से से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं जिलाधिकारी व नगर आयुक्त से कई बार मिल कर बात की एवं पत्र भी भेजा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, किन्तु आज गलियां नहीं बन सकी जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त गलियों का निर्माण यथाशीघ्र कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर खीरी की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार लाला-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, उदारा गांव से आलपुर होते हुए काना खेड़ा तक की रोड़ अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इसका पुनर्निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। मान्यवर, आलपुर से काना खेड़ा के बीच में एक नदी है जिस पर पुल का निर्माण होने से लगभग 40 गांवों की दूरी काफी कम हो जायेगी।

अतः उक्त प्रकरण पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी में गोला से अलीगंज तक के सड़क की जीर्ण-शीर्ण हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र गोला की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद गोला से अलीगंज, अलीगंज से विजुआ जिसकी दूरी लगभग 29 कि0मी0 है ये रोड अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये रोड लखीमपुर से भीरा होते हुए दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ती है। ये सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। ये जनपद शाहजहांपुर को दुधवा से जोड़ने का भी काम कर रही है। इस रोड के जीर्ण-शीर्ण होने से आवागमन में जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे जनमानस काफी आक्रोश है।

अतः उक्त गम्भीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कस्बा कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सबसे बड़ी हाटा तहसील है इस क्षेत्र में आने वाले जिले का सबसे बड़ा गांव सभा सुकमहा खोटही पगार छपछपरा, लालाछपरा अवरही छपरा, मुंसरगंज सहित अधिक जनसंख्या वाले गांवों की दूरी जिला मुख्यालय से अधिक दूरी तहसील मुख्यालय की है जनता को काफी दूरी करके अपने तहसील मुख्यालय हाटा जाना पड़ता है कप्तानगंज वर्ष 1917 की नगरपंचायत है जहां रेलवे जंक्शन चीनी मिल कप्तानगंज डिस्टेलरी अनेक डिग्री कालेज, बैंक व अनेक प्रतिष्ठान स्थित हैं। कप्तानगंज को पूर्व में ही तहसील बनाये जाने की मांग मा0 मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से ही प्रस्तावित है जिसमें बसपा शासनकाल के अन्तर्गत मानक का बहाना बनाकर निरस्त कर दिया गया था जनहित में कप्तानगंज को तहसील बनाया जाना आवश्यक है, चुनाव के समय मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने की मांग कही थी।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त स्थान पर तहसील बनाये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में 'पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां' योजना में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

विषय :-पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलायी जा रही यह महत्वपूर्ण योजना जो बेटियों को समाज में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलायी जा रही हैं। इसमें पात्र छात्राओं का चयन कर लिया गया है, परन्तु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण सभी पात्र छात्राओं को धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जिससे सरकार की मंशा पूर्ण नहीं हो पा रही है। लखनऊ जनपद में लगभग 2500 छात्राएं पात्र पायी गयी हैं परन्तु मात्र 561 छात्राओं को पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के अन्तर्गत धनराशि दिये जाने की अधिकारियों की योजना हैं। यही क्रम लगभग प्रदेश के सभी जनपदों का है। सभी पात्र छात्राओं को धनराशि उपलब्ध न हो पाने के कारण इनकी अभिभावकों एवं छात्राओं में रोष व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार को तत्काल कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित कौथला झील व कल्याणपुर झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी किनारे दो प्राकृतिक पौराणिक झील कौथला व कल्याणपुर के नाम से ग्राम शाहपुर चौधरी व ग्राम कल्याणपुर में स्थित है। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार बृजघाट-गढ़मुक्तेश्वर का पयर्टन स्थल विकास हरिद्वार की तर्ज पर किया जाना है। उपर्युक्त झीलों के सौन्दर्यीकरण हेतु मैं सरकार से आग्रह करता हूं तथा कार्यवाही हेतु ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा खरगीपुर में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रपाल सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से जनपद आजमगढ़ की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा-खरगीपुर के ग्रामवासियों में वर्तमान ग्राम प्रधान की कार्यशैली से काफी रोष व्याप्त है। ग्राम प्रधान एवं सचिव की मिली भगत से सरकारी धन की बंदर-बांट की जा रही है। आधे-अधूरे कार्य जैसे-पक्की नाली, चकरोड, खड़ंजा आदि कुछ नाम मात्र कार्य करा कर पूरा धन निकाल लिया जा रहा है। उक्त ग्राम सभा में इन्दिरा आवास कमीशन लेकर दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान द्वारा अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा कराये गये कार्यों को अपने द्वारा कार्य दिखाकर, सरकारी धन लूट रहे हैं। जिससे समस्त ग्रामवासियों में काफी असंतोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनहित में शासन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, गंगा यमुना महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय के अन्तर्गत 2011 से मिली हुई है। विश्व विद्यालय के नियमानुसार पठन-पाठन की क्रिया हेतु 2 साल के अन्दर शिक्षक का अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। इसको ध्यान में रखते हुए गंगा यमुना महाविद्यालय ने 22-02-2013 को शिक्षक अनुमोदन करवाया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा करवाने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी और बच्चों का प्रवेश-पत्र भी वितरित हो चुका था। किन्तु अब विश्वविद्यालय प्रशासन गंगा यमुना महाविद्यालय की वार्षिक परीक्षा स्थगित करने का आदेश कर दिया है। जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। चूंकि परीक्षायें 1-4-2013 से अनिवार्यतः शुरू होने जा रही है। इसके पूर्व गंगा यमुना महाविद्यालय के आदेशानुसार शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरवाई है और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संस्तुति दी और छात्रों को परीक्षा प्रवेश-पत्र भिजवा दिया गया और महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाकर परीक्षा कराने के लिए कापी भिजवा दी गयी। परीक्षा क्यों रोकी गयी।]

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए छात्रों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाने के लिए परीक्षा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय-

[मान्यवर,

आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड हसायन में कई गांव की सड़कें अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं एवं उक्त सड़कों पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। वारिश के दिनों में उक्त सड़कों पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। इन सड़कों पर हजारों ग्रामवासी, क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। सम्बन्धित सड़कों का विवरण निम्नवत् है :-

1-नवीपुर मोड़ से अल्हैदीनपुर से रामपुर मार्ग तक।

2-पुरदिल नगर मार्ग से खेड़िया कला मार्ग तक।

3-पी0वी0 मार्ग से रामनगर मार्ग तक।

4-नगलारति से धुवई होते हुए लोधीपुर नगलाविजन मार्ग तक।

5-जिरोलीकला जिरौली खुर्द राजमार्ग से नगलाधोवी तक।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के गांव दियोरियाकला में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त स्थान पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय,

जनपद पीलीभीत के गांव दियोरियाकला के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्री का एक स्थान अनुसूचित जाति हेतु वर्ष 2006 से रिक्त चला आ रहा है। जिसको परिवर्तित कर सामान्य कर दिया गया है। इस प्रकार का कारित किया जाना अनु0जाति/जनजाति निवारण अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विहित दण्डात्मक व्यवस्थाओं के अनुरूप दण्डनीय कृत्य है। इससे भी अधिक आपत्तिजनक आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर पात्र की उपेक्षा करके अपात्र की नियुक्ति कर दी गयी है सबसे आश्चर्यजनक यह है कि जिसकी नियुक्ति हुई है उससे तो भारी कमाई की गयी होगी ही लेकिन पात्र को नियुक्ति से वंचित करने के उपरान्त भी 25 हजार रु0 वसूला गया है। इस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में वार्ता की गयी जो कि मोबाइल दूरभाष पर टेप भी की गयी है। तंत विषयक अनेकों आवेदन देकर सम्बन्धित अधिकारिताओं को कार्यवाही हेतु अपेक्षा की गयी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करी गयी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

[11.03 बजे] नियम-51 की समस्त सूचनाओं को स्वीकार किये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 अभी बना नहीं है, लास्ट में आता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

जब बन जाय तो यह अधिकार हम पूरे सदन से आपको दे रहे हैं कि जब बन जाय तो सब स्वीकृत कर दें।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन, मौर्य जी ने कुल 77 सूचनायें स्वीकार कराई। कल ही मैंने कहा था कि जो आप दे रहे हैं इनको छोड़कर कल सबका स्वीकार होगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आपके दिशा-निर्देशन में इतना शांतिपूर्ण और संयमित तरीके से सदन चला है, सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्यों ने बहुत सहयोग किया है उसको देखते हुए आपकी सदाश्यता होनी चाहिए आज भी जितनी भी सूचनायें आती हैं उस पर आप कृपापूर्वक सबका संज्ञान लेते हुए आज कर दें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कल मौर्य जी का दिन था।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, कल आपने नेता प्रतिपक्ष का इतना सम्मान रखा हम सब लोग इसके लिए आभारी हैं आज उनका सम्मान कम क्यों हो मान्यवर, आज भी उनका कहा सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर सत्ता और विपक्ष सहमत हो तो मैं मान लेता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब जिनको जवाब देना वह भी तैयार और जिनको जवाब लेना वह भी तैयार तो चलिये खत्म करिये।

कार्य-सूची की मद संख्या-1 से 5 तक के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को आने में थोड़ा विलम्ब है, तब तक ये विधेयक ले लिये जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

ले लिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

एक जो यह वेतन भत्ता वाला विधेयक है, यह तो शाम को लिया जाय अंतिम समय में इसको पहले न लिया जाय। हम यह अभी मद संख्या-1, 2, 3, 4 तथा 5 को स्थगित करते हैं।

[11.04] उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 मार्च, 2013 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

[11.05] जनपद आगरा के बड़ा उखर्रा कलुवा लम्बरदार के धर्मशाला से शहीद मोहन सिंह की मूर्ति तक लगभग 200 मीटर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सोनू बघेल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के बड़ा उखर्रा कलुवा लम्बरदार के धर्मशाला से शहीद मोहन सिंह की मूर्ति तक लगभग 200 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सोनू बघेल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

[11.06] जनपद आगरा शहर ताजमहल के निकट सेवाला सरांय में 100 मीटर सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जय किशोर आनन्द आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद आगरा शहर ताजमहल के निकट सेवाला सरांय में 100 मीटर सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जय किशोर आनन्द व श्री महेन्द्र आनन्द निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के बिजलीघर के पास स्थित रविदास नगर में लगभग 100 परिवारों की उजाड़ी गयी झुग्गी-झोपड़ी के गरीब असहाय परिवारों को सरकारी योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जुगनू पिप्पल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद आगरा के बिजलीघर के पास स्थित रविदास नगर में लगभग 100 परिवारों की उजाड़ी गयी झुग्गी-झोपड़ी के गरीब असहाय परिवारों को सरकारी योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जुगनू पिप्पल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा शहर ताजमहल के निकट जगनेर रोड से नगला ऊदा, नगला प्यारे होते हुए सोहल्ला तक सड़क व नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमपाल कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद आगरा शहर ताजमहल के निकट जगनेर रोड से नगला ऊदा, नगला प्यारे होते हुये सोहल्ला तक सड़क व नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमपाल कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान व विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव रफियाबाद कलान, लक्ष्मणपुर व कबरा पश्चिमी में रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जीतेन्द्र शाक्य व श्री राम कुमार राठौर निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री नीरज कुशवाहा 'मौर्य'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान व विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव रफियाबाद कलान, लक्ष्मणपुर व कबरा पश्चिमी में रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जीतेन्द्र शाक्य व श्री राम कुमार राठौर निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद वाराणसी में तारकेश्वर मन्दिर एवं उसकी भूमि का बैनामा कराने हेतु मन्दिर निधि से अनावश्यक रूप से निकाले गये 28 लाख रुपये को काशी विश्वनाथ मन्दिर की निधि में वापस कराये जाने विषयक श्री सतरुद्र प्रकाश निवासी जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद वाराणसी में तारकेश्वर मन्दिर एवं उसकी भूमि का बैनामा कराने हेतु मन्दिर निधि से अनावश्यक रूप से निकाले गये 28 लाख रुपये को काशी विश्वनाथ

---

† छापी नहीं गयीं।

मन्दिर की निधि में वापस कराये जाने विषयक श्री शतरुद्र प्रकाश निवासी जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 कुछ नहीं है।

उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए कतिपय विधेयकों को पुरःस्थापन, विचार एवं पारण हेतु आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है और सदन की अनुमति की भी उसमें आवश्यकता है। यदि सदन सहमत हो तो आज दिनांक 22 मार्च, 2013 को निम्न विधेयक यथा प्रस्तावित है, उसे ले लिया जाय।

(1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदों को प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को शिथिल करते हुए आज ही ले ली जायं। अब प्रश्न रख देते हैं।

प्रश्न यह है कि विचार एवं पारण सम्बन्धी मदों को प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को शिथिल करते हुये आज ही ले ली जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब इसे इन्ट्रोड्यूस करा दें।

[11.08] उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पहले विधेयक को पुरः स्थापित करने की सदन से अनुज्ञा तो मांगी जाय।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी पहले अनुज्ञा मांग लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 4-4-2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरः स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-सूची की शेष मदों को बाद में लिए जाने का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

कार्य-सूची की शेष मदों को बाद में लेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी आ गए हैं इसलिए यदि आप लोग सहमत हों तो पहले चर्चा शुरू करा दें।

(सदन ने इस पर सहमति व्यक्त की)

[11.9] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान-84 सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप संक्षेप में उत्तर भाषण प्रस्तुत करें।

आज आखिरी दिन है इसलिए ऐसे ही खुशी के माहौल में हम लोग उठें इसका ध्यान सभी माननीय सदस्यों को रखना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देश और होली के मौसम को देखते हुए मैं कोई शब्दबाण नहीं चलाऊंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

सिर्फ शब्द से ही काम चलाइए कोई बाण मत चलाइएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं शब्द से ही काम चलाऊंगा। अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पुलिस पर कल से लगातार चर्चा चल रही है और मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विभाग पर सदन के दोनों पक्षों के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मान्यवर, नेता भाजपा श्री हुकुम सिंह जी, नेता कांग्रेस श्री प्रदीप

---

† दिनांक 4-4-2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

माथुर जी नेता लोकदल श्री दलबीर सिंह जी सहित हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई जिसमें प्रमुख रूप से राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेन्द्र सिंह राणा जी बसपा के श्री राजेश त्रिपाठी जी सपा के श्री सत्यवीर मुन्ना जी, पुनः बसपा के श्री कालीचरण सुमन जी, सपा के देवेन्द्र अग्रवाल जी भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य जी सपा के अरुण वर्मा जी, लोकदल के श्री त्रिलोकी राम जी, सपा के जाहिद बेग जी, कांग्रेस से श्री दिलनवाज खान जी, कांग्रेस से श्री दलजीत सिंह जी, सपा के श्री अलगू प्रसाद चौहान जी, बसपा के श्री गजेन्द्र सिंह जी, माननीय मंत्री श्री गायत्री प्रसाद जी, कांग्रेस के श्री नदीम जावेद, भाजपा की सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, बसपा के श्री रामवीर उपाध्याय जी, अतिरिक्त ऊर्जा राज्य मंत्री श्री विजय कुमार मिश्र जी, जन्तु उद्यान राज्यमंत्री श्री शिव प्रताप यादव जी, सपा के श्री मदन चौहन जी, भाजपा की श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, सपा के श्री पूर्णमासी देहाती जी, सपा के श्री अब्दुल मशहूद खां जी, निर्दलीय से श्रीमती रूबी प्रसाद जी, सपा के श्री श्याम बहादुर यादव जी, लोकदल के श्री पूरन प्रकाश, कांग्रेस के डा0 मो0 मुस्लिम जी, भाजपा के श्री सुरेश राणा जी और बसपा के श्री लोकेश दीक्षित जी आदि तमाम माननीय सदस्यों ने बढ़-चढ़ करके हिस्सा लिया। मान्यवर, इसकी महत्ता अपने आप इससे स्पष्ट होता है कि इतने माननीय सदस्यों के चर्चा में भाग लेने के बावजूद भी अभी बहुत से माननीय सदस्य रह गये हैं जो लिखित रूप से अपना प्रतिवेदन आपको देंगे और वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा। मान्यवर, कल से हम लोग लगातार यहां पर चर्चा कर रहे हैं और प्रायः यह देखा जाता रहा है कि जब भी विधान मण्डल का सत्र चलता है, उत्तर प्रदेश का शासन-प्रशासन भी चुस्त रहता है और कानून-व्यवस्था भी चुस्त रखने की लोग कोशिश करते हैं लेकिन धीरे-धीरे अधिकारियों में यह भय समाप्त होता जा रहा है। अब चाहे विधान मण्डल का सत्र चले और चाहे विधान मण्डल का सत्र न चले अधिकारियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, उन्मुक्त रूप से उनकी काम करने की आदत बन गई है जिसके नाते लचर कानून-व्यवस्था और प्रशासन समय-समय पर लोगों के सामने आता है। मान्यवर, जब हम कल यहां कानून-व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय बाराबंकी के थाना सतरिख में सोहन लाल गौतम को डम्पर से कुचल करके मार दिया गया। मात्र उसका दोष यह था कि उसकी दो बीघे जमीन से लोगों ने मिट्टी निकलवाई, खुदाई की और खुदाई होने के बाद जब उसने पैसा मांगा तो उसको पैसा देने के लिए घर पर बुलाया और घर पर डम्पर से रौंदवा करके उसकी हत्या करा दी गई। मान्यवर, इसी प्रकार से कानून-व्यवस्था पर चर्चा के दौरान भी कानून-व्यवस्था के रखवाले सावधान नहीं हुए और कल आगरा पुलिस पर हमला हुआ जो तमाम ऐसे सिरफिरे लोगों के बुलन्द हौसले को जाहिर करता है कि उनको न तो कानून का भय है और न पुलिस का भय है और न शासन का भय है और न ही प्रशासन का भय है।

मान्यवर, यही नहीं अभी लगातार हम दुराचार से सम्बन्धित घटनाओं पर चिन्ता जाहिर करते रहे हैं, हमारी संस्कृति रही है कि हम नारी सम्मान करें और नारी सम्मान के प्रति समाज को सावधान करें। दुराचार, बलात्कार तथा अन्य जो भी अश्लील हरकतें हैं उन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और एक सभ्य समाज का आइना उत्तर प्रदेश का जाना चाहिए। यही हमारी आदि से संस्कृति रही है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

नारी का सम्मान सदैव रहा है, कभी देवियों के रूप में और कभी तमाम बड़ी-बड़ी विदुषी के रूप में और इसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के तमाम विद्वानों ने कहा था-

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा व न विविक्तासनोभवेत्।
बलवन्द्रियग्रामो कर्षन्ति विद्वान्सोऽपि।।

यानी कि इस प्रकार की जो विकृतियां आ रही हैं, शासन-प्रशासन को इस पर सावधान होना चाहिए और सरकारों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। आज टी0वी0, विशेष रूप से समाज को दूषित करने की एक अहम् भूमिका निभा रहा है। सकारात्मक समाचार आये, सकारात्मक प्रचार और प्रसार आये लेकिन नकारात्मक भूमिकाएं टी0वी0 के माध्यम से देकर समाज को दूषित करने की जो तमाम कार्यवाहियां चल रही हैं इस पर सरकार को समय-समय पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी विकृतियों पर रोक लगाना चाहिए। मान्यवर, आपके माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं आज चिन्ता हो रही है इस सदन में, सभ्य समाज में। .....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना है तो आप लोग एक घण्टा बाद में आयें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सभ्य समाज की कल्पना करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम नारी को सम्मान देने का संकल्प लेते हैं और उसी के बाद जब उनके साथ कहीं दुराचार, बलात्कार की घटनायें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं हम शर्मिन्दा होते हैं और मान्यवर, अभी मूढ़ापांडे मुरादाबाद में कल ही एक युवती को दुराचार में असफल होने पर उसे जलाकरके मार दिया गया। इसी प्रकार से जब हम कल यहां कानून-व्यवस्था पर बात कर रहे थे तो एक स0पा0 नेता केशव यादव जी की हत्या नदेश्वर गांव के पास चन्दौली में कर दी गयी। यानि हम जब यहां कानून-व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं उसके बावजूद भी आज उनको यह भय नहीं है कि सदन में इस पर वार्ता चल रही है, मुख्य मंत्री जी को जवाब देना पड़ सकता है, वहां सदन के अन्दर हमको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। आज उनको भय नहीं है और यह उनका रोजमर्रा का कार्य हो गया है और उसके मुताबिक वह अनवरत आगे बढ़ता जा रहा है। यही नहीं सीतापुर के अटरिया में कल ही शाम को एक किशोरी लौट रही थी उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया और इसी प्रकार से बिठूर, कानपुर में कल ही एक लड़की के साथ दुराचार किया गया।

श्री अध्यक्ष-

दुराचार की घटनाओं को लिखकर दे दीजिए, प्रोसीडिंग में आ जायेगा। मौर्या जी, यहां तमाम महिलायें हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ठीक है। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली में वहां श्यामलाल जायसवाल और उनकी पत्नी दोनों की हत्या कर दी गयी। तो मान्यवर, हमने इसको दृष्टांत के रूप में इसलिए रखा कि आज कानून के रखवाले निश्चिंत हैं, उनको न सदन की गरिमा की चिंता है, न माननीय मुख्य मंत्री का भय

है, न कानून का भय है, न उनको यह भय है कि हमारी जवाबदेही है या नहीं है जिससे आज वह निश्चिंत हैं। आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ती जा रही है और लगभग 22 करोड़ के करीब हमारी आबादी पहुंचने जा रही है लेकिन थाने बहुत पहले के बने हुए हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष नये थानों के सृजन का भी चिन्तन करना होगा। क्योंकि हमारी बड़े पैमाने पर आबादी बढ़ी है लेकिन जो हमारे थानों का निर्माण है वह लगभग 10-20 साल पहले की प्रक्रिया के तहत बने हुए हैं, बढ़ती हुई आबादी के परिपेक्ष्य में जो थानों की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए तथा बड़े पैमाने पर थानों का सृजन होना चाहिए, आज उस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसको भी संज्ञान में ले करके, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। मान्यवर, आज कहीं-कहीं ऐसे भी दिन आते हैं जब मा0 मंत्रियों को अधिकारियों के सामने कहीं न कहीं नीचा देखना पड़ता है, कहीं न कहीं वह अपने को नर्वस पाते हैं अधिकारियों के सामने। कहीं-कहीं आज मंत्रियों की भी हालत बद से बदतर नजर आती है। इसलिए मान्यवर, यह जो सरकार और शासन-प्रशासन में सामंजस्य है, जो शासन-प्रशासन में आपस में तालमेल होना चाहिए इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि इसमें आज क्वार्डिनेशन का अभाव है, इस क्वार्डिनेशन के अभाव को खत्म करने के लिए कोई न कोई पहल किये जाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि आज जो विभाग हैं, विभागों को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए हर जगह पर पूर्णकालिक सक्षम अधिकारियों को देना होगा। अगर वहां पर पूर्णकालिक सक्षम अधिकारी नहीं होंगे तो स्वभाविक रूप से जब पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होता है तो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने से मुकरता है। इसीलिए आज बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जैसे बड़े-बड़े विभागों को आज तक पूर्णकालिक डायरेक्टर नहीं मिल पाया है। मान्यवर, यद्यपि कल मा0 मुख्य मंत्री जी ने कई डायरेक्टर बनाये लेकिन अभी भी सभी विभागों में जो पूर्व में अलग-अलग डायरेक्टर होते थे, चूंकि आज मान्यवर, केवल इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 65 लाख है। जब आज इतने बड़े पैमाने पर छात्र और छात्रायें शिक्षा ले रही हैं, इण्टर कालेज और बेसिक शिक्षाओं में बड़े पैमाने पर छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इन पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए, इसको सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए स्वभाविक रूप से उनमें पूर्णकालिक अधिकारी होने की आवश्यकता है और स्वाभाविक रूप से हम कहीं न कहीं उसमें भी असफल हुए हैं और हमारी असफलता का नाजायज फायदा अधिकारी उठाते हैं और कभी-कभी हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी के और माननीय मंत्रिगणों की आंख में धूल झोंक करके वह अपनी मनमानी करने में सफल हो जाते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह जो सरकार का इकबाल है वह लौटना चाहिए। हम अम्बिका चौधरी जी की ओर इंगित करना चाहते हैं कि यह जब विपक्ष में थे, हमेशा सरकार के हिमायती रहते थे और हमेशा कहते थे कि सरकार लाठी डंडे से नहीं चलती है, सरकार लाठी डंडे से नहीं चलती है, सरकार बन्दूक और कट्टे से भी नहीं चलती है। सरकार, सरकार के इकबाल से चलती है अगर सरकार का इकबाल खत्म हो जायेगा तो स्वाभाविक रूप से अधिकारी बेलगाम हो जायेंगे। शासन प्रशासन का तालमेल खत्म हो जायेगा, और मनमानापन की बढ़ोत्तरी हो जायेगी और साथ ही साथ आज जिस प्रकार से अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है वह निरन्तर बढ़ता जायेगा। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसलिये वह जो सरकार का

इकबाल है, सरकार की हनक है वह आना चाहिए। मान्यवर, बात कभी-कभी यहां पर आती है कि कानून का भय नहीं, कानून का सम्मान होना चाहिए। सम्मान तो वह लोग करते हैं जो कानून की परिभाषा समझते हैं। अगर कानून का सम्मान करना लोग जान जाते तो हम समझते हैं कि अपराध वह लोग करते ही नहीं। अपराध करते हैं इसका मतलब उनको कानून के सम्मान में कोई यकीन नहीं है। जिनका कानून के सम्मान में कोई यकीन नहीं है वह सम्मान की बात नहीं समझेंगे, वह भय की बात समझेंगे। कानून का भय होना चाहिए। भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त और अपराधमुक्त और मान्यवर, यहां पर आज समाज बनाने के लिये आवश्यकता है और इसके लिये कहीं न कहीं कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। कहीं न कहीं अपने और गैर का जो भेदभाव है उसको खत्म करना होगा। जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके न्याय सबको समान रूप से देना होगा।

कानून के सामने सभी बराबर है। कानून के सामने न कोई ऊंच है न नीच है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई पार्टी है, न कोई जाति है न कोई धर्म है न कोई मजहब है। न्याय के सामने और कानून के सामने संविधान के सामने सभी समान हैं। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। इस धर्मनिरपेक्ष देश में हमारी मूल भावना है **'हिन्दु मुस्लिम सिक्ख ईसाई सब हैं आपस में भाई-भाई।'** जब हमारी यह जो व्यवस्था है, हमारी यह परम्परा है। यही नहीं आपकी भी परम्परा रही है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा ही दर्शन है, जो पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया है। इसलिये मान्यवर, इसको हम मजबूत तरीके से अमली जामा दे सकें इसलिये आवश्यक है इस पर कड़ाई के साथ पेश आने की। कानून को सख्ती से लागू करवाने का, कानून की अवहेलना करने वाले लोगों को दंडित कराने का। जब तक सरकार के पास मजबूत इसका मानसिक रूप से तैयारी नहीं होगी हम समझते हैं कि वह कहीं न कहीं बाधित होती रहेगी। आज मान्यवर, बड़े पैमाने पर तमाम ऐसी स्थितियां आई इस सदन में, हम लोगों ने इस सदन में चर्चा किया समय-समय पर और सरकार के लोगों ने भी उस बात को स्वीकारा। आज विशेष रूप से कहना है कि यह हमारा उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य प्रदेश है। यहां पर आज भी तमाम तरक्की, बेहतरी और तकनीकी विकास के बावजूद भी आज भी हम यहां पर 80-85 फीसदी लोग अभी भी खेती पर निर्भर रहते हैं। जब खेती पर निर्भर रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका जो मुख्य आधार है कृषि उपज, कृषि उपज का लाभ किसानों को जाना चाहिए और विशेष रूप से किसानों की पक्षधर भी यह पार्टी रही है। और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी जो धरती पुत्र कहलाते रहे हैं हमेशा किसानों के पक्षधर रहे हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित आज समाजवादी पार्टी है लेकिन किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे गन्ना किसान हो, चाहे गेहूं किसान हो, चाहे धान किसान हो जब-जब क्रय केन्द्रों पर जाते हैं तो यह बिचौलियों का शिकार होते हैं और उनके साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफी की जाती है। आज किसान मारा-मारा फिरता है और साथ ही साथ घटतौली का शिकार अलग होता है। इस पर नकेल लगाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ आज यह जो तमाम कमियां आई हैं, क्योंकि अभी एक साल की सरकार है। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी तक तो आप बचे थे क्योंकि पहले 6 महीने का समय इसलिये कि नई-नई सरकार थी, नये-नये मुख्य मंत्री थे। लेकिन अब एक साल का समय बीत गया है। एक साल के बाद अब धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की जनता की जवाबदेही को आपको सुनिश्चित कराने का वक्त आ गया है। अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा, कोई हीला-हवाली

भी नहीं चलेगी और आपसी मंत्रि-मंडल का चाहे टकराहट हो, चाहे अधिकारियों के साथ दूरियां हों, इसको खत्म करके एक सकारात्मक पहल करनी होगी। सकारात्मक पहल के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो तमाम आज नाइंसाफियां हो रही हैं, अन्याय हो रहा है, जुल्म ज्यादतियां अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाना होगा। तमाम सीधे-साधे लोग जो कहीं न कहीं राजनैतिक द्वेष भावना के शिकार बनाये जा रहे हैं.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और उन पर फर्जी मुकदमें लगाए जा रहे हैं इस पर रोक लगाना होगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

12.00 बजे विनियोग विधेयक आना है।

श्री अध्यक्ष- अब मौर्या जी संक्षेप करें। (शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिए मैं केवल इतनी अपेक्षा करूंगा मुख्य मंत्री जी कि अब वक्त आ गया है कड़ाई से पेश आने का, सारी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का, चाहे सामान्य प्रशासन हो, चाहे कानून-व्यवस्था हो, इसको ठीक पटरी पर लाने का, वरना आप जानते हैं कि आपको यहां आने में और मुझे वहां जाने में ज्यादा विलम्ब नहीं लगेगा और 2014 के चुनाव के बाद उसकी शुरूवात हो जाएगी। (शोर) इन्हीं शब्दों के साथ तमाम मा0 सदस्यों ने चाहे सत्तापक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों जो भी सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था की चर्चा में भाग लिए हैं उनको धन्यवाद देते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

(मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव के खड़े होने पर)

(मेजें थपथपाई गईं)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष और बी0जे0पी0 नेता माननीय हुकुम सिंह जी, कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर जी, आर0एल0डी0 नेता श्री दलवीर सिंह जी, सरकार के मंत्री श्री योगेश प्रताप जी, माननीय सदस्य अजय कुमार जी, मा0 मंत्री राजेन्द्र सिंह राणा जी, मा0 राजेश त्रिपाठी जी, मा0 सत्यवीर मुन्ना, मा0 कालीचरण सुमन जी, मा0 देवेन्द्र अग्रवाल, मा0 केशव प्रसाद, मा0 अरूण वर्मा, मा0 त्रिलोकी राम, मा0 जाहिद वेग, मा0 दिलनवाज खां, मा0 दलजीत सिंह जी, मा0 अलगू प्रसाद चौहान, मा0 गजेन्द्र सिंह, मा0 सिंचाई मंत्री जी, मा0 गायत्री प्रसाद जी, मा0 नदीम जावेद जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्री रामवीर उपाध्याय जी, मा0 विजय कुमार मिश्र, मा0 मंत्री शिव प्रताप यादव, मा0 सदस्य मदन चौहान, मा0 श्रीमती सीमा, मा0 सदस्य पूर्णमासी देहाती जी, मा0 सदस्य अब्दुल मसूद, मा0 सदस्य रुबी प्रसाद, मा0 सदस्य श्यामबहादुर, मा0 सदस्य पूरन प्रकाश, मा0 सदस्य मो0 मुस्लिम, मा0 सदस्य सुरेश राणा, मा0 सदस्य लोकेश दीक्षित, से लेकर बड़ी संख्या में मा0 सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया मैं उनका धन्यवाद् देता हूं और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं।)

क्योंकि कानून-व्यवस्था ठीक रहे और कानून-व्यवस्था प्राथमिकता पर हो यह विचार हर तरफ से आया है कानून व्यवस्था से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं खुशहाली, तरक्की, निवेश और सरकार की छवि, कोई कितनी भी अच्छाई कर ले और सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हों और एक घटना हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सरकार अकेली होती है और सरकार को घेरने के लिए सब विपक्ष, यह लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत पत्रकार भी हैं, मीडिया भी है तो कोई घटना होगी तो उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार अकेली खड़ी रहती है और सब तरफ से घेरी जाती है, इस मौके पर मैं भरोसा दिला सकता हूं समाजवादी पार्टी सरकार की कोशिश रही है कि कानून-व्यवस्था उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता पर हो, कठोर फैसले लिए जाएं, ठोस कार्यवाही हो और जो लोग कानून-व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, कानून-व्यवस्था के बाहर जा रहे हैं, कानून को न मानने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो, जैसा माननीय सदस्य हुकुम सिंह जी ने कहा उन्होंने अपना भाषण शुरू होते ही कहा कि आम जनता को महसूस होना चाहिए, जो उनके शब्द थे आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव हो। इसी तरह हमारी समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में अपने लिखा था कि कानून-व्यवस्था का माहौल ऐसा बनायेंगे कि कोई भी व्यक्ति आम आदमी को टेढ़ी नजर से भी न देख पाए। एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जहां कहीं घटना हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है। सदन चला है, माननीय सदस्यों ने अगर संज्ञान में लाया है तो उस पर भी कार्रवाई हुई है और निष्पक्ष जांच करके जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई सरकार ने की है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं कि आज जो व्यवस्था खराब दिखाई दे रही है, हालांकि एक साल पूरा हो गया है, लेकिन 5 साल में जिस तरह से व्यवस्था खराब की है, समय लगेगा, उसको सुधारने में। ट्रान्सफर की बात की, कि ट्रान्सफर कैसे हो गए, ट्रान्सफर नीति आपकी क्या है ? जिनकी सरकार थी, सरकार से चले गए, वह जानते होंगे कि कितने लोगों को उन्होंने अपने घर के पास भी नहीं पहुंचने दिया। तमाम सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, किसी के पिता जी बीमार हैं, किसी के घर में कोई और सवाल है या किसी तरह की और बात है, परिवार का अकेला लड़का है, परिवार का अकेला सदस्य है, कोई दूसरी नौकरी कर रहा है। कई वर्षों तक इन्होंने किसी को कहीं जाने नहीं दिया और उसका भी कारण रहा कि ट्रान्सफर बहुत बड़े पैमाने पर हुए। कान्सटेबल, हेड कान्सटेबल 40 हजार इकट्ठे ट्रान्सफर हो गए और कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कान्सटेबल और हेड कान्सटेबल के ट्रान्सफर में किसी तरह की कोई अनियमितता बरती हो, 40 हजार इकट्ठे भेज दिए। प्रमोशन्स बहुत हुए, प्रमोशन्स की वजह से हम लोगों को बहुत सारे ट्रान्सफर करने पड़े। लगातार प्रमोशन हुए, वह सब जानकारी में है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं, यहां कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मुझे याद है, बाह थाने की बात, केवल एक एफ0आई0आर0 लिखाने के लिए वहां के लोगों ने आन्दोलन किया था। वहां के जितने भी दलों के नेता थे और वह इस पक्ष में थे कि एफ0आई0आर0 लिखी जाए, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ। वहां के लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया, हम लोग भी पहुंचे और बात इतनी आगे बढ़ी कि हम लोगों को थाने के आगे भी बैठना पड़ा। थाने के बाहर बैठे, तब भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई और उसके बाद हम लोग थाने में रात भर गुजारे हैं। रात भर थाने में रहना पड़ा और केवल एफ0आई0आर0 लिखाने के लिए। हम तो अकेले नहीं थे, उस समय के नेता प्रतिपक्ष, और जो आज लोक निर्माण मंत्री हैं, यह भी थे, उस समय पूर्व सांसद थे, आज मंत्री हैं,

राजा अरिदमन सिंह जी, वह भी थे और क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। थाने में रात गुजारनी पड़ी, पूरे थाने के साथ और पूरे पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी थे, सब पहुंच गए, लेकिन एफ0आई0आर0 हम लोग दर्ज नहीं करा पाए, पूरी रात रुकने के बाद भी। दूसरे दिन भी हम लोगों को जाम लगाना पड़ा, शान्तिपूर्ण ढंग से हम लोग बैठे रहे और उसके बाद भी दूसरे दिन भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई और कितना लाठी, कितने अपमान का काम इनकी सरकार ने किया था, जो लोग गाड़ी से आए थे पुलिस के इशारे पर उन्होंने सबकी गाड़ियां तोड़ दी थीं, शीशे तोड़ दिए थे, केवल एक मात्र एफ0आई0आर0 लिखाने के लिए और जब जानकारी करते थे, अधिकारियों से तो कहा यह जाता था कि अभी एफ0आई0आर0 लिखी नहीं जा सकती है, कहीं से उन्हें जानकारी करनी पड़ेगी। हर आधे घण्टे में वह अधिकारी फोन करते थे और पूछते थे कि एफ0आई0आर0 दर्ज करें कि न करें, आगे की कार्यवाही क्या करें ? अब वह अधिकारी जो थाने में एस0ओ0, सिपाही, सी0ओ0 थे, वह नेता प्रतिपक्ष बता सकते हैं कि वह कहां पर पूछते थे और कब एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बारे में कौन निर्देश दे रहा था ? एफ0आई0आर0 हम लोग दर्ज नहीं करा पाए। इसी तरह से हमारे कन्नौज के लोग, याद होगा, जानते होंगे, हमारे पुराने समाजवादी नेता, सदन के भी सदस्य रहे हैं, कप्तान सिंह यादव जी, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके ऊपर और हमारे ऊपर तहरीर क्या दिलवायी गयी थी ? उनके बेटे अरविन्द जी बैठे हैं, आज सदस्य हैं, वह। इन बहुजन समाज पार्टी के लोगों की तरफ से क्या तहरीर दिलवाई गई थी, वह शायद नेता प्रतिपक्ष भूल गए होंगे, डकैती और छेड़खानी की थाने में तहरीर दिलवाई गई थी। दो तहरीर, एक हमारे नाम पर और एक जो 85 साल की उम्र थी, उनकी। मैंने मजाक में उनसे कहा ऐसा करिये अध्यक्ष जी, लूट का हम पर लगवा दो दूसरा मुकदमा आप रख लो और उस समय हम लोग कैसे बचे हैं वह हम ही लोग जानते हैं। इसी तरह से छात्रों का आन्दोलन था। नौजवानों ने छात्रसंघ को लेकर एक आन्दोलन कर दिया था। वह मंत्रियों से पूछना चाहते थे कि जब आपने सदन में आश्वासन दिया था कि छात्रसंघ बहाल होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, छात्रसंघ के नाम पर इन्होंने कितनी पिटायी करवाई किस तरह का व्यवहार पुलिस का था। और रात में हम जब उनको दवाई और खाना खिलाकर पट्टी वगैरह जो इंतजाम करना था करके चले गये उसके बाद पता नहीं कहां से फोर्स आयी कि अस्पताल से उन लड़कों को उठाकर रात के नौ बजे जेल भेज दिया था। कहां से निर्देश मिले थे। जब हम रात को धरने पर बैठ गये (पुलिस कप्तान के सामने) तो आदरणीय अहमद हसन साहब, आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हम लोग धरने पर बैठ गये थे क्यों लड़कों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। उन्हें छोड़ा जाय वह बीमार हैं उनकी हड्डी में सिर पर चोट है। और पुलिस ने मनमानी करके हम लोगों को बिठा लिया था और कहीं और ले जाने वाला था वह पुलिस का अधिकारी। सब लोगों को वहां से बांये ले जा रहे थे और हम लोगों को तीन नेताओं को गाड़ी में बैठाकर दांये ले जा रहे थे। किसी ने सूचना दी कि यह जिले के बाहर ले जाना चाहते हैं। पुलिस की एक ही गाड़ी में हम लोग बैठे थे आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी, अहमद हसन साहब और मैं। जब बहुत जबरदस्ती करके चाबी छीनी अधिकारियों से लड़ाई की तब पुलिस लाइन लेकर गये थे। रात के दो बजे की बात है। और कितना अन्याय किया है इन्होंने। मुझे खुद इन्होंने दो दिन में तीन बार गिरफ्तार किया है। और जब आन्दोलन था घर पर किस तरीके से इन्होंने घेरा है। 5 विक्रमादित्य घर,

नेता जी को, हम लोगों को किस तरीके से इन्होंने घेरा कितनी बेरिकेटिंग लगायी इन्होंने। तीन-चार दिन लगातार बेरिकेटिंग लगी रही। और अभी हमारे जो जेल मंत्री हैं उनसे गलती हो गयी कि वह पार्टी कार्यालय में रुक गये। तीन दिन पार्टी कार्यालय में रुके रहे और खाना पीना कैसे हुआ वह हम ही लोग जानते हैं चुपचाप कैसे इनके पास लड्डू भिजवा देते थे। तीन-चार दिन पार्टी कार्यालय में रहे। जिनको आप वर्दी वाला कह रहे हैं जो बिगड़ गये हैं तो आखिर उनको बिगाड़ा किसने है। उस पुलिस को बिगाड़ा किसने है। मुझे याद है आप पूछ लेना उन अधिकारी से जो मुझे एयरपोर्ट से उठाकर लेकर जा रहे थे एयरपोर्ट के अंदर सेंट्रल पुलिस के अलावा कोई नहीं जा सकता वहां आपकी पुलिस ने सेटिंग करके और मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस कानून के अंतर्गत एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गये थे। और एयरपोर्ट से मुझे उठाने का काम किया था। और जब मुझे गाड़ी में रखकर यह ले जा रहे थे तो मैंने उस अधिकारी से कहा कि हम इन तमाम मूर्ति पत्थर और स्मारक का विरोध कर रहे हैं। वह अधिकारी भूल गया वह जानता नहीं था कि वह क्या कह रहा है वह कह गया कि शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था। यह उस अधिकारी ने कहा था जो आपका बहुत खास अधिकारी था। और नहीं कहा हो तो आप पता कर लीजिए कि कहा था कि नहीं कहा था।

श्री सुदेश शर्मा-

आप कह रहे हैं तो कहा ही होगा।

श्री अखिलेश यादव-

उस अधिकारी ने कहा। इनके अधिकारी ने कहा कि जब शाहजहां ताजमहल बनवा सकता है तो हमारी नेता क्यों नहीं बनवा सकती।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

तो उसके लिए शाहजहां भी तो चाहिए।

(हंसी)

(श्री कमाल यूसुफ मलिक के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कमाल साहब बैठिये।

श्री अखिलेश यादव-

व्यवस्था को खराब किसने किया, पुलिस को खराब किसने किया। चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो। कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी तो पुलिस पर है। और पुलिस किस तरीके से इस्तेमाल की गयी। और जब आदरणीय आजम साहब सड़क से जा रहे थे और पता नहीं कहां से किस तरीके से आर्डर आया। ऊपर से आर्डर आया। ऊपर से आर्डर आया कि एक गाड़ी में, जो काली गाड़ी है, उसमें आतंकवादी जा रहे हैं और किस तरीके से घेरा था आपके पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों ने, तो ऐसी स्थिति पैदा की आपने। आपने पुलिस को अपनी पार्टी का कैडर बना दिया था और कैडर के हिसाब से आपने काम करवाने का काम किया था, केवल मैं नहीं कहता हूं, पूरा उत्तर प्रदेश, देश जानता है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं सभी जानते हैं, अगर कैडर बनाने का किसी ने काम किया था, तो यह बहुजन समाज पार्टी ने किया था। अपने कैडर के रूप में उनसे काम ले रहे थे

और कितना आतंक था, कितनी दहशत थी और उसी का कारण है कि आपको बाहर निकाल दिया गया, सत्ता से बाहर हो गये आप। सरकार की उपलब्धियां हैं, समाजवादी पार्टी के जो काम पिछली सरकार के थे, उसने सहारा दिया, नेता जी के नाम पर चुनाव लड़े हम लोग, लेकिन कहीं न कहीं आपकी दहशत थी जनता में, तानाशाही थी, जो आपकी पुलिस का रवैया था, लूट-खसूट, भ्रष्टाचार उसकी वजह से आप बाहर निकाले गये। पुलिस का अगर किसी ने मनोबल गिराया है, तो वह आपने बिगाड़ा है और किस तरीके से आपके समय में ट्रान्सफर पोस्टिंग होती थी और किस तरीके से किसको कहां बैठाया जाता था, एक ही दिन में किन-किन लोगों को कैसे-कैसे हटा दिया गया और यह मैं नहीं कहता, इण्डिया-टुडे मैगजीन ने लिखा था, कि आपने किन लोगों को चिन्हित कर के कहां-कहां फेंक दिया। इस तरीके से आपने बहुत सारा माहौल बिगाड़ा है, जो अधिकारी थे, यह सही कहा आपने, कभी आई0ए0एस0 ने आत्महत्या नहीं की होगी । इनकी सरकार में आई0ए0एस0 अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, याद होगा सी0एम0ओ0 की हत्या हो गईं, अगर कोई घटना हुई तो लोगों ने कहा कि सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए, हम और आदरणीय आजम साहब थे, उस गांव में, हम दोनों लोगों ने बात-चीत की और एक मिनट में फैसला ले लिया कि हां सी0बी0आई0 की जांच करायेंगे, कोई दूसरा सोंचना नहीं पड़ा हम लोगों को और सी0एम0ओ0 के मामले में आपने कितना वक्त लगाया। कोर्ट ने जब कहा तब जाकर मामले की सी0बी0आई0 जांच हुई। इंजीनियर हैं, किस तरीके से उत्पीड़न होता था, किस तरीके से जन्मदिन मनाया जाता था और जन्मदिन के बहाने कितना क्या वसूला जाता था और पुलिस अधिकारियों के माध्यम से, क्या आर्गेनाइज्ड करेप्शन था। आर्गेनाइज्ड करेप्शन अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम किया तो यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार है जिसने आर्गेनाइज्ड करेप्शन बढ़ाया। अब आप हमसे कहते हैं कि करेप्शन हटायें, हम कर रहे हैं काम, करेप्शन पर भी लगाम लगा रहे हैं और जिन अधिकारियों की जानकारी मिल जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी करते हैं और कार्यवाही करेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मा0 आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से और सदन हम लोग इसीलिए चला रहे हैं, सदन हमारी ताकत बनती है, यह सदन में जो विचार आ रहे हैं आप लोगों के, यह हमारी सरकार की ताकत बनती है। जो चीज हम अपने माध्यम से नहीं पता कर पाते हैं, वह कहीं न कहीं आपके माध्यम से जानकारी मिलती है, तो इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है कि विधान सभा चले और सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले। आपने सदन कितना चलाया, सरकार बन गई उसके बाद आपने परवाह नहीं की कि सदन चलना है या नहीं चलना है, लोकतंत्र की मान्यतायें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, परम्परायें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, राजनेताओं का सम्मान होगा कि नहीं होगा, आपने हर-एक की धज्जियां उड़ा कर रख दीं। जो बात आप कर रहे थे कि जनता दर्शन केवल हवा-हवाई हो गया, जनता दर्शन में तमाम गरीब लोगों को मौका मिलता है यह सही है कि बहुत बड़ी समस्यायें नहीं आती हैं, एक-आध बार बड़ी समस्या आती है और जो समस्यायें आती हैं, थाने और तहसील की हैं।

ये थाने अगर खराब हैं और तहसील खराब हैं तो केवल एक साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं कर दिया तहसील और थाने खराब, थाने की बुराइयां, तहसील की बुराइयां एक दिन में नहीं आ गईं। एक बहुत अच्छे अधिकारी से मेरी बात हो रही थी एक दिन, उस अधिकारी ने कहा कि हर थाने में एक ऐसा सिपाही होता है, जो निगरानी रखता है कि गलत काम कहां हो रहे हैं, एस0ओ0 बदल जाय, सी0ओ0 बदल जाय, जिले का कप्तान बदल जाय, लेकिन वह सिपाही नहीं बदलता, वह सिपाही वहीं रहता है, वह सब जानता है, खनन कहां हो रहा है, जुआ कहां चल रहे हैं

और बुरे काम कहां हो रहे हैं और तमाम कमाई के स्रोत कहां हैं, वह एक सिपाही होता है, कोई पहुंच जाय एस0ओ0, कोई अधिकारी पहुंच जाय वहां पर, उसको पूरा रास्ता दिखा देता है कि इस रास्ते पर यह-यह इन्तजाम है। तो ये इंतजाम हैं। पुलिस को सुधारने में ये सही है कि कोई भी सरकार होगी, उसको समय लगेगा। उनकी भाषा कैसी हो, व्यवहार कैसा हो, उन्हें ट्रेनिंग चाहिये, उनकी ट्रेनिंग कैसी हो, इसमें भी बदलाव चाहिये। हम लोगों को बहुत बार फौज के लोगों से मिलने का मौका मिला है। अगर कहीं फौज के साथ भी सहयोग लेना पड़ा ट्रेनिंग के लिये तो हम लोग फौज के पास भी जायेंगे और कुछ अधिकारियों को और कुछ ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देंगे। आपके पास मोटिवेशन के लिये है क्या? जो एक बार कांस्टेबिल भर्ती हो गया, वो उसी रूप में रिटायर हो जायेगा, थोड़ा बहुत होगा तो होगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि बड़ी बात होनी चाहिये, बड़ा सपना देखना चाहिये तो क्या आज हम लोगों का दायित्व नहीं बनता कि सरकार में हम लोग सदन के माध्यम से ये नहीं सोच सकते कि जो लोग आज भर्ती हो रहे हैं और बेरोजगारी के कारण जो हालात हैं। आपको बी0एस0सी0 किया हुआ जवान मिल जायेगा, एम0एस0सी0 वाले मिल जायेंगे, कुछ सुनने में आया है कि पी0एच0डी0 किये हुये लोग मिल गये हैं, पी0एच0डी0 कर के आये हैं तो कहीं न कहीं व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि जहां पर हम लोग उनको मोटिवेट कर सकें, बढ़ने का मौका दे सकें। किसी सदस्य ने इसी सदन में कहा था कि ऐसे भी मुल्क हैं, जहां सिपाही से लेकर के ऊंचे पद तक पहुंचा जा सकता है, डी0जी0पी0 की टॉप पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है। मा0 हुकुम सिंह जी आपने कहा था तो कहीं न कहीं ऐसा मोटिवेशन का फैसला हो, ऐसा कार्यक्रम बने कि जहां उन्हें कहीं मोटिवेशन मिल सके कि हां, अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर अच्छे फैसले लेंगे, गुण्डागर्दी रोकेंगे, कानून-व्यवस्था को संभालेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं तो इस दिशा में भी सरकार आगे विचार करेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो हमारे मा0 सदस्यों ने रखी हैं। ये अच्छा है कि इधर कुछ दिनों से मा0 नेता प्रतिपक्ष थोड़ा बदल गये हैं। जो शुरू में इनके शब्द थे, वे शब्द भी बदल गये हैं।

(श्री मोहम्मद आजम खां साहब की ओर देखते हुये)

अब वो शेर तो आप पढ़ सकते हैं अच्छा। वो शेर तो आप ही अच्छा पढ़ सकते हैं कि ये बदले क्यों हैं, आप पढ़ दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष की महानता है लेकिन बस इतना ही है कि

''बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं
मगर घर की बरबादी के आसार नज़र आते हैं।''

(सदन में जोर की हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अब मैंने समझ लिया कि मा0 मुख्य मंत्री अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

''बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है
हर शाख पे उल्लू बैठे हों, अन्जाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा।''

(सदन में जोर की हंसी)

श्री अखिलेश यादव-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वो नाम मैं भूल गया हूं, एक जो नाम मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा था। कोई एक किताब है, बहुत पुरानी किताब है। एक गधे की आत्मकथा। अभी तो लैपटाप मैंने भिजवाया है आपके पास तो वो किताब भी मैं जरूर भिजवाऊंगा।

(सदन में जोर की हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, लैपटाप मा0 मंत्री जी ने भिजवाया जरूर लेकिन आज तक मेरे पास नहीं पहुंचा।

श्री अध्यक्ष-

वो मेरे यहां रखा है, आप ले नहीं गये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने आपके समक्ष यह अनुरोध किया था कि जब इस सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल को लैपटाप दे रहे हैं तो इस सदन में 403 मा0 सदस्य बैठे हुये हैं। अगर नेता विरोधी दल को दिया जा रहा है तो 403 सदस्यों को क्यों नहीं और इसलिये जब तक 403 सदस्यों को वो भेंट नहीं मिलती है, नेता विरोधी दल उसको स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं सदन में नया हूं, सदन में नया आया हूं मैं और वो गलती मानिये या समझ मानिये। मैंने आपको गाड़ी का उपहार दिया था। सबसे पहले आपने गाड़ी वापस की थी। अब डरता हूं कि अगर लैपटाप दे दूं मैं तो कहीं लैपटाप वापस न दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मगर वो गधे वाली किताब ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मगर वो गधे वाली किताब मुझे तो उसका सवार बना लीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब तक मेरे पास नहीं आती, तब तक आप अपने पास रखे रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे तो उसका सवार बना लीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मुख्य मंत्री जी एक मिनट, मान्यवर, मैं बड़ी देर से बैठा हुआ यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वो गधे वाली आत्मकथा में फोटो किसकी लगेगी मान्यवर ? मैं इतना जानना चाहता हूं। (सदन में हंसी)

मान्यवर, मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि जब फोटो लगने लगे तो थोड़ा समय दीजिएगा, जिससे सज-धजकर आ सकें, फोटो तो खिंचवा सकें।

(सदन में हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरे पास तो एक बहुत बड़े जानवर का फोटो पहले से है, आप ही, जिसके पास कोई जानवर का फोटो न हो, वह अपना ले लेगा। (हंसी)

श्री अखिलेश यादव-

और फोटो के लिए अभी आदरणीय हमारे मा0 सदस्य ने कहा था कि वीमेन पॉवर लाइन पर कैसे शिकायत दर्ज कर पाएंगे, तो मैंने उस समय सुझाव दिया था कि आवाज बदल कर बोलेंगे, अगर छेड़खानी होगी तो हो जायेगा, तो जो आवाज बदलकर लिखेगा, उसी की तस्वीर लग सकती है, वहां पर। (सदन में हंसी) तो यह अच्छी शुरूआत है कि आप लैपटॉप की जगह जहां पहले झुनझुना कहते थे अच्छा है थोड़ा बदलाव दिखायी दिया है कि पहले जिसको झुनझुना कहते थे, उसको आप लैपटॉप कहने लगे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत, धन्यवाद। जहां तक पुलिस की बात है, बहुत-सारे लोगों ने इस बात को रखा है कि थानों में पुलिस कम है और यह सच्चाई है। पहले बजट और भी सुने हम लोगों ने, शिक्षा विभाग का जब बजट सुना, टीचर्स की कमी बताई गई। इसी तरह जब, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और स्वास्थ्य शिक्षा का सवाल आया तो उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर कमी दिखाई दी। नगर पालिकाओं का मामला आया, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर कमी थी, तो शुरूआत की हम लोगों ने और सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि लगातार भर्ती का कार्यक्रम चलता रहेगा। भर्ती का ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे और तारीखें पहले से ही दे देंगे जिससे कि लगातार 4 साल हम लोग भर्ती करते रहें और जो कमी है, उसको पूरा करने में सरकार कामयाब हो जाए। (मेजों की थपथपाहट) और बहुत-सारी ऐसी घटनाएं जो पुरानी थीं, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने आजमगढ़ की घटना दी, वह पुरानी थी, उसको उठाया था, हालांकि उसमें पकड़े गए हैं लोग, जेल भेज दिए गए हैं। बहुत सारे साथियों के सुझाव भी आए हैं, लोकतंत्र को लेकर कि लोकतंत्र किस तरीके से चले, कहां कैसा आसपास देश में है। अवैध शराब का, जुआ का, अवैध खनन का, लगातार इसमें कार्यवाही हो रही है। अवैध शराब बड़े पैमाने पर यहां आती है, क्योंकि और प्रदेशों में सस्ती है, आपके प्रदेश में महंगी है। अभी हम लोगों ने जब सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया, तो सिगरेट जिसका टैक्स बढ़ गया, उस कंपनी के लोग आए बोले कि आपने टैक्स तो बढ़ा दिया, आपकी सेल कितनी कम हो गई और टैक्स बढ़ाने से हुआ यह कि बगल के जो प्रदेश थे, वहां पर सस्ती है तो उसका शुरू हो गया, तो यह सब निगरानी रखनी पड़ेगी और निगरानी करेंगे जिससे अवैध शराब, जुए के अड्डे, जो मैंने कहा कि थाने का एक सिपाही होता है, वह सब जानता है कि कौन, कहां, कैसे चला रहा है। इसमें लगातार काम होगा, ऐसे लोग जो जुआ और सट्टेबाजारी में लगे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। खनन में भी लगातार कार्यवाही हो रही है। पशुओं को लेकर के जो सवाल उठा था, उसमें भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई छापे पड़े हैं, लोगों को जेल भी भेजा गया है, गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही हुई है, उनके ऊपर। और नगर विकास के मा0 मंत्री जी अलग से कानून भी ला रहे हैं और कानून में लाकर के उसकी रोकथाम के लिए काम करेंगे। मा0 प्रदीप माथुर जी ने कहा कि अधिकारी समय नहीं देते हैं, आपको तो समय दे ही देगा, कोई न कोई। उन्होंने कहा कि रीवर बेल्ट को कब्जा किया जा रहा है, वहां पर बिना एन0ओ0सी लेकर के कालोनियां बस रहीं हैं। उस पर भी कानून आना चाहिए, कानून लेकर के आएंगे, जिससे की नदियों के किनारे पर कब्जे न हो। 108 सेवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत लोगों

को इससे लाभ मिल रहा है। एक-आध जगह पर दुरुपयोग किया है, लोगों ने लेकिन 108 सेवा बहुत अच्छी चल रही है। उसको और सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठाएगी। मान्यवर और बहुत सुझाव आये हैं उस पर हमारी सरकार विचार करेगी। मान्यवर, जहां तक सी0सी0 टीवी की बात है, और साइबर क्राइम बढ़ा है, यह नये रूप में आया है।

सदन का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 12.00 बजे मध्याह्न का समय निर्धारित हैं एजेण्डे में मेरा अनुरोध है कि इस समय को बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यदि यह सदन सहमत हो तो आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। उस दशा में विनियोग विधेयक 12.30 बजे प्रस्तुत होगा।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मान्यवर, सी0सी0 टीवी की बात आई थी कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, और भी जो कमी होगी सरकार उस पर काम करेगी। मान्यवर, जनसंख्या के हिसाब से जितने थाने और चौकियां होनी चाहिए उनमें कमी हैं। उसे हम देखेंगे। मान्यवर, महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती हो, संवेदनशील पुलिस दिखाई दे। यह हम चाहते हैं। मान्यवर, महिला पुलिस की अलग से भर्ती करके, क्योंकि महिलाओं और बच्चों से कैसा व्यवहार हो, उसके लिए संवेदनशील पुलिस हो, इसीलिए महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ाई जायेगी।

मान्यवर, अलीगढ़ के बारे में सुझाव दिया गया कि पुलिस चौकियां बढ़ाई जायं, जुगाड़ वाहन की बात कही गयी, वह तो आपको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है, माननीय दलबीर सिंह जी के जो सुझाव आये हैं, जो उन्होंने स्थानीय मुद्दे रखे हैं उस पर भी सरकार विचार करेगी।

मान्यवर, इस सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कानून-व्यवस्था में सुधार हमारे सामने एक सवाल है उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े यह जरूरी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जायेगा, तो देश भी खुशहाली के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा। मान्यवर इसीलिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कि सड़कें चौड़ी की जाय फोर-लेन की बनाई जायें और कम समय पर बनाई जाय। उस पर भी सरकार काम कर रही है।

मान्यवर, जहां तक स्टाफ की बात है, अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। पुरानी सरकार ने मेडिकल कालेज और पैरा-मेडिकल कालेज यदि बनाये होते तो आज यह कमी नहीं दिखती। उनकी नजर उस ओर नहीं गयी थी। पांच साल तक उन्होंने मेडिकल कालेज बनाने और उसे चलाने का काम नहीं किया था। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हमने शुरू भी किये हैं और भविष्य में और भी मेडिकल कालेज को चलाने का काम भी हम करेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में किसानों को सुविधा मिले यह बहुत जरूरी है। मान्यवर, गेंहू खरीद पिछली बार हुई थी, हमारी पार्टी की सरकार उसी समय बनी थी, हमें पता चला कि गेंहू खरीद में बोरी की कमी है, पिछली सरकार ने बोरी खरीद का आर्डर ही नहीं दिया था। हमने दिया तो देर हुई वह समय जो था उस समय नहीं हुआ था। मान्यवर, इसी तरह से खाद की कमी की बात आई, पिछली सरकार किसी न किसी हिसाब किताब में लगी रहती थी। तब खाद का आर्डर नहीं दिया गया था। अगर खाद का आर्डर दिया गया होता तो बेइमानी करने का उन्हें मौका कैसे मिल पाता। हमारी सरकार ने इस पर पैसा दिया है खाद के मामले में पहले से ही इन्तजाम किया है। कोई कमी नहीं हैं। हमने निगरानी की व्यवस्था भी की है। मेजों की थपथपाहट।

मान्यवर, अब गेहूं की खरीद होने जा रही है सरकार की प्राथमिकता होगी कि प्राथमिकता पर उसकी खरीद हो और उसको एम0एस0पी0 मिल जाय। मान्यवर, किसानों के गेहूं की खरीद में कहीं कोई दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था हम पूरी कर रहे हैं। मान्यवर, गेहूं के खरीद में किसानों को पूरा पैसा मिले, आर0टी0जी0एस0 से मिल जाय, उनके एकाउण्ट में सीधे पहुंच जाय, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी चेक बाउन्स हो जाते हैं तो किसानों को दिक्कत होती है।

मान्यवर जहां तक अधिकारियों का सवाल है सरकार ने लगातार कार्यवाही की है, जहां अधिकारियों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, या जो डियुटी पर उनको जो फैसला लेना चाहिए था नहीं लिया, उस पर कार्यवाही हुई है। मान्यवर, इसलिए इस सदन को अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बता सकता हूं कि सरकार लगातार कार्यवाही कर रही है, जानकारी मिल जायेगी तो ऐसे लोगों को सजा भी देने का काम करेगी। मान्यवर, सरकार को जो सूचनायें मिली हैं सरकार ने उस पर हमेशा कार्यवाही की है।

मान्यवर, मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि सदन बहुत अच्छा चला है इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को और विभिन्न दलों के माननीय नेतागण को धन्यवाद देता हूं। मेजों की थपथपाहट कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया है सरकार की मंशा तो है ही चलाने की सदन लेकिन विपक्ष का भी सहयोग मिला है माननीय सदस्यों का भी सहयोग मिला है इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी बहस निकली है और उसमें सरकार को सुझाव भी मिले हैं। और सुझाव मिलने से सरकार को फैसला लेने में आसानी होगी, हमें अपने श्रोतों से अपनी जानकारी से तो पता ही लगता है लेकिन जब माननीय सदस्य सुझाव देते हैं तो उस सुझाव पर भी सरकार विचार कर रही है सरकार उनके सुझाव मानती भी है। क्योंकि होली का त्योहार भी आ रहा है मैं अपने तमाम सभी माननीय सदस्यों को बधाई भी दूंगा और उम्मीद करूंगा कि पहले से अच्छी होली हो। और रंगबिरंगी होली भी हो। जहां सरकार अपने कार्यक्रम, योजनाओं और फैसलों के साथ आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में सरकार की कोशिश है कि काम करे। बहुत सारे साथी जानते होंगे कि घोषणा-पत्र में जो जो बाते

रखीं उसको हम लोगों ने पूरा जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। यह सही है कि बहुत सारे संसाधन नहीं थे उसके बाद भी हम लोग तमाम योजनाओं को चलाने में कामयाब हुए हैं। नई-नई यूनिवर्सिटियां भी बनाने का फैसला लिया है, कालेजेज को बनाने का भी फैसला लिया है। एक साथ सब चीजों में सुधार लाने का प्रयास कर रही है सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और प्रशासन सुचारु रूप से कैसे ठीक-ठाक चले उसमें भी लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं एक बार फिर सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हुआ जो आने वाला त्योहार है और जो सुझाव मिले हैं उनके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने होली की बधाई दी। मान्यवर, आपको याद दिला दूं होली एक ऐसा त्योहार है, होली की आपने बधाई दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मान्यवर, मैं आपको एक चीज बता दूं होली की बधाई कभी सूखी नहीं दी जाती और अगर होली की बधाई आप सूखी दे रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि होली ठीक से मन नहीं सकती और इसका मतलब है कि आप मन से बधाई भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरा विरोधी दल यह भी आज इतना मुस्कराये जा रहे हैं मान्यवर, होली को देखकर कि अब कुछ होगा। सभी यहां जितने बैठे हैं सब भाषण इसीलिए आपका ध्यान से सुन रहे हैं कि जो अंतिम भाषण होगा उसमें कुछ होली के बारे में होगा तो मैं आपसे सिर्फ एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम, हम लोगों का कुछ मत करिये, कुछ मत करिये लेकिन जिन लोगों ने हम सबको यहां भेजा है, उनको तो होली की बधाई दे दीजिए। रंग होगा तो पानी नहीं होगा सूखी होली कैसे खेलेंगे मान्यवर, कुछ हैण्ड पम्प दे दीजिए जिससे कम से कम रंग मिलाकर होली खेल सकें, होली तो रंगीन हो जाय। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं मैं जब बात करूं आपसे तो दाये बाये बिल्कुल मत देखियेगा क्योंकि आप बहुत सीधे-सादे हैं, अच्छे हैं लेकिन अगल-बगल कुछ गड़बड़ नहीं कह रहा हूं आप ही को कह रहा हूं कि आप बहुत सीधे-सादे अच्छे हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि आजम खां साहब के पास काम नहीं है और यह जल निगम के अध्यक्ष हैं और जब यह आते हैं जल निगम प्राफिट में चलने लगता है। ठीक कह रहा हूं न बोलिये, बोलिये। तो जल निगम क्या खाक प्राफिट में चलेगा अगर इनको हैण्डपम्प लगाने के लिए कुछ हैण्डपम्प नहीं देंगे आप। आप बताइये मान्यवर, तो मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि आजम खां साहब की साख बनी रहे एक 100-100 हैण्डपम्प दे दीजिए और लगाने की जिम्मेदारी इनको सौंप दीजिए। तो मान्यवर, इनका भी जल निगम प्राफिट में आ जायेगा और हम लोग भी जब होली में जायेंगे तो होली में दो चीजें होती है एक बधाई होती है और एक होली में गाली भी होती है। तो मान्यवर, कुछ ऐसा इंतजाम मत कीजिए कि जहां जायें हम लोगों को गाली खाने को मिले। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं कि होली की बधाई और इसीलिए मैंने समय भी बढ़वाया था वर्ना तो 12.00 बजे निपट जाता सारा मामला। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि बस थोड़ा सा काम आप कर दें, मान्यवर, सिर्फ एक काम कर दीजिए और बाकी छोड़िये। मान्यवर, हैण्डपम्प के बारे में। आपस में बात कर लीजिये। मैं तो आजम साहब के भले के लिये कह रहा हूं। मैं चाहता हूं इनको काम मिले, अगर इनको काम नहीं मिलेगा तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं न कहीं कुछ काम किसी का लगा देंगे, इसलिये इनको काम दे दीजिये। अगर इनके हाथ में काम रहेगा तो सब चैन से रहेंगे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आजम खां साहब के लिये । हम लोग 404 को, आप तो इंजीनियर हैं, आप तो कलकुलेटर पर कलकुलेट कर लेंगे, हम तो मुंहजबानी बात कर रहे हैं, 400 इनटू सौ, डेढ़ सौ कुछ कर लें, यह तो आपके लिये कुछ नहीं है, इतने बड़े बाप के बेटे हैं आप, इतनी देर तक उनके मक्खन लगाया होता तो वह 200 कर देते। आप 100 ही कर दो।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, इनका कोई सानी भी नहीं है। यह चाहे जितना मक्खन लगा लें, इतना चिकना घड़ा है, कहीं असर करने वाला नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज होली का मौका है, मैं इसलिये नहीं कहूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैंने बहुत मक्खन लगाया, जब आप सब वहां बैठे थे, तब बहुत कहा, आपने एक हैण्डपम्प नहीं दिया, इन्होंने तो कम से कम 25 लाख बढ़ा दिया और कुछ कागज पढ़ भी लिया मैंने।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मुझे घड़े का तो तर्ज़बा नहीं है, ताल बजाते रहे हैं तो घड़े का तर्ज़बा होगा इन्हें। लेकिन चिकनी चीजें इन्हें बहुत पसंद हैं, तो घड़ा किसी और को दे दें और चिकनापन अपने ही पास रखें, यहां तो सब मर्दाने हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कुछ टेस्ट वेस्ट करना हो जो यह कह रहे हैं, तो दोनों अलग चले जाये, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सदन की बात कर लें बहुत छोटी सी बात है।

श्री अध्यक्ष-

हो गया तिवारी जी, आपने बहुत कहा, नहीं कुछ जुम्बिश खा रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं एक बीच का रास्ता निकाले दे रहा हूं मैंने बहुत कुछ कहा, कुछ नहीं हुआ, आप ही कुछ कह के दिखा दीजिये। आप ही प्रयास कर लीजिये मान्यवर। मान्यवर, मैं एक और बीच का रास्ता निकाले दे रहा हूं। आप यह जो हमारी डेढ़ करोड़ है, इसे बढ़ाकर दो कर दीजिये और जो 50 बढ़ाइयेगा, उसमें हम लोग हैंडपंप ले लेंगे। इसमें आप कर ही दीजिये कि जो हम बढ़ायेंगे, उसमें आप सिर्फ हैन्डपंप लेंगे।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सिर्फ दो छोटी बातों के लिये खड़ा हुआ हूं। एक आभार प्रदर्शन के लिये और दूसरा एक छोटा सा स्पष्टीकरण के लिये। लोकतंत्र में यह कार्य भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

आवश्यक है। विशेष रूप से तब, जब राजनैतिक पूर्वाग्रह से अलग हटकर और एक बड़ी सोच लेकर निष्पक्ष रूप से कोई मुख्य मंत्री आचरण करे। मैं जिक्र कर रहा हूं, एमिटी कालेज की घटना का और यह जिक्र यहां होना चाहिये क्योंकि सदन समाप्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

सदन नहीं समाप्त हो रहा है, सत्र समाप्त हो रहा है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्षमा चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर के एक बड़े नेता थे, एक बड़े अधिवक्ता थे, उनकी पुत्रवधू थी एमिटी कालेज में। एक घटना हम लोगों ने पढ़ी, मैं उसको यहां दोहराऊंगा नहीं। वह मुझसे मिली थी। मैं उन्हें लेकर आपके पास माननीय हुकुम सिंह जी के साथ आया था। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मुलाकात हुई और इस सदन को जानना चाहिए उस महिला की चिन्ता सुनकर और उनकी पीड़ा को सुनकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय जो कहा हम लोगों ने कोई नाम नहीं लिया था फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि कौन लोग इन्वाल्व हैं वह अपने हो सकते हैं। अपनों की एक सीमा है और आप निश्चिन्त होकर जाइए आपके साथ दुबारा कोई अन्याय नहीं होगा और दूसरे दिन हम लोगों को एक सुखद आश्चर्य मिला उस घटना में जो लोग चिन्हित थे उनकी गिरफ्तारी हुई उनके विरुद्ध कार्यवाई हुई। मैं इस सदन में इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं आपको गोरखपुर के नागरिकों की ओर से आभार प्रकट कर सकूं। वस्तुतः जो सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं उनका यही कर्म और यही दायित्व होता है।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में एक बहुत दुःखद घटना हुई हम उस काण्ड का नाम भी नहीं लेंगे हम सब जानते हैं किसी ने निर्भया काण्ड का नाम दिया किसी ने दामिनी का नाम दिया। उस काण्ड में उस लड़की के साथ जो नौजवान था उसके साथ भी बहुत मारपीट हुई करीब-करीब वह भी जीवन के खतरे पर था। वह भी गोरखपुर के बार एसोसिएशन के महामंत्री का लड़का था। दिल्ली की सरकार ने तो कुछ नहीं किया माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से एक बयान आया था कि उनके इलाज में जो खर्चा होगा और लड़की उस समय जिन्दा थी इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से बयान आया था कि उस लड़की और साथ में जो वह लड़का है उन दोनों को नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि उस समय बच्चा बहुत गम्भीर था इसलिए उत्तर प्रदेश में आकर वह माननीय मुख्य मंत्री जी से मिल नहीं पाया था। दिल्ली सरकार से मिलने का काम हुआ था। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से वह घोषणा थी वह लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं और जो सरकार का वायदा है उसके अनुरूप कार्यवाही हो ऐसा मेरा आग्रह है।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि आपने कहा कि आज सत्र समाप्त हो रहा है। मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री अध्यक्ष-

होली है। अपने बारे में न पूछिएगा समाज के बारे में पूछिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी मैं इनके पिता जी की एक घटना को याद दिला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब घटना क्यों याद दिला रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक मिनट लगेगा। माननीय मुलायम सिंह यादव से एक दिन मैंने निवेदन किया एक बहुत गरीब के घर में शादी है तो शादी में कुछ अनुदान की व्यवस्था कर दें। उन्होंने एक सिगरेट की डिब्बी पर 40,000 रुपए की राशि लिखी दूसरे दिन हमें उसका पत्र मिल गया कि चालीस हजार रुपया उसके घर पहुंच गया। इतनी बढ़िया परम्पराएं जिस परिवार की रही हों इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 जुलाई को यह घोषणा की थी कि जो लोहिया ग्रामों का चयन होगा उसमें विधायकों का श्रेय जरूर रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आप कल भी बोले, परसों भी बोले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरी बात सुन लें। हम तो आपकी अनुमति से बोल रहे हैं। इसी सदन में 3 जुलाई को आप चाहें तो कार्यवाही देख लें माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा हाउस में की थी। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी एक दिन बोल रहे थे जब हैण्ड पम्प की बात आई तो उन्होंने कहा कि यह आखिरी दिन का सवाल है। यह आखिरी दिन होगा। मैं आपकी अनुमति से सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिस परिवार की इतनी बढ़िया परम्पराएं रही हों कि सिगरेट की डिब्बी पर लिख दिया तो 40 हजार रुपया घर पहुंच गया।

श्री अध्यक्ष-

वह तो सिगरेट पीते भी नहीं हैं। कहां से डिब्बी मिल गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हाउस में वचन दिया कम से कम उसके सम्बंध में दो बातें कह दें। कि आगे देंगे, नहीं देंगे या कब देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

(श्री जमीर उल्लाह खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों खड़े हैं आप तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं।

*श्री जमीर उल्लाह खां-

मान्यवर, मेरा जनहित का मामला है। सभी से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष जी मैं जनहित के मामले में कह रहा हूं। पोस्टमार्टम 24 घंटे में एक मर्तबा होता है। जो बिचारे गांव देहात से लोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

आते हैं अगर चार बजे तक पोस्टमार्टम नहीं होता तो उस परिवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पूरी रात गुजारनी पड़ती है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है। आपके माध्यम से कि अगर पोस्टमार्टम सुबह और शाम दिन में दो बार कर दिया जाए तो इससे सभी को फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब कृपया बैठ जाएं, मैं प्रश्न रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,12,67,38,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,08,03,20,38,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.20] उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013†

श्री अध्यक्ष-

विनियोग विधेयक को 12.30 पर लिया जाना था, यदि सभी माननीय सदस्य सहमत हों तो विनियोग विधेयक को प्रस्तुत करा दिया जाए।

(सभी माननीय सदस्यों ने सहमति प्रदान की।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 4-4-2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013

31 मार्च, 2014 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2013—2014 के लिए 235176,42,33,000 रुपये का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 235176,42,33,000 रुपये (दो लाख पैंतीस हजार एक सौ छिहत्तर करोड़ बयालीस लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	1241803	*2000*	1243803
		पूंजी :	19906	...	19906
02	आवास विभाग	राजस्व :	1637016	*36588*	1673604
		पूंजी :	4350000	*70869*	4420869
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	1461331	*600*	1461931
		पूंजी :	67000	...	67000
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	250570	...	250570
		पूंजी :	70000	...	70000
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	918530	...	918530
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	855555	...	855555
		पूंजी :	50000	...	50000
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	902517	...	902517
		पूंजी :	1422062	...	1422062
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	1450775	...	1450775
		पूंजी :	50000	...	50000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	56143757	*331454*	56475211
		पूंजी :	55161742	*344557*	55506299
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	1993337	*12523*	2005860
		पूंजी :	89892	...	89892
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	25820767	*1520*	25822287
		पूंजी :	9657989	...	9657989

1	2		3		
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	3085922	...	3085922
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	15711967	*1550*	15713517
		पूंजी :	25327860	...	25327860
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	49263551	...	49263551
		पूंजी :	1009680	...	1009680
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	5367111	*1379*	5368490
		पूंजी :	184968	...	184968
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	982112	...	982112
		पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	784475	...	784475
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	10131332	*76296*	10207628
		पूंजी :	233965	*119263*	353228
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	99838	...	99838
		पूंजी :	*90000*	...	90000
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	20187	*363894*	384081
		पूंजी :	...	*500*	500
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	628189	--	628189
		पूंजी :	96260090	*6532190*	102792280
22	खेल विभाग	राजस्व :	591464	--	591464
		पूंजी	1178067	...	1178067
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	1591046	*200*	1591246
		पूंजी :	575000	...	575000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	499814	...	499814
		पूंजी :	4200000	...	4200000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	4438270	*1000*	4439270
		पूंजी :	1579090	...	1579090
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	10156903	*7500*	101576537
		पूंजी :	7 6463001	...	6463001

1	2		3		
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	5017469	...	5017469
		पूंजी :	118704	...	118704
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1486126	...	1486126
		पूंजी :	3000	...	3000
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	*107478*	107478
		पूंजी :	...	...	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	37945	...	37945
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	13089748	...	13089748
		पूंजी :	10377508	...	10377508
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	34859125	*2000*	34861125
		पूंजी :	6279399	...	6279399
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	5349252	...	5349252
		पूंजी :	344100	...	344100
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	2409577	...	2409577
		पूंजी :	157679	...	157679
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	25409057	*1600*	25410657
		पूंजी :	417354	...	417354
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	4848578	*200*	4848778
		पूंजी :	75835	...	75835
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	32299164	...	32299164
		पूंजी :	16451250	...	16451250
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	275870	...	275870
		पूंजी :	720000	...	720000
39	भाषा विभाग	राजस्व :	128286	...	128286
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	2595494	...	2595494
		पूंजी :	18680499	...	18680499
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	1351662	...	1351662
		पूंजी :	...	...	0

1	2			3	
42	न्याय विभाग	राजस्व :	12603575	*2265662*	14869237
		पूंजी :	8011905	*151062*	8162967
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	1346298	...	1346298
		पूंजी :	416102	...	416102
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	239857	...	239857
		पूंजी :	985000	...	985000
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	47568	...	47568
		पूंजी :	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	107876	...	107876
		पूंजी :	50000	...	50000
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	2312602	*2*	2312604
		पूंजी :	3250779	...	3250779
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	18161629	*180*	18161809
		पूंजी :	8706142	...	8706142
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	41498446	*100*	41498546
		पूंजी :	1611000		1611000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	7013228	*1700*	7014928
		पूंजी :	1448712	...	1448712
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	4723713	...	4723713
		पूंजी :	250000	...	250000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	22852317	*12167*	22864484
		पूंजी :	109802	*551*	110353
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	13455	...	13455
		पूंजी :	100	...	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	16167005	*400*	16167405
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	641350	*27231*	668581
		पूंजी :	459200	*10500*	469700
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	2700000	...	2700000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	170000	...	170000
		पूंजी :	10932934	...	10932934

1	2		3		
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़के)	राजस्व :	28561062	*500*	28561562
		पूंजी :	50762000	*55000*	50817000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	1350807	. . .	1350807
		पूंजी :	2096200	. . .	2096200
60	वन विभाग	राजस्व :	4846894	*1370*	4848264
		पूंजी :	2168353	. . .	2168353
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	97827080	*257348037*	355175117
		पूंजी :	23214005	*180343338*	203557343
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	198304594	*15138*	198319732
		पूंजी :	1500000	. . .	1500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	2208278	. . .	2208278
		पूंजी :	. . .	. . .	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	1988823	. . .	1988823
		पूंजी :	2600	. . .	2600
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	330684	*1923684*	2254368
		पूंजी :	. . .	. . .	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	310350	*5360*	315710
		पूंजी :	401	. . .	401
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	933624	*12489*	946113
		पूंजी :	1201	. . .	1201
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	3170139	. . .	3170139
		पूंजी :	1665555	. . .	1665555
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	950724	. . .	950724
		पूंजी :	920000	. . .	920000
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	209587061	. . .	209587061
		पूंजी :	58200	. . .	58200
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	88168648	*270*	88168918
		पूंजी :	2189859	. . .	2189859
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	25363847	*25*	25363872
		पूंजी :	2265004	. . .	2265004
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	951354	. . .	951354
		पूंजी :	1004	. . .	1004

1	2		3		
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	2442710	*10*	2442720
		पूंजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	8453025	...	8453025
		पूंजी :	3350	...	3350
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	5110848	...	5110848
		पूंजी :	20000	...	20000
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	21611330	...	21611330
		पूंजी :	1271289	...	1271289
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	40989935	...	40989935
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	583661	*10*	583671
		पूंजी :	180916	...	180916
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	340284	*41103*	381387
		पूंजी :	42163	...	42163
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	80427416	...	80427416
		पूंजी :	30996711	...	30996711
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	1126738	...	1126738
		पूंजी :	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	46465	...	46465
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	1497137	...	1497137
		पूंजी :	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	402914	...	402914
		पूंजी :	16400	...	16400
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	56650	...	56650
		पूंजी	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	5010426	*654502*	5664928
		पूंजी ::	81171	...	81171
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	728835	...	728835
		पूंजी ::	...	...	0

1	2		3		
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	2257334	*4*	2257338
		पूंजी :	100000	...	100000
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	438906	*5*	438911
		पूंजी :	366400	...	366400
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	21814280	...	21814280
		पूंजी :	48295675	*200000*	48495675
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	29168491	*5000*	29173491
		पूंजी :	...	...	0
	योग	राजस्व :	1431857899	*263262731*	16951206 30
		पूंजी :	468815773	*187827830*	65664360 3
			1900673672	*451090561*	23517642 33

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.23] जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत टाण्डा में विश्व हिन्दू परिषद् के वरिष्ठ नेता श्री रामबाबू गुप्ता की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

दिनांक 03 मार्च, 2013 की रात्रि लगभग 08.30 बजे हिन्दू वाहिनी के .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जिलाध्यक्ष व बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर मृतक के भाई श्री वेद प्रकाश गुप्ता की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-33/13 धारा-302 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जो विचाराधीन है। इस घटना की सूचना पर तत्कालीन थानाध्यक्ष अलीगंज मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों द्वारा पथराव कर पुलिस जीप व एक आरक्षी की मोटर साइकिल में आगजनी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी, जिसके सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, अलीगंज की तहरीर पर मु0अ0सं0-34/13 धारा-147/148/149/323/504/506/427/307/336/436/332/353 भादंवि व 7 क्रिमि0 ला अमे0 ऐक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम पप्पू खन्ना व वेद प्रकाश गुप्ता एवं लगभग 250 लोग नाम-पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

भीड़ द्वारा विभिन्न वाहनों, दुकानों व मकानों में भी तोड़-फोड़ की गयी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-34,35,36,37,38,39/13 पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है। दिनांक 04-03-13 को दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज व पथराव शुरू हो गया। पुलिस बल द्वारा किसी प्रकार घटना को नियंत्रित किया गया। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0-40/13 व 7 क्रि0ला0एमे0 ऐक्ट श्याम बाबू गुप्ता व पिन्टू गुप्ता एवं अन्य बहुत लोग नाम-पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है। अभियुक्त पिन्टू गुप्ता की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिनांक 05-03-13 को अपराह्न 02.00 बजे तक की अवधि के लिए कर्फ्यू घोषित किया गया एवं सायंकाल 4.30 बजे शव का अन्तिम संस्कार किया गया। दिनांक 7-3-13 को की गयी समीक्षा के उपरान्त दिनांक 8-3-13 से कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया।

शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा-151 के अन्तर्गत कुल 31 व्यक्तियों को दिनांक 5-3-13 को तथा 03 व्यक्तियों को दिनांक 6-3-13 को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार मु0अ0सं0-40/13 के वांछित अभियुक्त सहित कुल 35 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है।

श्री रामबाबू गुप्ता की हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-33/13 की विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी है। विवेचना से इरफान अबू बकर व मुकुल मिश्रा का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 13-3-13 को अभियुक्त इरफान व मुकुल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त इरफान के पास से हत्या में प्रयुक्त एक अदद तमंचा व एक कारतूस तथा मुकुल मिश्रा से एक तमंचा की बरामदगी की गयी। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी का सतत प्रयास जारी है तथा 82/83 प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान में स्थिति पूर्णतया सामान्य एवं नियंत्रण में है।]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा के ग्राम चमरूपुर पठान के रहने वाले मुश्ताक और रईस के ऊपर प्राणघातक हमले में मुश्ताक की हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या के .....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[आधार पर अवगत कराना है कि जनपद के थाना-जेठवारा के अन्तर्गत ग्राम चमरूपुर पठान के रहने वाले रईस अपने दोस्त मुश्ताक पुत्र जमालुद्दीन मोटर साइकिल से अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे साथ में श्रीमती यासमीन पत्नी रईस अपने देवर वहीद के साथ दूसरी मोटर साइकिल पर थीं, जैसे ही उक्त लोग नौबस्ता चौराहे के आगे (थाना जेठवारा के अन्तर्गत) पहुंचे उसी समय ग्राम चमरूपुर पठान निवासी मतीन पुत्र रसीद, मायूस पुत्र सईद व उदापुर गांव के शरीफ पुत्र गुलफाम, शैफ पुत्र शरीफ तथा आरिफ पुत्र सिराजुद्दीन निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ जो अलग-अलग मोटर साइकिल से आकर अपनी मोटर साइकिलें रईस के मोटर साइकिल के सामने लगा दिया उस समय मतीन, मायूस अपने हाथ में रायफल और शरीफ अपनी हाथ में बन्दूक, शैफ, आरिफ अपने-अपने हाथ में पिस्टल लिये थे। सभी लोगों को घेर कर अपने-अपने हाथ में लिये असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। फायर की चोट रईस व मुश्ताक को लगी। हल्ला गोहार पर मो0 मुकीम व महबूब अली आदि तमाम राहगीर दौड़े व हल्ला गोहार मची तो सभी लोग मां-बहन की गाली व जान से मार डालने की धमकी देते हुए नेवादा की तरफ भाग गये। घायलों की सदर अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया जहां पर चोटों को गम्भीर देखते हुए रईस व मुश्ताक को डाक्टर ने इलाहाबाद के लिए रिफर कर दिया। कुछ दूर जाने पर मुश्ताक की मृत्यु हो गयी। रईस को स्वरूप रानी अस्पताल में गम्भीर अवस्था में भर्ती किया गया।

वादिनी श्रीमती यासमीन पत्नी रईस की सूचना पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0-70/2013, धारा-147/148/149/307/302/504/506 भादवि व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट का अभियोग विरुद्ध 1-मतीन पुत्र रसीद 2-मायूस पुत्र सईद निवासी ग्राम चमरूपुर पठान थाना-जेठवारा, 3-शरीफ पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम उदापुर, थाना जेठवारा, 4-शैफ पुत्र शरीफ निवासी-उदापुर, थाना-जेठवारा, 5-आरिफ पुत्र सिराजुद्दीन निवासी आजादनगर, थाना कोतवाली नगर पंजीकृत करके विवेचना प्रचलित है।]

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कोतवाली बांसी के मोहल्ला शास्त्रीनगर में गोविन्द यादव की लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वालों को पकड़े जाने के बावजूद उल्टा पीड़ितों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह व अन्य आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर से प्राप्त आख्या के अनुसार .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा मान लिया जाए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[शम्भूनाथ यादव पुत्र वीरेन्द्र कुमार यादव निवासी बगहवाकोमर मोहल्ला शास्त्री नगर, थाना-बांसी द्वारा दिनांक 6-3-2013 को 00.30 बजे दी गयी सूचना कि रात्रि लगभग 09.45 बजे रामनरायण यादव के घर में एक व्यक्ति घुसा था, रामनरायण के शोर मचाने पर हम लोगों द्वारा घर की छत पर सानू उर्फ शम्भू उर्फ पल्लू मोहल्ला कस्बा बांसी को पकड़ लिया गया तथा साथ लेकर थाने आ रहे थे कि 108 नम्बर एम्बुलेन्स आ गयी तथा शन्नू को लेकर इलाज हेतु नौगढ़ चली गयी। इस तहरीर पर थाना-बांसी पर मु0अ0सं0-236/13, धारा-457 भा0द0वि0 विरुद्ध हबीबुर्रहमान उर्फ शन्नु पंजीकृत कराया गया।

2- उक्त अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष, बांसी द्वारा की जा रही है। प्रकरण में नामित अभियुक्त हबीबुर्रहमान उर्फ शन्नु की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु पूर्व 18 चोटों का विवरण अंकित करते हुए मृत्यु का कारण इन्हीं चोटों से होना बताया गया है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि बबीता ने दिनांक 05-03-2013 की रात्रि में ही कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, बबीता को चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में भर्ती कराया गया था। दिनांक 12-3-13 को धारा-164 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दिये गये बयान में बबीता द्वारा बताया गया कि मंगलवार को रात्रि 10.00 बजे मैं छत पर सो रही थी कि दो लड़के कमरे में आये और मेरे साथ रेप किये।

3- विवेचना के अनुक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक शन्नु व बबीता के बीच मेलजोल था और उन दोनों द्वारा मोबाइल पर बात होती थी। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 8-3-2013 को बबीता की माता श्रीमती उर्मिला पत्नी गोविन्द द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसमें यह आरोप लगाया है कि दिनांक 5-3-2013 को उसकी बच्चियां ऊपरी तल पर सोई हुई थीं तो मोहल्ले के कल्लू के लड़के शन्नु व उसका भाई मुजीबुर्रहमान छत पर चढ़ गये और उसकी पुत्री बबीता के साथ जबरिया मुंह दबाकर बलात्कार किये, लड़की के चिल्लाने व शोर मचाने पर बबीता के मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया और कूद कर भागने लगे तो मोहल्ले के लोगों ने शन्नु को पकड़ लिया जबकि मुजीबुर्रहमान भागने में सफल रहा। आवेदिका के प्रार्थना-पत्र पर मु0अ0सं0-236/13 में धारा-376 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी और दिनांक 11-3-2013 को बबीता का मेडिकल परीक्षण जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में कराया गया। अभी तक के साक्ष्यों के आधार पर बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के दिन के पीड़िता द्वारा पहने गये कपड़े एवं ब्लड, यूरिन आदि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ दिनांक 19-3-2013 को भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

4- मृतक के पिता श्री अजीजुर्रहमान उर्फ कल्लू उर्फ हसमत निवासी मोहल्ला शास्त्रीनगर द्वारा मृतक को मारने पीटने व मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर की नगर पालिका परिषद्

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांसी के सदस्य के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 5-3-2013 को रात्रि लगभग 10.00 बजे हबीबुर्रहमान उर्फ शन्नु को गोविन्द की लड़की बबीता से फोन कराकर शन्नु को अपने घर बुलाया और 1-रामकरन पुत्र भुल्लर, 2-हृदयराम पुत्र रामायण, 3-धीरेन्द्र पुत्र दयाशंकर, 4-प्रकाश पुत्र दयाशंकर, 5-सन्तोष पुत्र निरकेवल, 6-विलास पुत्र फेंकू, 7-झकड़ी पुत्र सीहोली, साकिनान मुहल्ला शास्त्रीनगर, थाना-बांसी ने हत्या करने के इरादे से घर का दरवाजा बन्द करके शन्नु को बैट, डण्डा, हाकी से मारने लगे और छत से फेंक दिया। शन्नु को जिला अस्पताल भेज दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। इस तहरीर तथा मौके पर दो गवाह समीम पुत्र जीमल इजाहर पुत्र बदर द्वारा दिये गये बयान के आधार पर मु0अ0सं0-236ए/13, धारा-147/148/504/506/302 भा0द0वि0 बनाम 1-रामकरन पुत्र भुल्लर, 2-हृदयराम पुत्र रामायण, 3-धीरेन्द्र पुत्र दयाशंकर, 4-प्रकाश पुत्र दयाशंकर, 5-सन्तोष पुत्र निरकेवल, 6-विलास पुत्र फेंकू, 7-झकड़ी पुत्र सीहोली, साकिनान मुहल्ला शास्त्रीनगर, थाना-बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष, बांसी द्वारा की जा रही है। इस अभियोग में प्रचलित विवेचना के अन्तर्गत अब तक उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नामित सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक 6-3-2013 को हो चुकी है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है।]

जनपद गोरखपुर के गगहा चौराहा थाना गगहा में श्री दुर्गासा गुप्ता एवं श्री बाबू लाल गुप्ता की हुई मृत्यु एवं घायलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वादी मुकदमा श्री बांके लाल गुप्ता पुत्र श्री दुर्वासा गुप्ता निवासी डुमरी (गगहा) थाना-गगहा, जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गगहा पर तहरीरी सूचना दिया गया कि दिनांक 6-3-2013 को सायंकाल 4-30 बजे मेरे गांव के सनी सिंह पुत्र उग्रसेन उर्फ मुन्ना मेरी दुकान पर आया और रस्सी खरीदा। रस्सी का दाम रु0 75/-मांगने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी व गाली देते हुए कहा कि तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम लोगों को सबक सिखाते हैं और रस्सी का दाम चुकाते हुए कहा कि एक घण्टा में हम तुमसे निपटेंगे। फिर सायंकाल 05 बजे उक्त सनी सिंह पुनः दुकान पर आये और पांच कारतूस निकाल कर मेरे काउण्टर पर रखकर कहे कि यहीं गोली तुमको मारेंगे। इसके बाद पिस्तौल लोड करके मुझे झापड़ मारने लगे तो हम लोगों ने उनके हाथ से पिस्तौल छीन लिया तो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वह भाग गया और शोर मचाने पर तमाम लोग आ गये तथा मेरे भाई बाबू लाल ने पिस्तौल तथा पांच कारतूस थाने पर जमा करा दिये तथा मुकदमा लिखा दिया था। उसी रंजिशवश दिनांक 7-3-2013 को प्रातःकाल 05.45 बजे उक्त सनी सिंह अपने भाई टीका सिंह व अपने साथी अजय सिंह उपरोक्त अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर हम लोगों को दौड़ाकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई बाबू लाल, पिता श्री दुर्वासा तथा मेरे व मेरी माता व परिवार के कन्हैया, राजू आदि को निशाना लेकर फायर करने लगे। उनके फायर से गोली लगते ही मेरे पिता जी, भाई तथा परिवार के लोग गिर पड़े, चारों ओर भगदड़ मच गयी। मैंने देखा तो पिता श्री दुर्वासा प्रसाद की मृत्यु हो गयी थी तथा भाई बाबू लाल व परिवार के लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हें अस्पताल भेजा गया जिसमें भाई बाबू लाल तथा बाद में माता की भी मृत्यु हो गयी।

3- इस सूचना पर थाना गगहा पर मु0अ0सं0-35/2013 धारा-452/307/302 भा0द0वि0 व 7 क्रि0ला0अ0 ऐक्ट विरुद्ध 1-सनी सिंह, 2-टीका सिंह पुत्रगण उग्रसेन सिंह, निवासी डुमरी, गगहा, थाना-गगहा, 3-अजय सिंह पुत्र प्रेम नरायण सिंह निवासी कोठा, थाना गगहा के पंजीकृत होकर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय द्वारा प्रारम्भ किया गया और घटना स्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। दौरान निरीक्षण थानाध्यक्ष गगहा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय को दिनांक 6-3-2013 को घटित घटना में त्वरित वैधानिक/निरोधात्मक कार्यवाही न करने एवं लापरवाही बरतने के कारण दिनांक 7-3-2013 को निलम्बित कर दिया गया तथा श्री अजय नारायण सिंह को थानाध्यक्ष गगहा पर नियुक्ति करते हुए दिनांक 6-3-2013 को सनी सिंह एवं बाबू लाल के मध्य हुए विवाद के सम्बन्ध में थाना-गगहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-34/13 धारा-25/27 आर्म्स ऐक्ट में पीड़ित पक्ष की सुरक्षा में लगायी गयी ड्यूटी में बरती गयी लापरवाही के आरोप में बीट कान्स0 ना0पु0 रामाज्ञा कुशवाहा व शिवराम सिंह को दिनांक 7-3-2013 को निलम्बित किया गया। नवनियुक्त थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त नामित आरोपी अजय सिंह उर्फ अजय नारायण पुत्र प्रेम नारायण को दिनांक 8-3-2013 को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अभियुक्त सनी सिंह व टीका सिंह पुत्र उग्रसेन सिंह निवासी डुमरी ने दिनांक 13-3-2013 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इन दोनों अभियुक्तों को पुलिस रिमाण्ड पर लिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। विवेचना से सिंहासन यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी नेवादा, थाना-गगहा का नाम प्रकाश में आने के फलस्वरूप उसे दिनांक 16-3-2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा इसके पास से आलाकत्ल बरामद किया गया है। इस समय उक्त चारों अभियुक्त जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध हैं।

दूसरी घटना दिनांक 6-3-2013 को क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री विजय शंकर मिश्र के साथ कचहरी गोरखपुर प्रांगण में हुई मारपीट के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार वादी मुकदमा श्री विजय शंकर मिश्र, क्षेत्राधिकारी, बांसगांव द्वारा दी गयी तहरीर की दिनांक 6-3-2013 को मैं विजय शंकर मिश्र क्षेत्राधिकारी, बांसगांव, हमराही का0 राकेश कुमार, सुरेश यादव के साथ एक अन्य मुकदमें में बयान के वास्ते मा0 न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट-II के न्यायालय गया था जैसे ही न्यायाधीश के डायस के नजदीक पहुंचा तो योजनाबद्ध तरीके से अधिवक्ता अमित शुक्ला, सज्जाद हुसैन, सुनील मिश्रा, संजय चौबे, भानु प्रकाश, अभिमन्यू पाण्डेय,

दिनेशधर दुबे, अनूप कुमार तिवारी, राममणि त्रिपाठी व उनके साथ 20-25 अन्य अधिवक्ताओं ने अपराधिक बल का प्रदर्शन करते हुए मुझे घेर लिया और मुझे गाली देते हुए मारने लगे जिससे मेरा चश्मा टूट कर गिर गया तथा इन लोगों ने मेरी वर्दी के फ्लैट्स तथा स्टार को नोच लिया तथा मेरे सीने, कमर व कन्धों पर मुक्कों से वार करने लगे। मैंने अपने आपको बचाने की कोशिश की तो इन लोगों ने मेरी गर्दन दबोच ली। यह सब देख मा0 न्यायाधीश महोदय डायस से उठकर अपने कक्ष की तरफ चली गयीं और न्यायालय में मौजूद व्यक्तियों में भगदड़ व अफरा-तफरी मच गयी तथा न्यायिक कार्य पूर्णतया बाधित हो गया। इस घटना की सूचना न्यायालय परिसर में मौजूद सहायक पुलिस अधीक्षक, श्री शैलेष कुमार पाण्डेय द्वारा 100 नम्बर पर दी गयी, जिस पर पुलिस अधीक्षक, नगर के नेतृत्व में पुलिस बल न्यायालय पहुंचा और मुझे बचाकर निकाला, अगर पुलिस फोर्स मौके पर न पहुंचता तो यह लोग मेरी हत्या भी कर सकते थे।

क्षेत्राधिकारी, बांसगांव श्री विजय शंकर मिश्र की उक्त तहरीर पर थाना कैण्ट में मु0अ0सं0-210/13 धारा-147/148/332/353/504/506/427 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट बनाम अमित शुक्ला, सज्जाद हुसैन, सुनील मिश्रा, संजय चौबे, भानु प्रकाश, अभिमन्यु पाण्डेय, दिनेशधर दुबे, अनूप कुमार तिवारी, राममणि त्रिपाठी व 20-25 अन्य पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री दिनेश तिवारी, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर द्वारा की जा रही है। आरोपीगण की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सभी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं विवेचना के विधिक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।]

[12.25] उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, को वापस लेने का प्रस्ताव

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास विभाग (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

''चूंकि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 06 मार्च, 2013 को संविधान के अनुच्छेद-197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-150 (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् की मेज पर रखने के तीन माह की अवधि व्यतीत होने पर भी इसे विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है, अतः उक्त अनुच्छेद और नियमों के अधीन उक्त विधेयक इस सदन में लंबित हो गया है, और

चूंकि उक्त विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जा चुका है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी उपबन्ध सम्मिलित हैं,

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।''

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 06 मार्च, 2013 को संविधान के अनुच्छेद-197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-150 (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् की मेज पर रखने के तीन माह की अवधि व्यतीत होने पर भी इसे विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है, अतः उक्त अनुच्छेद और नियमों के अधीन उक्त विधेयक इस सदन में लंबित हो गया है,

और चूंकि उक्त विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जा चुका है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी उपबन्ध सम्मिलित हैं,

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.26] उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 1983 की धारा-14 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की धारा-14 में, खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(ञ) मन्दिर के चढ़ावे में प्राप्त बेलपत्र आदि से बने भस्म श्रद्धालुओं में निःशुल्क वितरित करें;

(ट) वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित शोध करे, शोध से सम्बन्धित सुअवसर प्रदान करे, निःशुल्क शोध केन्द्र स्थापित करे, निःशुल्क शिक्षण कक्षाएं आयोजित करे, वैदिक संस्कृति को तकनीकी शिक्षा से समन्वित करने के लिए निःशुल्क तकनीकी शिक्षा स्थापित करे और रोजगार के लिए सुअवसर सुलभ कराये, समान उद्देशीय संगठनों की सहायता से समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करे एवं वैदिक संस्कृति की शिक्षा हेतु विद्यालय खोले;

(ठ) निर्धन, निर्बल तथा असहाय श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र खोले और उसकी व्यवस्था करे;

(ड) श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र की सुविधा सुलभ कराए;

(ढ) श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं खोले एवं निःशुल्क उपलब्ध कराये और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करे तथा वैदिक संस्कृति और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शोध केन्द्रों की भी स्थापना करे;

(ण) श्रद्धालुओं में निःशुल्क प्रसाद वितरण की व्यवस्था करे, चढ़ावे में प्राप्त वस्त्रादि एवं अन्य सामग्री को निर्धन और असहाय लोगों में वितरित करे;

(त) न्यास और समय-समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं बैठकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनजागरण हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं निःशुल्क वितरण करे;

(थ) ऐसे सभी अन्य कार्य करे जो मन्दिर और उसके विन्यास के कार्यकलापों के कुशल प्रबन्धन और तीर्थयात्रियों और पुजारियों की सुविधा के लिए आनुषंगिक और सहायक हों।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.28] उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980 की धारा-5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-5 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक ''और 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' के स्थान पर शब्द और अंक ''और 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 01 जून, 2013 से दो लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''साठ हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) में शब्द ''आठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा-15 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-15 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''चार सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''चार सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा-16 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (3) निकाल दी जाएगी।

धारा-24 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-24 में, उपधारा (1) में शब्द ''सात हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा-26-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-26-क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(3) उपधारा (2) ऐसे भूतपूर्व सदस्यों, जिनकी मृत्यु 05 मार्च, 2010 से पूर्व हुई है, के पति/पत्नी जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 के आरम्भ के दिनांक को जीवित हैं, पर भी लागू होगी। ऐसे पति/पत्नी 01 अप्रैल, 2013 से पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आपके हिस्से में जितनी भी उपलब्धियां होंगी उनमें से आधी काट कर आपको दी जायेंगी।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन)(संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12.30] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2013, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29, सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित

''(च) एक विश्वविद्यालय जिसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के रूप में जाना जायेगा;

† दिनांक 4 अप्रैल, 2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10, सन् 1973 की धारा-4 का संशोधन

(छ) एक विश्वविद्यालय जिसे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद के रूप में जाना जायेगा,''

धारा-50 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-50 में, उपधारा (1-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

''(1-ग) जब तक कि इस धारा के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।

(1-घ) जब तक कि इस धारा के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।''

धारा-52 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-52 में, उपधारा (2-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

''(2-ख) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।

(2-ग) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।''

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या-3, 4 और 6 पर अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

''3-छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

(1) इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना होने तक	इलाहाबाद, अमेठी, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले।

(2) इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना हो जाने पर	औरैया, अमेठी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले।

4-दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

(1) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक	बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले।
(2) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर	देवरिया, कुशीनगर तथा गोरखपुर जिले।

5-डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

(1) इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना होने तक	अम्बेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर जिले।
(2) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर तथा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना होने पर	अम्बेडकरनगर, बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा तथा सुल्तानपुर जिले।

(ख) क्रम संख्या-11 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

''12	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़ जिले।
13	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर	बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीरनगर जिले।''

कठिनाइयों को दूर किया जाना

6-(1) राज्य सरकार, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना से सम्बन्धित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनयम के उपबंध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, इसको सर्वसम्मति से कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

सब सहमत हैं ? चलिये इसको सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, शिक्षा के सभी मामले सर्वसम्मति से होने चाहिए।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12.35] उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों यथा-कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़ियां, मांझी तथा मछुआ जाति को अनुसूचित जाति की सभी सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प

*समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

चूंकि, राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों यथा-कहार, कश्यप, केवट मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ के सम्बन्ध में विस्तृत नृजातीय अध्ययन कराने के पश्चात् ये पाया गया कि उक्त 17 जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की सभी पात्रतायें, अर्हतायें और योग्यतायें रखती हैं।

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के प्राविधानों के अन्तर्गत संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त महामहिम श्री राष्ट्रपति जी द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चूंकि, यह अधिकार भारत की संसद और भारत सरकार में निहित है।

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (1) में सम्बन्धित राज्य के महामहिम श्री राज्यपाल के परामर्श से भारत की संसद द्वारा यह निर्णय लिये जाने की व्यवस्था है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाली 17 पिछड़ी जातियों यथा-कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकृत करने तथा उन्हें अनुसूचित जाति की सभी सुविधायें प्रदान करने हेतु यह सदन अपनी संस्तुति सहित संकल्प पारित करता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों यथा-कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ के सम्बन्ध में विस्तृत नृजातीय अध्ययन कराने के पश्चात् ये पाया गया कि उक्त 17 जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की सभी पात्रतायें, अर्हतायें और योग्यतायें रखती हैं।

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के प्राविधानों के अन्तर्गत संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त महामहिम श्री राष्ट्रपति जी द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था है।

चूंकि, यह अधिकार भारत की संसद और भारत सरकार में निहित है।

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (41) में सम्बन्धित राज्य के महामहिम श्री राज्यपाल के परामर्श से भारत की संसद द्वारा यह निर्णय लिये जाने की व्यवस्था है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाली 17 पिछड़ी जातियों यथा-कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकृत करने तथा उन्हें अनुसूचित जाति की सभी सुविधायें प्रदान करने हेतु यह सदन अपनी संस्तुति सहित संकल्प पारित करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12.36] प्रदेश के महानगरों की नगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 के प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

सतीश महाना जी का संकल्प है। महाना जी एक लाइन पढ़ दीजिए।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी से हम लोगों का कुछ निवेदन था मा0 मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं जो विषय इस सदन के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत आए हैं यह संकल्प भी उसी से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी अपना भाषण दिया जो सब लोगों के द्वारा अपेक्षा थी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हैंडपम्प की होती है मान्यवर, जो भी आपने किया है मैं विस्तार से उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है वह हैंडपम्प है उस हैंडपम्प के साथ आप विधायक निधि पर भी विचार करना चाहें तो आपकी कृपा होगी। यह जो होली का माहौल है, यह जो मायूसी छायी हुई है सदन के अन्दर आप उस मायूसी को खुशी में बदलने का काम करें यह मैं मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूं। (शोर)

[12.38] मुख्य मंत्री द्वारा पूर्व विधायकों की पेंशन आदि के बढ़ोत्तरी, सदस्यों के दैनिक भत्ते आदि में बढ़ोत्तरी, मा0 विधायक को 100 हैण्डपम्प दिये जाने तथा विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के मानदेय आदि की घोषणा

(मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव के खड़े होने पर)

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हर बार सदन का सत्र जब समाप्त होता है तो यह बात उठती है और सदन जब चलता है तो पूरी कानून और नियमावली सबके बीच यह बात आती है किसी न किसी रूप में, तो हम लोग सरकार की तरफ से, क्योंकि पूर्व विधायकों के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें रखी थीं तो शुरुआत होनी चाहिए पूर्व विधायकों से, पूर्व विधायक जो वर्तमान में जिनकी पेंशन सात हजार प्रतिमाह थी वह पेंशन बढ़कर पूर्व विधायकों की आठ हजार प्रतिमाह हो जाएगी। (मेजें थपथपाई गईं) रेल यात्रा कूपन जो पहले 50 हजार प्रतिवर्ष थे वह 60 हजार प्रतिवर्ष बढ़ा दिए गए हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

पारिवारिक पेंशन, कई बार मांग पूर्व विधायकों ने रखी, पुरानी सरकार के सामने भी बात आई होगी और इस सदन में भी आई, कई मौकों पर जब पूर्व विधायक मिलते थे तो इस बात को रखते थे और कहीं न कहीं यह महसूस हुआ है कि पुरानी सरकार मनोबल न जुटा पायी और वह पूरा नहीं कर पायी। सरकार ने तय कर लिया है कि पारिवारिक पेंशन जो पहले थी दिनांक 05-02-2010 से पूर्व मृत पूर्व सदस्यों के परिवार पारिवारिक लाभ से वंचित थे, जो अब व्यवस्था होगी वह यह है कि अब सभी मृत भूतपूर्व सदस्यों के परिवार को इसका लाभ मिलेगा। भूतपूर्व विधायक के बाद अब माननीय विधायकगण। दैनिक भत्ता जो था, वर्तमान में जो अभी मिलता है, 500 रुपये प्रतिदिन है, सदन चलने के दौरान, अब 750 रुपये मिलेगा। दैनिक भत्ता अन्य दिनों में सरकारी दौरों के लिए 250 से बढ़कर 400 रुपये और रेल यात्रा हेतु कूपन जो 2 लाख प्रति वर्ष था, वह 2.5 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। रेल कूपन की धनराशि में से पेट्रोल तथा डीजल के लिए नगद भुगतान की राशि 8 हजार से बढ़ाकर 10 हजार और मकान किराये के अवशेष की जो व्यवस्था थी, अब इसे समाप्त कर दिया गया है, अब कोई भी अन्तर किसी भी ओर से देय नहीं होगा और जो मुख्य मांग, जो नल का मामला है तो सभी सदस्यों को 100 नल दिए जायेंगे और लोहिया ग्राम का मामला जो कई बार माननीय सदस्यों ने उठाया, सीनियर सदस्यों ने भी उठाया है, कई बार इस बात को कहा है। यह जो अगला आने वाला वर्ष है, जो अभी शुरू होगा, जो शिकायत थी, उस शिकायत को हम लोग अगले सत्र में दूर करेंगे

जिसमें लोहिया समग्र विकास योजना से आपको भी लाभ पहुंचेगा, जोड़ेंगे और विधान सभा के कर्मचारियों की पुरस्कार राशि 6000 रुपये दी जायेगी।

[12.39] प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आपके इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी कि इसे समाप्त कर दें ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, चर्चा जारी रहेगी, यह सबसे महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

(चर्चा जारी)

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिए पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू किये जाने सम्बन्धी श्री सूरजपाल सिंह द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2013 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सूरजपाल सिंह हैं ? श्री सूरजपाल सिंह नहीं हैं, समाप्त।

जनपद आगरा की पेयजल समस्या हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पंचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़े जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2013 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह हैं ? नहीं हैं।

शासन की ''हमारी बेटी, उसका कल'' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/-धनराशि प्रदान किये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री सतीश महाना जी, आपके दो-दो संकल्प थे। यह जो आपका संकल्प है, इसे समाप्त करें या चलने दें ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, चलने दें।

श्री अध्यक्ष-

तब एक लाइन पढ़ दीजिए।

श्री सतीश महाना-

इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' ..

श्री अध्यक्ष-

चलिए हो गया, चर्चा जारी।

जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह जी हैं ? नहीं हैं। अतः समाप्त हुयी।

जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह जी हैं ? नहीं है। अतः समाप्त मानी गयीं।

जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह जी हैं ? नहीं है। अतः चर्चा समाप्त मानी गयी।

काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने सम्बन्धी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी हैं ? यह भी नहीं हैं। अतः समाप्त हुयी।

शहरी क्षेत्र में रहने वाले अल्प आय वर्ग के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु 500 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले अल्प आय वर्ग के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु 500 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

सतीश महाना जी, मद सं0-26 में भी आपका ही प्रस्ताव है, यह 500 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का था, 100 हैण्डपम्प मिल गए हैं, अब इसे खत्म करिए। यह समाप्त।

प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में 2000 करोड़ के ठेके में कुख्यात माफिया कम्पनी द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक घण्टे की चर्चा थी, अब सम्भव नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

इसे मैं स्थगित करता हूं।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवन जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कु0 कौशल सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक घण्टे की चर्चा थी, इसमें आप एक लाइन बोल दीजिए। इसको हम जारी रखेंगे।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

अध्यक्ष जी, यह एक गम्भीर विषय है और राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। गांधी जी ने कहा था...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, यह जारी रहेगा।

[12.45] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 122 सूचनाएं प्राप्त हुईं, सभी सूचनायें स्वीकार कर ली गयी हैं और सभी पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

प्रथम सूचना श्री गजराज सिंह की नवसृजित जनपद हापुड़ में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में स्थित अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला भीखमपुर के अध्यापकों का लम्बित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में डा0 लोहिया समग्र विकास योजना में ग्राम सभाओं का चयन पारदर्शिता से कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी के अन्तर्गत सम्पूर्ण विकास हेतु उपलब्ध कराये गये धनराशि

से मूलभूत सुविधायें मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की श्री राज्यपाल के शासनादेश होने के बावजूद डा0 दिवाकर पाण्डेय सेवानिवृत्त चिकित्साधिकरी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, बहराइच के ग्राम मझारा तौकली को तहसील से जोड़े जाने सम्बन्धी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भरौली घाट पर विद्युत शव दाह गृह स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रामहेत भारती की छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की सेक्टर आई एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ में नगर निगम द्वारा इन्टरलॉकिंग न कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर आठ में सीवर लाइन के चोक होने से गन्दे पानी के बहते रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद बाराबंकी ग्राम तेलवारी के न्याय पंचायत रामनगर में कोटेदार द्वारा समुचित वितरण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अमित गौरव यादव की जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ में शस्त्र लाइसेन्स के आवेदकों को राइफल क्लब की सदस्यता के लिये विवश किये जाने सम्बन्धी शर्त हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हसनगंज, उन्नाव में कार्यरत श्री रामबहादुर कनिष्ठ लिपिक के अवकाश स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की भारत गैस सर्विस ग्राम शिवलर मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा खुलेआम गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना सी0ए0 मो0 आसिफ जाफरी की जनपद इलाहाबाद के थाना मेजा में अविनाश द्विवेदी की हत्या कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री महावीर सिंह राणा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में हुसैन मलकपुर के मध्य गांगरों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में बस्ती गोरखपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अली यूसुफ अली की जनपद रामपुर के विकास खण्ड स्वार के बिलासपुर स्वार मार्ग से इमरता राय आदि विकास खण्डों के अन्तर्गत सड़कों व नालों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या सीमा अधिक होने के कारण बी0पी0एल0 कार्ड न जारी होने से खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना डा0 मो0 मुस्लिम की जनपद अमेठी की तिलोई अन्तर्गत लुधवरिया नाले पर बने पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की आगरा शहर के चावली क्षेत्र में गलियों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री राजेश यादव की लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर-सी में इन्टरलॉकिंग कराने एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री शहजिल इस्लाम अंसारी की लखनऊ के थाना हुसैनगंज निवासी डा0 सिद्धार्थ श्रीवास्तव के विरुद्ध सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने के बाद भी आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल न कराये जाने

के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री भगौती प्रसाद की कृषि विभाग के उपक्रम यू0पी0 स्टेट एग्रो में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की लखनऊ मध्य क्षेत्र के अत्यधिक घनी आबादी वाले नालों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गंगवार बुजुर्ग में चकबन्दी के दौरान हुए सीमांकन तथा बन्दोबस्त में गलत ढंग से दर्ज भूमि का रकबा सही कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली के ग्रामीण अंचल में पक्की गलियां एवं पक्की नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा स्थित जगनेर रोड से मलपुरा तक नाले का निर्माण एवं सब्जी मण्डी सिरौली मोड़ से अराधना गैस एजेन्सी तक नाला एवं सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में बालिकाओं की शिक्षा के लिये महात्मा गांधी बालिका शिक्षण संस्थान को संस्थान से सटे जिला पंचायत से भू-खण्ड आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विकास खण्ड खैरागढ़ के गांव तुस्सी की गढ़ी के लिये पुल एवं सड़क निर्माण और गांव मिर्जापुरा के लिये सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के बबीना कैन्ट क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की प्रदेश में होमगार्ड एवं प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को एक समान सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली विधान सभा क्षेत्र आंवला के ग्राम गुलड़िया गौरी शंकर में नया विद्युत फीडर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद फतेहपुर में विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री तस्लीम अहमद की बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा मान्यता प्रदान करने में मानकों में छूट प्राविधान के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की उ0 प्र0 में लेखपालों द्वारा किये जा रहे अवैध पट्टों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद लखनऊ स्थित के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के कोच श्री संजय मिश्रा के दुर्व्यवहार से खिलाड़ियों के पलायन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद मेरठ में एफ0सी0आई0 के गोदामों को शहर के बाहर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की मेरठ हवाई पट्टी को उच्चीकृत कर हवाई अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की संस्कृति विभाग के अधीन भारतेन्दु नाट्य अकादमी गोमती नगर, लखनऊ में तैनात महिला कर्मी के आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना सुश्री सावित्री बाई फूले की मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा के आदेश के बाद भी श्रीमती गोली पत्नी श्री रामराज को आवास योजना का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में है, चवालिसवीं सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की नगर बस चलाये जाने के उद्देश्य से सड़क चौड़ीकरण

किये जाने विषयक है, पैंतालिसवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह की जनपद लखनऊ, ब्लाक गोसाईगंज के ग्राम-नकटामऊ की मुख्य सड़क पर 10 के0वी0 का एक ट्रांसफार्मर लगाकर पूरे गांव में विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की लखनऊ के ग्राम बरावन कला में दबंगों द्वारा मिट्टी से बन्द की गयी नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री जाकिर अली की जनपद उन्नाव के ब्लाक पुरवा, ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर के अन्तर्गत रम्माखेड़ा कोदइयाखेड़ा सम्पर्क मार्ग पक्का/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महौली स्वीकृत गल्ला मण्डी का तत्काल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में सिकन्दरपुर बलिया स्वीकृत मार्ग को तत्काल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासिवीं सूचना श्री मोहम्मद आसिफ की जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के विकास खण्ड ऐरायं तथा विकास खण्ड हथगाम के कतिपय जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री उदय लाल मौर्य की जनपद जौनपुर के जय हिन्द इण्टर कालेज तेजीबाजार में लेक्चरर तथा एल0टी0/सी0टी0 ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत कांठ को नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के नगर पंचायत खैर में विद्युत तारों को मकान के ऊपर से हटाकर बगल से कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के ग्राम ढाकादेवी व ग्राम कल्लरपुर के मध्य अपर खण्ड पूर्वी नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुवेश की जनपद आगरा के निर्वाचन क्षेत्र छावनी में ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजेश्वर मन्दिर के पास कहरई मोड़ से मित्रपुरम् के सामने तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क एवं ध्वस्त नाली का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री सुरेश राणा की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन जनपद शामली के गांव मुडेट में शामली करनाल रोड से नहर के पुल तक मानक के विपरीत बनी सड़क की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइवनवीं सूचना श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड मलवां, तेलियानी एवं खजुहा के कतिपय जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवी सूचना श्री मो0 गाजी की उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के मस्टर रोल/विधि पैरोकार/दैनिक वेतन कर्मियों का दैनिक लिपिकीय संवर्ग में नाम अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की विधान सभा क्षेत्र निघासन व जनपद लखीमपुर में बढ़ती अपराधिक घटनाओं व तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री विमला सिंह सोलंकी की विकास खण्ड सिकन्दराबाद खण्ड बुलन्दशहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री गुलाब चन्द्र सरोज की जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत जौनपुर के अन्तर्गत गोमती नदी पर सरउज बड़ेवर भितरी घाट पर पान्टून (पीपा पुल) लगाये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद देवरिया तहसील भाटपार रानी में गलत तरीके से जमीन को अपने नाम से कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री विनय तिवारी की जनपद लखनऊ के

ग्राम बक्कान में आवासीय प्रयोजन हेतु सुल्तानपुर रोड पर क्रय की गयी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा क्रेताओं को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर नगर को पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने हेतु नये ओवरहेड टैंकों का निर्माण तथा उनमें पेयजल संचयन हेतु 24 नलकूपों की स्थापना के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जिला देवरिया के अन्तर्गत ब्लाक प्रमुख पदों के उप चुनाव में सामाजिक अराजक तत्वों एवं दबंग लोगों के द्वारा की गयी धांधली एवं जोर जबरदस्ती के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट मण्डल अन्तर्गत नवगठित जनपद महोबा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्तर का खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ग्राम शहवाजनगर के बेहटा, नयी बस्ती मजरा घूरखेड़ा व घुसगवां के जीर्ण-शीर्ण मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार के रामआधार पुरवा का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हत्तरहवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के मधुपुर-बेरमौव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में नवीन उप मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद में जल निगम फिरोजाबाद द्वारा लगाई गयी टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना के टंकियों के चालू कराये जाने हेतु 10 के0वी0 ट्रांसफार्मर को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की प्रदेश के अधिकांश पुलिस थाने में देवी देवताओं के मन्दिर परिसर में बने होने के कारण इनमें मानदेय पर पुजारी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां एवं विकास खण्ड मोहम्मदी में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद लखनऊ स्थित अनियमित ढंग से चल रहे असंवैधानिक विद्यालय ''ब्लू स्टार मान्टेसरी स्कूल'' माल एवेन्यू की मान्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री नीरज कुशवाहा मौर्य की जनपद लखनऊ के दन्त चिकित्सालय के के0जी0एम0सी0 को दन्त विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छियत्तरवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की जनपद बरेली शहर की अत्यन्त जर्जर सड़कों का जनहित में मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री मदन चौहान की उ0 प्र0 सचिवालय प्रशासन में कर्मियों के 10 साल की निरन्तर संतोषजनक सेवा में प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में निगोही तिलहर सम्पर्क जर्जर मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सिवीं सूचना श्री शारदा प्रसाद शुक्ला की आयुर्वेद एवं यूनानी फार्मासिस्टों की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में है, इक्यासवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी के राजरूपपुर चकिया मार्ग पर खड़न्जा पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासवीं सूचना श्री राधेश्याम की जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला न्यू श्रीनगर

श्री मुक्ता प्रसाद पाण्डेय के मकान से स्व0 रामनरेश के मकान तक पानी निकासी हेतु पाइप तथा चेम्बर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद लखनऊ के लोहिया पथ गोमती तटबन्ध पर स्थित पराग पार्लर में कार्यरत महिला कर्मचारी पुष्पांजलि से छेड़छाड़ किये जाने की एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर अभियुक्त की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासवीं सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की हमीरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड-मौदहा में टोला से टिकरी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासवीं सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की सहकारी गन्ना समितियों के कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, छियासवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत खरीदे गये सामान का सदुपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्तासवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद-पीलीभीत की तहसील-बीसलपुर के स्कूल/शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमि को कांशीराम शहरी आवासीय योजना में समर्पित कर आवास निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठासवीं सूचना श्री दीपक पटेल एडवोकेट की जनपद-इलाहाबाद की तहसील-बारा के विकास खण्ड-शंकरगढ़ की नगर पंचायत की मुख्य सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री छोटे लाल वर्मा की जनपद आगरा की डा0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध विभिन्न पोषित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से अलग-अलग शुल्क लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की प्रदेश में मण्डी परिषद्/मण्डी समितियों में नियुक्त/ कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानवेवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद-बस्ती में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही पेट भरो योजना में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री अमित गौरव यादव की जनपद-लखनऊ स्थित सीतापुर रोड पर फ्लाई ओवर के निर्माण का कार्य के चलते निर्माण कार्य स्थल पर खम्भों के दोनों तरफ गड्ढों पर लोहे की चादरें न बिछाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद-चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय में नगरीय क्षेत्र से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत हो रहे अवैध बालू खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्चानबेवीं सूचना श्री राम सरन की जनपद लखनऊ की सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत सीतापुर रोड से निकलने वाले कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी के चयन में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री इन्द्रपाल सिंह की एक्स-रे टेक्नीशियनों को विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कराकर सहायक रेडियोलॉजिस्ट न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद-रायबरेली के सरेनी क्षेत्रान्तर्गत गंगा जी के तटीय तपोभूमि क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद लखनऊ के गोमतीनगर विकास खण्ड-5 में बने पार्क के टूटे हुए गेट को ठीक

कराने व पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले रिहायशी इलाकों के पूर्णतया कच्चे मार्गों को परिवहन योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में प्रोन्नति की नीति के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के ब्लाक-गंगोह को तहसील का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री गंगा सिंह कुशवाहा की प्रदेश में प्रबन्धकीय व्यवस्था के तहत चलाये जा रहे प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के मानकों को पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री सतीश महाना की जनपद कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अर्रा, बिनगवां एवं गंगापुर कालोनी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत चिलकहर ब्लाक के सिकरिया खुर्द गांव के सामने नहर पर पड़ने वाली पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छःवीं सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर अवशेष छः पदों सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग में संविलीन किये जाने के बावजूद देयकों का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री आशीष कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्रामों में होलिका दहन के स्थान को लेकर चल रहे विवाद से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना डा0 विजय कुमार की जनपद गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ नवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत रसूलपुर ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा आम के पेड़ कटवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी के थाना मड़िहान के अन्तर्गत ग्राम सभा दाढ़ीराम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा-3 के छात्र की बिजली के टूटे हुए तार की चपेट में आने से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ मधुबन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इब्राहिमाबाद में स्थित पोखरी के पश्चिमी तट का सुन्दरीकरण व उक्त भूमि पर किये जा रहे नाजायज कब्जे को रोकने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर की जनपद-लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत ऐरा चीनी मिल द्वारा गन्ने की तौल में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्य फ्रेन्चाइजी के माध्यम से कराये जाने के कारण कोई सुनवाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद वाराणसी के साकेतनगर कालोनी स्थित पार्क नम्बर-4 पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री हाजी परवेज अहमद 'टंकी' की जनपद इलाहाबाद के करैलाबाद क्षेत्रान्तर्गत एम0एल0 कान्वेन्ट स्कूल से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की जनपद लखनऊ में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरण में किये गये भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्तरहवीं सूचना

श्री संतराम कुशवाहा की जनपद जालौन के माधौगढ़ क्षेत्रान्तर्गत बदनपुरा गैर आबाद मौजा को नगरपालिका कोंच में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना पं0 सुदेश शर्मा की मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत के0एन0 मोदी साइंस एण्ड कामर्स कालेज, मोदीनगर में खेलने की जगह को अवैध रूप से छोटा करके कामर्शियल मार्केट एवं आवासों का निर्माण कराकर बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत जामों नाला की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ बीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट' की जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा-राया मुख्य मार्ग संख्या-33 पर बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ इक्कीसवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ बरौली क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर पशु चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बाइसवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद-रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर से बहने वाली सई नदी में उद्योगों/मिलों का गन्दा कचड़ा गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

जनपद गाजियाबाद में मानकों की अनदेखी कर संतोष यूनिवर्सिटी तथा संतोष मेडिकल एवं डेन्टल कालेज को चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद गाजियाबाद में मानकों की अनदेखी कर.....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[मेडिकल कालेज एवं यूनिवर्सिटी चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी जिससे उक्त यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल कालेज द्वारा छात्रों का उत्पीड़न करके धन उगाही की जा रही है। इस प्रकार से मानक के विपरीत मेडिकल कालेज एवं यूनिवर्सिटी चलाने के अनुमति दिये जाने एवं छात्रों का शोषण करके धन उगाही किये जाने से छात्रों एवं उनके अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में इसकी जांच कराकर कठोर कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा इस प्रकरण में वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली तथा डेण्टल काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष मेडिकल कालेज का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त ही पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा 05 वर्ष के उपरान्त सम्बन्धित कालेज को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यता प्रदान की जाती है। जहां तक सन्तोष मेडिकल कालेज, सन्तोष डेण्टल कालेज एवं पैरा-मेडिकल कालेज का प्रश्न है यह स्वाधीन निजी क्षेत्र का अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। निजी क्षेत्र में संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेजों में अध्ययनरत छात्रों को शोषणमुक्त शिक्षा प्राप्त कराये जाने तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-979/71-2-11-19/2010, दिनांक 28-3-2011 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, मथुरा, गोरखपुर एवं सीतापुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, जिसमें कोषाधिकारी, सम्बन्धित मण्डल में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को सम्मिलित किया गया है। संतोष विश्वविद्यालय एवं संतोष मेडिकल/डेण्टल कालेज के छात्रों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं हैं। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण संज्ञान में लाया जायेगा तो उचित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम सेवई में गाटा संख्या-786 व 796 को बंजर भूमि घोषित किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम सेवई ....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की गाटा सं0-786 व 796 की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं। श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री अगनू द्वारा वर्ष 1982 के पूर्व तक भूमि का लगान जमा किया जाता रहा है। किन्तु 1982 के पश्चात् इसे बंजर भूमि घोषित कर दिया गया तथा राजस्व अभिलेखों में बंजर घोषित करने का कोई आदेश भी अंकित नहीं है। यह सब कैसे तथा किसके द्वारा किया गया है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत भी पूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है। उक्त के कारण काश्तकार की भूमि पर ग्राम प्रधान व अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जा भी किया जा रहा है। काश्तकार एक दलित वर्ग का व गरीब होने के कारण कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है कि वर्ष 1982 के पूर्व यह किसके नाम अंकित थी और कैसे बंजर घोषित हो गयी इसकी एक उच्च स्तरीय जांच अत्याधिक आवश्यक है। ताकि श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री अगनू को न्याय मिल सके। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम-सेवई, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा सं0-786 रकबा 3-12-0 बीघा तथा गाटा संख्या-796 रकबा 2-5-0 बीघा, जिल्द बन्दोबस्त (चकबन्दी) सन् 1965 राजस्व वर्ष 1372-73 फसली में तथा 03-06-1982 की खतौनी सन् 1381 से 1388 फसली के खाता संख्या-297 बंजर खाते में, गाटा संख्या-786/3-12-0 बीघा व खाता संख्या-305 ऊसर खाते में, गाटा संख्या-796/2-5-0 बीघा तथा ग्राम सेवई की वर्तमान खतौनी सन् 1419 से 1424 फसली के खाता संख्या-376 पर बंजर खाते में, गाटा संख्या-786/0.911 हे0 (3-12-0 बीघा) तथा खाता 383 ऊसर खाते में, गाटा संख्या-796/0.569 हे0 (2-5-0 बीघा) अंकित है। ग्राम सेवई के राजस्व अभिलेखों में खसरा संख्या-786 व 796 की भूमि श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री अगनू के नाम दर्ज नहीं रही है। इसलिये श्री मुन्ना लाल पुत्र अगनू के नाम दर्ज न होने के कारण श्री मुन्ना लाल का नाम खारिज करके बंजर घोषित करने विषयक कोई आदेश अंकित नहीं है।]

इलाहाबाद प्रशासन द्वारा सराय ऐक्ट 1887 के अनुसार गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

इलाहाबाद प्रशासन द्वारा सराय एक्ट .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[नगर क्षेत्र में गेस्ट हाउस/शादी-विवाह के एकाएक सरांय एक्ट सन् 1867 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशनों को 09 मार्च, 2011 को निरस्त कर देने से आगामी होने वाले विवाह समारोहों के आयोजकों में भारी अनिश्चितता, अव्यवस्था तथा आक्रोश उत्पन्न हो गया है। नगर क्षेत्र में सड़क, पार्क, स्कूल आदि में कोई सार्वजनिक/व्यक्तिगत समारोह नहीं किये जा सकते। शादी विवाह आदि के लिये सैकड़ों गेस्ट हाउस विवाह गृह आदि का पंजीकरण सरांय एक्ट, 1867 के अनुसार किया गया है। यहां 07 जनवरी, 2011 को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नोमानी गार्डन गेस्ट हाउस-32, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड, जार्ज टाउन का पंजीकरण संख्या-262 जारी किया गया है। पुलिस, तहसील, लो0नि0वि0 आदि से जांचोपरान्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन किया गया था किन्तु 26-4-2011 को एकाएक एक ऐसे पड़ोसी जिसका स्वयं का स्कूल व ''नारायण वाटिका'' विवाहगृह है, की शिकायत पर नोमानी गार्डन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। नोमानी गार्डन द्वारा समानता के आधार पर माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से शिकायत करने एवं रजिस्ट्रेशन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुनर्स्थापित करने की मांग करने पर उनको अनुतोष देने के बजाये नगर के सारे गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण व सील करने की नोटिस देने से आगामी माह में शादी हेतु बुक कराने वालों के सामने बहुत भारी समस्या खड़ी हो गयी है। इससे लोगों में भारी आक्रोश व असंतोष व्याप्त हो गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सदन में वक्तव्य देने व सराय एक्ट में जारी गेस्ट हाउसों के निरस्तीकरण को समाप्त कराने की मांग करता हूं।

वक्तव्य : उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि नोमानी गार्डन गेस्ट हाउस/विवाह घर, 32, जार्ज टाउन, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड, इलाहाबाद पुलिस, नगर निगम, अग्निशमन एवं राजस्व विभाग से आख्या प्राप्त होने पर सरांय एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया परन्तु महायोजना के विपरीत विवाह घर के संचालन पाये जाने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 26-4-2011 में दिये गये निर्देश के क्रम में जांचोपरान्त पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। श्री ए0आई0 नोमानी द्वारा समता के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने हेतु अन्य वैवाहिक गृहों का उल्लेख करते हुए विभिन्न स्तर पर शिकायती-पत्र प्रस्तुत किये गये। इस सम्बन्ध में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 5-3-13 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री नोमानी के आस-पास 06 भवनों में भू-उपयोग के विरुद्ध गतिविधियां पायी गयीं जिसके लिये बंगला नम्बर-33, जार्ज टाउन, मकान नम्बर-20/23 ए, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड एवं मकान नम्बर-31 सी0वाई0 चिन्तामणि रोड, इलाहाबाद के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-16 एवं धारा-26 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा मकान नम्बर-6ए/1, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड, इलाहाबाद के विरुद्ध नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16(2) के अन्तर्गत कारण बताओ की नोटिस जारी करते हुए महायोजना 2021 में स्थल आवासी भू-उपयोग के अन्तर्गत होने के कारण गेस्ट हाउस/बारात घरों को धारा-28(क) के अन्तर्गत सील बन्द कराया गया है।

भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में विकास प्राधिकरण के स्तर से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है साथ ही 10-5-2012 के पश्चात् प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त किये बिना सराय ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं किया जा रहा है।]

जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपुर व प्राथमिक विद्यालय भुवर निरंजनपुर तथा प्राथमिक विद्यालय सोनारी में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालय .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[श्री उदय शंकर शुक्ला, सहायक अध्यापक के पद पर जनपद बस्ती में कार्यरत हैं जिनकी नियुक्ति पूरी तरह से फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी है तथा इन्होंने फर्जी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र भी उस संस्थान का लगाया है जहां पर मात्र महिलाओं को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इनका अनुक्रमांक-5624 तथा इन्होंने वर्ष 1985 में राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय नरहरिया बस्ती से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये अपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इन पर लगभग 17 मुकदमें लम्बित हैं। यही नहीं वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती ने भी 15-3-2013 को मु0अप0 310/13 धारा-384, 342, 506 एवं 452, 147 के अन्तर्गत थाना बस्ती सदर, जनपद बस्ती में दर्ज कराया है। पूर्व में इनको जुर्माना एवं सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। बी0टी0सी0 के प्रकरण पर इनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री सतीश शंकर शुक्ला, सहायक अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपुर विकास खण्ड परशुरामपुर जनपद बस्ती में कार्यरत हैं। इसके पूर्व ये जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा विकास खण्ड बांसी में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त ये सतीश कुमार एवं सतीश कुमार चन्द्र के नाम से भी कई विद्यालयों में कार्य किया और वेतन प्राप्त किया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने फर्जी तरीके से विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है।

इसी प्रकार से श्रीमती सुशीला देवी, सहायक अध्यापिका के पद पर प्राथमिक विद्यालय, भुअरनिरंजनपुर विकास खण्ड बस्ती सदर, जनपद बस्ती में कार्यरत है। पूर्व में ये भी जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय सोनारी विकास खण्ड बांसी में कार्यरत रही हैं निर्वाचक नामावली से स्पष्ट है कि इनका वास्तविक नाम राजकुमारी है इन्होंने भी फर्जी विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है जबकि उपरोक्त दोनों शिक्षक विकलांग नहीं हैं। इनके सन्दर्भ में संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा इलाहाबाद द्वारा भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह से श्री राम शंकर शुक्ला एवं श्रीमती शान्ती देवी भी सहायक अध्यापक के पद पर फर्जी नियुक्ति के आधार पर जनपद बस्ती में कार्यरत रहे जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गयी है। उपरोक्त सभी शिक्षक एक ही परिवार के हैं तथा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गयी है वहीं शिक्षा विभाग के कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ? उपरोक्त शिक्षकों की नियुक्ति चूंकि फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी है। श्री शंकर राम, सहायक अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय जफरी कलां विकास खण्ड देवा जनपद बाराबंकी में तथा जनपद बस्ती एवं जनपद सुल्तानपुर से एक साथ वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति को समाप्त करके इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वक्तव्य

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री उदयशंकर शुक्ला, सहायक अध्यापक, श्री सतीश शंकर शुक्ला, सहायक अध्यापक तथा श्रीमती सुशीला देवी, सहायक अध्यापिका के संदिग्ध रूप में कई जनपदों के कई विद्यालयों में कार्यरत होने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0 प्र0 लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-856/79-5-2013, दिनांक 19-3-2013 द्वारा जांच हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में जांचोपरान्त ही तथ्यपूर्ण उत्तर दिया जाना सम्भव हो सकेगा।]

आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनेक महाविद्यालयों की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी अस्थाई सम्बद्धता न किये जाने के सम्बन्ध में श्री तस्लीम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनेक .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपदों में स्थित गंगा सहाय महाविद्यालय, मैनपुरी, गोपीराम महाविद्यालय, घिरौर, मलखान सिंह महाविद्यालय नगला चैनी, कुरावली, श्रीमती कमलेश स्मृति महाविद्यालय कुरावली, मैनपुरी, श्री विट्टा देवी जानसिंह महाविद्यालय अलीगंज, एटा, राधाकृष्ण महाविद्यालय पुल, अरथरा, एटा, बालाजी महाराज महाविद्यालय, हाथरस, श्री कपूरीदेवी महाविद्यालय, भिलावली, अलीगढ़, श्री मोहन पैरा मेडिकल महाविद्यालय, सादाबाद, श्री एस0एन0 महाविद्यालय, नगला झम्मन, फिरोजाबाद, कपूरी देवी कृपाराम महाविद्यालय, धौलेश्वर एटा, हरप्रसाद मानसिंह महाविद्यालय नगला, उम्मेद, हाथरस, मिथलेश शर्मा महाविद्यालय कोटा, हाथरस, श्री मुबारक पंचशील महाविद्यालय, अवागढ़, नारायणी देवी महाविद्यालय, सादाबाद, एक्सीलेण्ट डिग्री कालेज, फतेहपुर, श्री महाराज कालेज पाली डूगरा, श्री जीबाबा इं0 महाविद्यालय एटा, अंजू प्रियंका डिग्री कालेज, हाथरस, चौ0 राम प्रकाश यादव महाविद्यालय, बदरिया सौरों, सुरेश चन्द्र शर्मा डिग्री कालेज जगनेर, आगरा, शान्ती देवी महाविद्यालय, मैनपुरी एवं श्याम सिंह महाविद्यालय आगरा आदि जो कि आगरा महाविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध हैं, यह सभी महाविद्यालय अस्थायी सम्बद्धता की तीन वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, स्थाई सम्बद्धता हेतु उक्त सभी महाविद्यालयों की पत्रावली काफी समय से आगरा महाविद्यालय, आगरा में लम्बित है परन्तु अभी तक उक्त महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी है। जिससे लगभग 60 हजार विद्यार्थी परीक्षा से वंचित होने की स्थिति में आ गये हैं। इन सभी महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता दिया जाना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अति आवश्यक है। उक्त महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता नहीं दिये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-उक्त सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37 (2) के परन्तुक के अधीन महाविद्यालय को सम्बद्धता/मान्यता की पुर्वानुमति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बन्धित पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने हेतु प्रपत्र-बी पर प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन में उपलब्ध कराये जाने पर शासन द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। अस्थायी सम्बद्धता की अवधि समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता दिये जाने हेतु पैनल गठित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने के उपरान्त मान्यता हेतु निर्धारित मानकों/शर्तों की पूर्ति पर संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन में स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रपत्र-ए पर उपलब्ध कराया जाता है। शासन स्तर पर गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में विचारोपरान्त महाविद्यालय को सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है।

3-उक्त नियमों एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालय/संस्थानों के खोले जाने तथा अन्य पाठ्यक्रमों को सत्र 2012-2013 से प्रारम्भ करने आदि से सम्बन्धित सम्बद्धता के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासन के आदेश दिनांक 10-10-2012 द्वारा महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में प्रस्ताव उपलब्ध कराने की तिथि 15-10-2012 तथा विश्वविद्यालय से शासन में प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 20-10-2012 नियत की गयी थी, जिसके क्रम में उक्त तिथि तक शासन में प्राप्त प्रस्तावों के निस्तारण हेतु सम्बद्धता समिति की दिनांक 31-10-2012 को सम्पन्न बैठक में सम्बद्धता के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ऐसे महाविद्यालय जो प्रपत्र-ए पर स्थायी सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करते हुए प्रस्ताव विश्वविद्यालय में दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक जमा कर चुके हैं तथा प्रस्ताव विश्वविद्यालय स्तर पर लम्बित हैं, छात्रहित में उन प्रस्तावों पर विचार करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 20 अक्टूबर, 2012 का विस्तरण करते हुए दिनांक 8 मार्च, 2013, शासन के आदेश संख्या-सी0एम0-58/सत्तर-2-2013-16(456)/2012, दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा किया गया। तद्नुसार शासन के आदेश संख्या-455/सत्तर-2-2012-16(456)/2012, दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को विचार किये जाने हेतु बैठक में आमंत्रित किया गया।

4-डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा दिनांक 8-3-2013 को तीन महाविद्यालयों-(1) प्रेम प्रयाग महाविद्यालय, भोगांव, मैनपुरी (2) साहब सिंह महाविद्यालय, नगला सुखी, फिरोजाबाद (3) श्याम महाविद्यालय, करहरा, आगरा के प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन में उपलब्ध कराये गये हैं। शेष अन्य महाविद्यालयों में से नौ महाविद्यालयों के प्रस्ताव कतिपय कमियों के कारण विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत किये गये हैं तथा अवशेष अन्य महाविद्यालयों के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रस्ताव/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। विश्वविद्यालय से संस्तुति सहित प्राप्त उक्त तीन प्रस्तावों पर शासन स्तर पर गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में नियमानुसार विचार किया गया। उक्त

सूचना में उल्लिखित अन्य महाविद्यालयों के प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुति सहित शासन में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शासन स्तर पर विचार किये जाने का आधार नहीं है। अतः ऐसे महाविद्यालयों जिनको सत्र 2012-13 में मान्यता प्राप्त नहीं है तथा उक्त शिक्षण सत्र में महाविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से छात्रों का प्रवेश लिया गया है, उन महाविद्यालयों के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाना विधिसंगत नहीं है।]

जनपद आगरा के थाना सैंया के तेहरा क्षेत्रान्तर्गत श्रेयस ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े की गयी डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद आगरा के थाना सैंया के तेहरा .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 26-2-2013 को श्रेयस ग्रामीण बैंक की सैंया शाखा में दिन-दहाड़े की गयी डकैती से पूरे जनपद में आम-जनमानस में भय एवं प्रकरण में पंजीकृत मु0अ0सं0-46/2013 धारा-393, 397, 307, 511, 302 व 120बी भादवि में जनपद की स्थानीय पुलिस द्वारा श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा ग्राम करकौली, थाना मनसुखपुरा को फंसाने सम्बन्धी जनपद आगरा की पुलिस के आचरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन श्री रामवीर उपाध्याय मा0 सदस्य, विधान सभा की दिनांक 20-3-2013 की सूचना पर दिनांक 22-3-2013 को निर्धारित वक्तव्य के सम्बन्ध में वांछित सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से प्राप्त की गयी।

2-प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 26-3-2013 को सैंया स्थित श्रेयस बैंक में अज्ञात बदमाशों ने लूट करते समय सहायक मैनेजर सन्तोष कुमार और कैशियर अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री सी0के0 अग्रवाल शाखा प्रबन्धक श्रेयस ग्रामीण बैंक द्वारा थाने पर दी गयी लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-46/2013 धारा-393, 397, 307, 511, 302 व 120बी भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त नरेन्द्र सिंह तोमर, रविन्द्र, मनोज कुमार, राजेन्द्र शर्मा, हरेन्द्र सिंह, अजमेरा, गुड्डन के नाम प्रकाश में आये जिनमें से अभियुक्त नरेन्द्र, रविन्द्र, मनोज एवं राजेन्द्र शर्मा को दिनांक 2-3-2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा मुकदमा उपरोक्त को दिनांक 6-3-2013 को धारा-396 भादवि में तरमीम किया गया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त घटना की साजिश करकौली निवासी राजेन्द्र शर्मा जो स्थानीय बसपा नेता है, के द्वारा रची गयी थी। घटना में संलिप्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 12-12 हजार की धनराशि का ईनाम घोषित किया गया है तथा उनके गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पुलिस द्वारा प्रकरण में जो भी कार्यवाही की गयी है वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गयी है। किसी भी अभियुक्त को गलत नहीं फंसाया गया है। विवेचना प्रचलित है।]

प्रदेश में टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में नियुक्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश में टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[76 यातायात उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। 06 माह प्रशिक्षण के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। टी0एस0आई0/टी0आई0पी0ए0सी0 से 3 से 5 वर्ष के लिए आते हैं तो समय से उनकी आमद और वापसी नहीं हो पाती है। टी0एस0आई0 की यातायात पुलिस में नियुक्ति न होने से पी0ए0सी0 में अभी महत्वूपर्ण जगहों पर तैनाती नहीं दी जा रही है क्योंकि पी0ए0सी0 सेनानायक टी0एस0आई0 को यातायात का अधिकारी समझ रहे हैं। यातायात व्यवस्था पूरे प्रदेश में अस्त-व्यस्त है परन्तु प्रशिक्षण प्राप्त करने में सरकार करोड़ों रुपया व्यय करने के बाद भी उदासीनता क्यों बरत रही है। टी0एस0आई0 के कुल 90 पद ही 1988 से सृजित हैं इसे भी बढ़ाया जाय। यातायात व्यवस्था बनाया जाना बहुत आवश्यक है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करती हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यातायात प्रशिक्षण प्राप्त उपनिरीक्षक रैंक के कर्मियों के यातायात उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति अभी तक नहीं हो पायी है क्योंकि **"यातायात पुलिस स्थापना बोर्ड"** के द्वारा यातायात उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। इस बोर्ड की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्तिम निर्णयोपरान्त उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही तद्नुसार की जायेगी। वर्तमान समय में प्रदेश की यातायात पुलिस व्यवस्था के संचालन हेतु 09 यातायात निरीक्षक, 90 यातायात उप निरीक्षक, 501 मुख्य आरक्षी यातायात तथा 3056 आरक्षी यातायात के पद सृजित हैं। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वाहनों/यात्रियों की संख्या में वृद्धि सड़कों के जाल में उत्तरोत्तर वृद्धि, अन्तर्राज्यीय मार्गों/बाई पास मार्गों की संख्या में हो रही वृद्धि दिन-प्रतिदिन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तेज गति से चलने वाले वाहनों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण यातायात व्यवस्था और कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो गया है, ऐसी स्थिति में दृष्टिगत यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि/कतिपय पदों के सृजन किये जाने का प्रस्ताव भी सक्रिय विचारण में है। यातायात के सुगम संचालन हेतु प्रत्येक स्तर पर सतत् एवं प्रभावी प्रयास किया जा रहा है।]

मऊ स्थित भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अल्लूपार केरमा को नियम विरुद्ध परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मऊ स्थित भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[अन्नूपार केरमा जनपद मऊ को नियम विरुद्ध परीक्षा केन्द्र बना दिया गया है। उक्त विद्यालय के नाम जमीन भी नहीं है और न ही विद्यालय की मान्यता है। फर्जी रूप से धोखाधड़ी करके उक्त विद्यालय को वर्तमान समय में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। यही नहीं विद्यालय के पास न तो भवन है और न तो बच्चों को परीक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था है। प्रबंधक की मिलीभगत से जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ ने पूरी कार्यवाही नियमों के विरुद्ध जाकर किया है। इस तरह जिले में तमाम विद्यालय फर्जी रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मऊ कार्यालय की मिलीभगत से परीक्षा केन्द्र बनाकर शासन की छवि धूमिल की जा रही है। भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरमा जनपद मऊ जो पहले से भी विवादित विद्यालय है और इसे बन्द किये जाने से सम्बन्धित कई प्रस्ताव जिला प्रशासन व शासन स्तर पर लम्बित है। पेरा प्रबंधतंत्र फर्जी है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है जिले में इस तरह के फर्जी विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाने में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाबुओं की भी भूमिका संदिग्ध है। चूंकि यह काफी-काफी दिनों से जिले मे तैनात रहकर पिछली सरकार में खूब सरकारी धन की लूट किये हैं और करोड़ों-करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित किये हैं, यह गम्भीर विषय है तथा आम जनता से जुड़ा एवं छात्रों के हित से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल गलत रूप से परीक्षा केन्द्र जो बनाये गये है उसे निरस्त किये जाने व जिला विद्यालय निरीक्षक व इनके कार्यालय के लिप्त बाबुओं को दण्डित किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केवल वक्तव्य

जनपद मऊ में स्थित भगत सिंह उ0मा0 विद्यालय अन्नूपार केरमा, मऊ गत दो वर्षों से परीक्षा केन्द्र रहा है तथा परीक्षायें शान्तिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न हुई है। विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा प्रश्नगत विद्यालय के सम्बन्ध में परीक्षा केन्द्र निर्धारण के समय कोई शिकायत/प्रत्यावेदन विद्यालय के विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ है।

2-जनपदस्तरीय समिति परीक्षा केन्द्र निर्धारण प्रक्रिया के समय ही जिलाधिकारी, मऊ द्वारा सभी विद्यालयों की जांच सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से करायी गयी। जांचोपरान्त उप जिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद, गोहना द्वारा प्रशासनिक/कार्यालय तथा शिक्षण कक्ष सहित कुल 16 कमरे एवं बाउण्ड्रीवाल तथा बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी आख्या दी गयी तथा परीक्षाकेन्द्र हेतु उपयुक्त पाया गया, जिसके क्रम में जनपदीय समिति की बैठक दिनांक 26-12-2012 में परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु जनपदीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी। तदोपरान्त परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया गया तथा वर्तमान समय में परीक्षा संचालित भी हो रही है।]

लखनऊ के ब्लाक बक्शी का तालाब स्थित किसान सहकारी समिति, महिगवां द्वारा सरकारी अनाज की खरीद में घटतौली एवं अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

लखनऊ के ब्लाक बक्शी का .....

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वमंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[में तैनात सचिव द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने सम्बन्धी शिकायत की जांच संचुक्त रूप से शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, शाखा-इटौंजा, जनपद-लखनऊ एवं सहायक विकास अधिकारी (सह0) बख्शी का तालाब से करायी गयी। जांच में शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई है। धान खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है।

वर्तमान में साधन सहकारी समिति लि0, भीखमपुर महिगवां, में श्री रामपाल सिंह, पैक्स कैडर सचिव कार्यरत हैं, जिनकी सेवायें जिला प्रशासनिक कमेटी, लखनऊ के अधीन हैं। उ0प्र0 प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति, केन्द्रीयित सेवा (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2004 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में नियम को प्रतिस्थापित करते हुये कृषक सेवा सहकारी समिति/प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति के प्रबन्ध निदेशक/सचिवों की सेवायें स्थानान्तरणीय नहीं है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत टी0टी0एस0पी0 टंकियों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गम्भीर पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ .....

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वमंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गम्भीर पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र आंशिक रूप से लखनऊ नगर एवं आंशिक रूप से लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ है। नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र मे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लखनऊ नगर पेयजल परियोजना प्रथम चरण भाग-1 एवं भाग-2 में पांच पेयजल योजनायें-खरिका वार्ड पेयजल योजना एवं औरंगाबाद जागीर, बेहसा, रहीमाबाद, किला मोहम्मदी नाम से स्वीकृत हुई थी, जिसमें से खरिका वार्ड पेयजल योजना को रख-रखाव हेतु जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जा चुका है। बेहसा, रहीमाबाद एवं औरगांबाद जागीर पेयजल योजनाओं मे उच्च जलाशय के माध्यम से वितरण प्रणाली की टेस्टिंग कर ली गयी है। नगर निगम क्षेत्र की इन पेयजल योजनाओं मे वैध निजी संयोजन दिये जाने का कार्य जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जाना शेष है। वैध निजी संयोजन के उपरान्त ही सन्दर्भित योजनाओं से जलापूर्ति किया जाना सम्भव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना किला मोहम्मदी पेयजल योजना में उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण है एवं अधिकांश वितरण प्रणाली बिछाकर टेस्ट कर ली गयी है। कुछ वितरण प्रणाली बिछायी जानी शेष है जिसका कार्य प्रगति पर है।

3-सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में दो पेयजल योजनाएं-बन्थरा एवं भटगांव, राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हुई है। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बन्थरा पेयजल योजना के अन्तर्गत उच्च

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जलाशय की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं उच्च जलाशय के माध्यम से वितरण प्रणाली की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। वितरण प्रणाली की टेस्टिंग के उपरान्त ग्रामवासियों को नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा सकेगी। भटगांव पेयजल योजना के अन्तर्गत भी उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कर इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। उच्च जलाशय के माध्यम से अधिकांश वितरण प्रणाली की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।]

जनपद कौशाम्बी के शुक्ला देवी बालिका विद्यालय जू0 हाई स्कूल, दारानगर के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद कौशाम्बी के शुक्ला देवी बालिका विद्यालय.....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जूनियर हाई स्कूल दारानगर में प्रबन्धकीय के विवाद के चलते पिछले 40 माह जो बकाया वेतन का भुगतान जुलाई, 2012 से दिया जाना शुरू हुआ था, जिसे पुनः बन्द करने से विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान रोक देने से जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है।

मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शीतला देवी बालिका जूनियर हाई स्कूल दारानगर के कर्मचारियों को प्रबन्धकीय विवाद के कारण वेतन रोके जाने से उत्पन्न संकट के कारण कर्मचारियों के बकाये वेतन सहित वेतन भुगतान करने के लिये कार्यवाही एवं सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा कौशाम्बी के पत्र दिनांक 21-03-2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार शीतला देवी बालिका विद्यालय जूनियर हाई स्कूल दारानगर कौशाम्बी के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वर्तमान में नियमित रूप से किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2012 से फरवरी, 2013 तक का भुगतान नहीं हुआ था, जो चेक संख्या बी0यू0 404058 दिनांक 12-03-2013 रु0 8,58,279/ (रुपये आठ लाख अट्ठावन हजार दो सौ उन्यासी मात्र) का चेक भी विद्यालय को प्राप्त करा दिया गया है।]

[12.46] मुख्य मंत्री द्वारा विधान मण्डल रक्षकों के पौष्टिक भत्ते आदि में बढ़ोत्तरी की घोषणा

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा एवं विधान परिषद् के रक्षक एवं हेड रक्षक के पदों पर अनुमन्य हो रहे पुष्टाहार भत्ते की दर को रु0 600 से बढ़ाकर रु0 750 प्रतिमाह किया जायेगा और

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के रक्षक, हेड रक्षक, सहायक मार्शल, उप मार्शल एवं मार्शल के पदों पर अनुमन्य हो रहे प्रोत्साहन भत्ते की दरों में वृद्धि करते हुए उन्हें उनके मूल वेतन (वेतन बैंड में बैंड वेतन एवं ग्रेड पे का योग) का 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 3000 तक की धनराशि दिये जाने की घोषणा की जाती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

पर्लियोमेंट के बराबर कर दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

देखिये, यह पार्लियामेंट के बराबर किया जाना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। इन सबसे उतनी ही हमदर्दी हमारी भी है जितनी आपकी है। और यह वाकई जितनी मेहनत करते हैं और अपमानित भी होते हैं तो इनका अधिकार बनता है। आगे क्या कर सकेंगे आने वाले वक्त में देख लेंगे।

[12.47] सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 प्रदीप माथुर जी, मा0 प्रमोद तिवारी जी, मा0 दलवीर सिंह जी, मा0 कलराज मिश्रा जी, मा0 महाना जी और सभी मा0 सदस्यों का मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि सदन चलाने में उनका बहुत ही सहयोग मिला और बहुत सारे ऐसे विचार आये जिनसे नये सदस्यों को सीखने का मौका मिला। जब सीनियर सदस्य खड़े होते हैं जब वह बात रखते हैं तो कहीं न कहीं उनका अनुभव उनकी बातों में दिखायी पड़ता है। तो यह सदन चला है जो आपका सहयोग मिला है उसके लिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और जो होली का त्योहार आ रहा है और जिस तरह से रंगों के साथ यह होली का त्योहार मनाया जाता है मैं समझता हूं कि देश और आम जनता भी उसी हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाये और अध्यक्ष जी, आपने बहुत शानदार और गरिमापूर्ण तरीके से इस सदन को चलाया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। हालांकि मा0 सदस्य कई बार आपका कहना नहीं मानते उसके बावजूद भी कहीं भी किसी भी तरीके से आपके ऊपर गुस्से का भाव नहीं दिखायी दिया। आपने उन्हें समझाया ही है। इसलिए आपके गाइडेंस में और आपके निर्देशों को हम लोगों ने माना है और जिस तरीके से आपने चलाया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके दिशा-निर्देशन में विधान मण्डल का सत्र बहुत ही सद्भावनापूर्ण और संयमित तथा अनुशासित तरीके से संचालित हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले मान्यवर आपको, आपके प्रमुख सचिव एवं सचिवालय के अधिकारीगण को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ सदन के दोनों पक्षों को चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, सभी सदस्यों ने विशेष रूप से आपके हर निर्देश का अनुपालन किया और साथ ही साथ विशेष रूप से हमारे नए आये हुए सदस्यों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से रख कर

के समस्या निदान के लिए निरन्तर प्रयास किया तो दोनों पक्षों के हमारे सभी माननीय सदस्य भी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों पक्ष ही इस सदन के अंग हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की मंशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की समस्याओं का निस्तारण कर जनता को न्याय और राहत दिलाना और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना रहता है। मान्यवर, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपने क्षेत्र की तमाम चिन्ताओं को आपके सामने विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, सरकार के संज्ञान में लाया और बहुत से ऐसे मौके आये जब सरकार ने भी सदाशयतापूर्वक उन समस्याओं के निदान के लिए आश्वासन भी दिया। मान्यवर, मैं सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से नेता सदन और हमारे सभी दलीय नेता, नेता भाजपा श्री हुकुम सिंह जी जहां अपनी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर समय-समय पर सबका मार्गदर्शन करते रहे, वहीं पर हमारे वरिष्ठतम सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी भी विशेष रूप से नियम-300 की सूचनाओं के माध्यम से विधान-सम्मत बातों से समय-समय पर हमें आगाह करते रहे, सावधान करते रहे, नेता कांग्रेस श्री प्रदीप माथुर जी ने भी बड़ी तैयारी के साथ उन्होंने विपक्ष की भूमिका में अहम स्थान और भूमिका निभाई, वह भी बधाई के पात्र हैं। लोकदल के नेता श्री दलवीर सिंह और उनके साथी समय-समय पर किसानों की समस्याओं को लेकर के हमेशा यहां पर बड़ी सावधानी और सजगता के साथ उठाते रहे, बधाई के पात्र हैं। पीस पार्टी, अपना दल के भी नेता भले संख्या कम रही हो, लेकिन अपनी उपस्थिति से हमेशा इस सदन की गरिमा में चार चांद लगाने का काम करते रहे। नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी पर्याप्त समय देने की कोशिश की वह बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री जी, तमाम उतार-चढ़ाव आये, तमाम गरमा-गरमी भी हुई, ऐसे भी मौके आये, अशांत वातावरण भी आया, लेकिन अपनी संसदीय परम्पराओं के निर्वहन में उनकी भी अहम भूमिका रही, अगर उन्हें बधाई न दिया जाय तो हम समझते हैं कि उनके साथ अन्याय होगा। मैं विपक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनकी भी अपनी मर्यादायें हैं, सरकार का भी पक्ष रखना रहता है, सरकार का बचाव भी करना रहता है, विपक्ष के हमले की धार को कम करने के लिए उन्हें तिकड़म अपनाने पड़ते हैं। मान्यवर, ये दिल से हमारे साथ रहते हैं, शरीर से सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं इसलिये मैं इनको भी बधाई देता हूं और मान्यवर, वरिष्ठ मंत्री, श्री शिवपाल यादव जी ने यहां पर ज्यादा से ज्यादा समय देकर के जो मा0 सदस्यों की हौसला अफज़ाई की, बधाई के पात्र हैं। हमारे वरिष्ठ साथी श्री अम्बिका चौधरी जी, उन्होंने कभी संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में और कभी सरकार के बचाव में एक सजग प्रहरी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन किया। अपनी वरिष्ठता और अनुभव का लाभ भी सदन के मा0 सदस्यों को दिया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। हमारे तमाम मा0 मंत्रीगण हैं, अपने-अपने विषयों पर प्रश्नों का जवाब देने की तैयारी करके आये और भी तैयारी करके आने की आवश्यकता है लेकिन सभी अपनी जिम्मेदारियों पर तत्पर रहे, बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, हमारे बहुत पुराने साथी मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री, श्री चौधरी साहब जो सुबह से लेकर के शाम तक और हमने देखा कि तमाम सदस्य आते जाते हैं, तमाम मंत्री भी आते जाते रहते हैं लेकिन चौधरी साहब, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी, हम देखते हैं कि एक नये सदस्य के रूप में बहुत पुराने होने के बावजूद

भी एक नये सदस्य के रूप में सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। अगर हम उन्हें बधाई नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। इनको भी मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ मान्यवर, विशेष रूप से आज चूंकि आपके इस सदन के संचालन में हमारे विधान सभा सचिवालय के साथ-साथ ये जो अगली कतार में बैठते हैं रिपोर्टर्स, कभी-कभी जब मा0 सदस्यगण वेल में आते हैं तो इनको अपने बीच बचाव के लिये भी दांये बांये भी देखना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम अव्यवस्थित परिस्थितियों के बावजूद भी ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं रहते, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में तत्पर रहते हैं, इनको भी बधाई, ये भी बधाई पात्र हैं। मैं अपनी ओर से इन्हें भी बधाई देता हूं और मान्यवर, विधान सभा के जो हमारे सुरक्षा सहायक, जब कभी सदन का माहौल अव्यवस्थित होता है तो हमारे विधान सभा के सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा सहायक, ये सारे लोग बड़ी तत्परता से इस सदन को सुव्यवस्थित कराने में अपना सहयोग देते हैं और मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहता हूं कि इस सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सचिवालय सुरक्षा दल, अग्निशमन सुरक्षा दल, लिफ्ट मैन और फर्राश, ये भी सुबह से लेकर शाम तक जब तक सभी मा0 सदस्य सदन खत्म होने के बाद अपने आवास पर नहीं चले जाते हैं, तब तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे रहते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। सत्रकालीन कर्मी, अनुसेवक, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सहायक समीक्षा अधिकारी और संविदाकर्मी, अन्य सुरक्षा कर्मी, सिविल पुलिस, पी0ए0सी0, सुरक्षा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, इन तमाम लोगों को जिनकी सत्र के समय यहां विशेष तौर से जिम्मेदारी रहती है, ड्यूटी दी जाती है, वो भी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, मीडिया, मीडियाकर्मी जब हम यहां सदन में बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक तो मीडियाकर्मी चाहे वो प्रिण्ट मीडिया के हों, चाहे इलेक्ट्रानिक मीडिया के हों, वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सदन के संचालन में सहयोग देते हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और मान्यवर, इसके साथ ही साथ मा0 मुख्य मंत्री जी के इस मुख्य भवन में जो भी आपके पूरे विधान मण्डल में कार्यरत फर्राश, सफाई कर्मी हैं। उनको भी इस मानदेय में शामिल किया जाना चाहिए। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी से कि जो विधान मण्डल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनके वर्दी धुलाई के लिए मात्र 20 रुपये माहवारी मिलता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यह 20 रुपये चूंकि अपर्याप्त है, इसलिए इसको बढ़ाकर 500 रुपये किये जाने की अनुकम्पा की जाए और मान्यवर, साथ-ही-साथ अभी जो आपने मानदेय की घोषणा की है, चूंकि 5 हजार रुपये तो प्रतिवर्ष निरन्तर, जब-जब सत्रावसान होता है, तब-तब मा0 मुख्य मंत्री जी घोषणा करते थे, लेकिन मैं मांग करता हूं कि ये जो मानदेय की घोषणा है इसको बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की कृपा करें, जिससे कि मान्यवर, जो सबका सहयोग रहा है, उन्हें इसका सम्मान मिल सके और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको, आपके सचिवालय को, सभी मा0 सदस्यों को और नेता सदन सहित सभी विपक्षी दल के नेताओं को और सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए अपनी बात को विराम दूं, उसके पहले होली आ रही है, होली की भी, मैं पूरे सदन के सभी मा0 सदस्यों को और साथ-ही-साथ इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, मान्यवर। धन्यवाद।

*श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी,....

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें, ऐसे माहौल में भी शांत नहीं रह सकते। आप आज तो शांत रहें।

श्री हुकुम सिंह-

यह एक बहुत ही सफल सत्र का मान्यवर, समापन है। मान्यवर, इस विधान सभा को यह गर्व प्राप्त हुआ कि कुछ ही समय पूर्व हमने 125 वर्ष पूरे करने के बाद में उत्तरशती मनाई और उस समय हमने कुछ संकल्प किये थे मान्यवर। निश्चित रूप से उन संकल्पों का प्रभाव नजर आया मान्यवर, और आपने देखा होगा कि केवल अपवाद छोड़ करके, एक-दो अपवाद दिवस छोड़ करके सभी सम्मानित सदस्यों ने, पूर्ण अनुशासन के साथ में पूरा सहयोग दिया। यह मान्यवर, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए जहां सत्तापक्ष के मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, उनके सभी सहयोगी मंत्री, उन्होंने अपना दायित्व निभाया साथ-साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष मान्यवर, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, तो मान्यवर, यह बात दूसरी है, आवाज सबको ऐसी नहीं मिलती। ये ईश्वर की एक विशेष कृपा उनके ऊपर है और सबको दबाने की हिम्मत उनमें है, उस आवाज के बल पर इसलिए मान्यवर, उसकी भी एक मुख्य भूमिका रही है, निश्चित रूप से सदन को चलाने में और शांतिपूर्ण चलाने में, क्योंकि जब ये बोलते हैं, सबको शांत होना ही पड़ता है, बोलेंगे तो, बोलने का कोई प्रभाव भी नहीं होगा। मान्यवर, मैं पंडित नेहरू के भाषण को पढ़ रहा था, जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा था कि जो सांसद है, वह केवल एक क्षेत्र विशेष का नहीं है, वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यवर, हम लोग भी, केवल विधान सभा क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, हम पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, सब मिलकर के और अलग-अलग भी मिल करके। हमारी तरफ सबकी निगाहें हैं पर शनैः-शनैः मान्यवर, हमारा रोल बदला है। हम विधि निर्माता के रूप में जाने जाते थे, आज जनता हमसे केवल-और-केवल विकास की मांग करती है, विकास की अपेक्षा करती है, तो यह दबाव बनता है निधि बढ़ा दो, फलां बढ़ा दो। ये कोई शौक में नहीं बढ़ता है मान्यवर, इसके कारण क्या हैं ? विधि-निर्माण में हमारा कितना योगदान है, मान्यवर, वह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वह आपके सामने है और जो भी विधेयक आया है, शायद उस पर बोलने वाला कोई न मिला हो और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसका महत्व नहीं रहा अब। सब की भूमिका बदलती रही है। संसद से लेकर विधान सभाओं तक भूमिका बदली है। कोई बहुत महत्वपूर्ण संशोधन करने वाली बात आयी तो अलग बात है आम तौर से यह औपचारिकता होती है औपचारिकता मात्र यह रह गया है। अब यह तुलना करते हैं कि फलां विधायक ने क्षेत्र का कितना विकास करा फलां ने कितना कम करा और इसी कारण से आज दवाब है। आज जब मैं देखता हूं मुख्य मंत्री जी आकर बैठते हैं आकर के, आज जनसमस्याओं का विधायक के उपर इतना दवाब हो गया है मान्यवर कि यहां बैठेंगे लाइन लग जायेगी। शौक से नहीं आते हैं वह दवाब है उनके उपर सबके उपर वह समाधान चाहते हैं और सभी के समाधान के लिए यह सोचता है आम नागरिक आम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मतदाता कहां जाए एक मात्र मेरे पास यही व्यवस्था है क्योंकि वह सदैव उपलब्ध है। उसकी उपलब्धता ही उसका गुण है। इस कारण से थोड़ा हम लोगों को आगे आज नहीं थोड़ा विचार करना चाहिए जो भूमिका हमारी है जो जिम्मेदारी हमारी है जो अपेक्षायें हमसे हैं हम उनको इमानदारी के साथ में कैसे पूरा कर पायेंगे। हम नहीं पूरा कर पायेंगे मान्यवर जनता हम को माफ नहीं करेगी। मान्यवर, मैं विशेष रूप से नेता सदन की इसलिए प्रशंसा करता हूं मान्यवर, Gravity is the virtue सूक्ष्म में अपनी बात करते हैं टू दि प्वाइंट बात करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में कभी कमी नहीं देखी हमने उनमें इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस अंदाज को उन्होंने रखा है इस सदन में हम लोग सोचें इस बारे में भले ही हमारा अनुभव ज्यादा हो गया हो। लेकिन एक बात को हम कितनी सीमित सीमा में शब्दों में कह सकते हैं और उसको प्रभावी तरीके से कह सकते हैं यह खासतौर से जो हमारे नये विधायक हैं समर्थ विधायक हैं उनको जरूर सीखना चाहिये।

मान्यवर, मैं विशेष रूप से दोनों पक्ष के उन नौजवानों को बधाई देता हूं पहली बार चुन कर के आये लेकिन पूरी निष्ठा के साथ में पूरी लगन के साथ में बोलते हुए देखा उन्हें बोलते हुए, कई तो उनमें पहली बार मंत्री बने हैं मान्यवर जो इधर बैठे हैं। पहली बार चुन करके आये लेकिन पूरी रुचि लेकर के सदन के काम में उन्होंने हिस्सा लिया और निश्चित रूप से यह अच्छे भविष्य की एक अच्छे लोकतंत्र की यह शुरुआत है। मेजों की थपथपाहट और वह आगे अपने जीवन में सफल होंगे इसी उम्मीद के साथ मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सदन में पहली बार चुन करके आये लेकिन जिज्ञासा इस बात की थी कि मौका मिलना चाहिए अवसर मिलना चाहिए। कई लोग तो बहुत बारी विचलित हो जाते थे कि मैं अपने क्षेत्र की समस्या नहीं रख पाऊंगा समाधान हो न हो। लेकिन कम से कम समस्याओं को उजागर करुं। यह मान्यवर अच्छी शुरुआत है और मैं उनको बधाई देता हूं सभी सदस्यों को जिन्होंने पूरी जागरूकता के साथ में मजबूती के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहा। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक तरह से सरकार के प्रवक्ता है। लेकिन जिस साफगोही के साथ में हमारे वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री हमारी उनसे वैचारिक भिन्नता हो सकती है और स्वाभाविक है। लेकिन कभी बात को छिपाने की कोशिश नहीं की कभी बात को दबाने की कोशिश नहीं की। लेकिन बड़ी साफगोही के साथ कहा कि नहीं यह सूचना मेरे पास नहीं है। घुमा भी सकते थे उस बात को लेकिन मैं हमेशा देखता रहा उनकी तरफ कोशिश यह की कि जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को गुणवत्ता के साथ में मैं निभाऊं मैं धन्यवाद देता हूं उनको। मेजों की थपथपाहट कि सदन के संचालन में जो भूमिका होनी चाहिए एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए वह निभायी उन्होंने। मान्यवर, कई मंत्रीगण हैं मान्यवर अपने कुछ तरीके होते हैं। कुछ का रास्ता हमेशा जाम होता है। नहीं पहुंच पाते हैं समय पर आपने कोशिश भी की। लेकिन रास्ता जाम ही रहा। मैं गंभीरता से कह रहा हूं आगे कोशिश करें। थोड़ा समय से पहले चल दें घर से ताकि वह जाम भी खुल जाये और वह पहुंच भी जायें यहां पर। मान्यवर माननीय राम गोविन्द चौधरी जी बैठे हैं बहुत पुराने मित्र हैं साथ-साथ हम लोग विधायक बने। आये विपक्ष के रूप में भी बहुत प्रभावी भूमिका मैंने इनकी देखी। मैं सरकार में होता था। एक विभाग के संचालन में जितनी निष्ठा के साथ में मैंने काम करते देखा इनको मान्यवर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि समाजवादी की सच्ची भूमिका निभाने वाला शख्स है कोई तो राम गोविन्द चौधरी है। मेजों की थपथपाहट। बाकी लोग भी आपसे सीखेंगे जो नये आये हैं वह भी आपसे सीखेंगे ऐसा मेरा विश्वास है मान्यवर। मान्यवर, हमारा काम केवल आलोचना करने का नहीं। अगर हम उस बात को

नहीं रखेंगे आपके सामने जिस तरह से हम देखते हैं वह हमारे देखने का तरीका भी है और बोलने का तरीका भी है। तो सदन अधूरा रह जायेगा।

आज बहुत उम्मीद लेकर माननीय प्रमोद जी ने वकालत की पूरे सदन की खड़ा होकर के। आज से नहीं जब से मैं देख रहा हूं इनको वकालत करने में सबसे आगे हैं। एक अच्छे प्रैक्टिशनर यह इलाहाबाद हाईकोर्ट में होते थे उस वकालत को छोड़कर के यहां मुफ्त में हमारी वकालत कर रहे हैं। और प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी वकालत आपकी कुछ निष्प्रभावी हो जाती है। आज मैं आपके साथ में पूर्ण सहानुभूति के साथ में देख रहा हूं कि जब नेता जी होते थे आप हमेशा सफल होते थे। आज थोड़े से कम सफल हुए हैं लेकिन उम्मीद रखिये आगे सफल होंगे कोई बात नहीं। मान्यवर, मैं अपने साथी सहयोगी भाई प्रदीप जी, दलबीर जी, हमारी बेटी बैठी हुई है, बहुत अच्छा बोलती है, पहली बार चुन करके आई है और मान्यवर, कई लोग हमारे मैंने देखा पहली बार चुन करके आये लेकिन जिस धाराप्रवाह के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा मैं सभी को उनको बधाई देता हूं और मान्यवर, आपका संचालन मैं आपके सामने कह रहा हूं कहने की हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन जितनी आपने अपने आपको सम्भाल करके कभी भी आपको मैंने क्रोधित होते नहीं देखा इस सदन का संचालन किया। जिस प्रकार से हमारे प्रमुख सचिव दूबे जी हर कदम पर आपके साथ खड़े रहे, हमारे रिपोर्टर विधान सभा के और जितने भी कर्मचारी है रात के 8.00 बज जायें, 9.00 बजे जायें, 10.00 बज जायें मैंने कभी इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी, हमारे मार्शल हैं, इनके सहयोगी हैं जिस निष्ठा के साथ इन्होंने काम किया मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इनके लिए घोषणा की, वह भी स्वागतयोग्य है। ये लोग वास्तव में उसके पात्र हैं और वह पात्रता के अनुरूप आपने करने की बात की है। जो कुछ रह गया एक दो बिन्दु उसको देख लीजिएगा मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरे पास में भी है उसको आप स्वयं देख लीजिए क्योंकि यह कभी न मांग इनकी होती है न कहते हैं न कभी ज्ञापन देते हैं। हमीं लोग सोच करके इनके बारे में कहते हैं। मान्यवर, हम फिर मिलेंगे और अच्छे माहौल में मिलेंगे होली की बधाई आपने दी है, अच्छी होली मने। पानी का भी इंतजाम आपने कर दिया प्रमोद जी ने कहा था, यह ठीक रहा। मान्यवर, मैं चाहता हूं अगली बार मिले हमारी भूमिका और प्रभावी हो और जो प्रदेश की जनता जो हमसे अपेक्षा करती है उस अपेक्षा के अनुरूप हम खरे उतरकर दिखायें। यह वाली विधान सभा अपने आपमें नायाब सिद्ध हो क्योकि हमें एक नौजवान मुख्य मंत्री के रूप में मिला है निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम सकारात्मक रुख अख्तियार करके आगे बढ़ेंगे और यह बतायेंगे कि नहीं जनता ने जो उम्मीद हमसे की थी हम उस पर खरे उतरे। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके कुशल संचालन में यह विधान सभा का सत्र चला। मुझे याद आ गयी सन् 85 की बात जब आप भी हमारे साथ यहां बैठते थे और जब 265 कांग्रेस के एमएलए होते थे तब हमारी सरकारों में भी इसी तरह से सत्र चलते थे। एक लम्बे समय तक हमारी विधान सभाएं चला करती थीं उन्हीं परम्पराओं का अनुकरण आपके इस सत्र में देखने को मिला और जिस तरह से आप देखिये सत्ता पक्ष की तरफ वहां 'हां'

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा हुआ है और विपक्ष की तरफ यहां 'नहीं' लिखा हुआ है तो जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से नहीं की भूमिका अदा करी, अभी माननीय हुकुम सिंह जी और सभी उनकी वाणी की दाद देते हैं। उनकी तेजतर्रार आवाज ने पूरे सदन को विपक्ष को बुलन्दियों पर रखा। दूसरी तरफ माननीय हुकुम सिंह जी जो वरिष्ठतम नेता हैं, हमारे सदस्य हैं इस विधान सभा के, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनसे तरह-तरह के जो संस्मरण हैं या जो उनकी कार्य प्रणाली है उससे भी कुछ सीखते हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और हम सबके बहुत योग्य सुयोग्य हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी, जिनसे पूरा विधान सभा प्रभावित रहता है और जो सभी हम लोगों की बातों को बड़े मुस्तैदी के साथ विधान सभा में चाहे सरकारे किसी की भी हो हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं और हम सब लोगों को आचरण की सभ्यता भी सिखाते हैं और हम सब लोगों की चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों के तनख्वाह की व्यवस्था हो हमारे पूरे वकील की तरह हाईकोर्ट के वकील की तरह हम लोगों की पैरोकारी करते हैं तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और जहां तक सवाल है संसदीय कार्य मंत्री जी का सुन लीजिए आप ही की बात कर रहा हूं मक्खन नहीं लगा रहा हूं हम क्यों मक्खन लगायेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि आपकी वाकपटुता और आपकी शेरोशायरी इस सत्र में बहुत सुनने को मिली और जिस धारदार हथियार से नेता प्रतिपक्ष आप पे हमला करते थे उससे ज्यादा तेज धार से आप उसको काटते थे तो हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं है आपका। माननीय शिवपाल जी एक लम्बे समय तक बैठे रहे इन्होंने भी ध्यान रखा। अबकी मैं समझता हूं कि अगले सत्र में आप हम सबका ध्यान रखेंगे और 5-5, 7-7 कि0मी0 सड़के माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करके जरूर दे देंगे। जिससे इस तरफ के बैठे हुये माननीय सदस्य लोग अपने क्षेत्र में कुछ सड़कें बनवा सकें, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूं कि समग्र विकास की जब बात होगी तब सभी 403 कांस्टुट्वेन्सीज को आपको डेवलप कराना पड़ेगा। सबको पता है, सडकें सत्ता पक्ष ही दे सकता है, हैण्डपम्प सत्ता पक्ष ही दे सकता है। तो इस बारे में मत जाइये कि क्रेडिट या डिसक्रेडिट किसे मिलेगा, क्रेडिट तो आप ही को मिलेगा और समग्र विकास होगा। मैं सबके साथ माननीय राम गोविन्द चौधरी जी को भी बधाई देता हूं, जिनकी वाकपटुता समय-समय पर जब सरकार पर आक्रमण होते थे, तब ये बीच में खड़े होकर उसका हाजिर जवाबी से जवाब देते रहे। मैं सभी मंत्रि-मंडल के सदस्यों का, जिन्होंने रुचि ली, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं चाहूंगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में अभी कहा कि इस पक्ष में बैठे हुये जितने मंत्री लोग हैं, वह विपक्ष के विधायकों की भी सुने और उनके भी काम करें। सभी हमारे जो पहले टर्म के एम0एल0एज0 हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, उन्होंने बजट पर और डिबेट्स में बहुत अच्छा पार्टीसिपेशन किया और आखिर में मैं होनहार मुख्य मंत्री जी, जो बहुत विजनरी हैं, इंजीनियर हैं और अच्छी सोच रखते हैं और प्रदेश को एक बहुआयामी मार्ग पर ले जाने के लिये प्रशस्त हैं तो मैं समझता हूं कि अभी 4 साल समय पड़ा है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो उनका सपना है, क्योंकि प्रदेश हम सबका है, हम चाहे विपक्ष में बैठते हों, जब हम बाहर जाते हैं, देश में जाते हैं, या विदेशों में जाते हैं, तब यदि उत्तर प्रदेश की तारीफ होती है तो हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बुराई होती है तो हम लोगों को नीचे देखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कानून-व्यवस्था को आप सुदृढ़ करायेंगे क्योंकि जो आपकी सोच है, निवेश की, जो आपकी सोच है औद्योगीकरण की, जो आपकी सोच है पर्यटन को बढ़ावा देने की, वह तभी ठीक होगी, जब कानून-व्यवस्था ठीक होगी।

श्री अध्यक्ष-

अरे इसमें भाषण नहीं होता।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मुझे पता है। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं कि यहां पर जो हमारे सम्माननीय सदस्य बैठे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण हैं, माननीय विधायक उसके मेम्बर नहीं होते हैं। हमारे क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण है और हम उसके मेम्बर नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि विकास प्राधिकरणों में माननीय सदस्य, विधान सभाओं को भी मेम्बर बना दिया जाय, जिससे कि यह लोग अवस्थापना के मामले में विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकें। मान्यवर, इसी तरह कानून-व्यवस्था के मामले में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे इंगित किया था कि जो इंटर स्टेट बार्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने कल आपसे कहा था कि वहां पर हाईटेक पुलिस चेकपोस्ट बनवाइये जिससे कि इंट्रयूडर्स जो अन्य राज्यों के यहां आकर गड़बड़ करते हैं, उन पर कंट्रोल किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक अनुरोध माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे और करना चाहूंगा युवा कांग्रेस के पदयात्रियों पर कल जो लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है, मैं चाहूंगा कि उस केस को वापस करा दें। मैं बृजवासियों की तरफ से पूरे सदन को होली की शुभकामनायें देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रदेश में होली सौहार्दपूर्ण ढंग से मनेगी, भाईचारे के साथ मनेगी और हम सब लोग भी होली परम्परागत तरीके से मनायेंगे, धन्यवाद। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि हमारे नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी को भी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

हां वह हमें याद है।

*श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व साथी, नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय प्रदीप जी सभी ने बड़े विस्तार से सभी बिन्दुओं पर अच्छे ढंग से चर्चा की। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा आपकी हिम्मत है आपने अपने अनुभवों के आधार पर बड़े धैर्य और तसल्ली के साथ इस सदन को संचालित किया। आप कभी एक सेकेंड भी गुस्सा नहीं हुये और कभी नाराज नहीं हुये। मैं आपसे पहले और भी कई अध्यक्षों के साथ सदन में बैठ चुका हूं लेकिन जिस धैर्य और तसल्ली का और योग्यता का परिचय आपसे मिला है और शिक्षा मिली है हम लोगों को इसकी कोई मिसाल नहीं है। साथ ही साथ इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य बड़े सौभाग्यशाली हैं और गौरवान्वित हैं कि इस सदन में सीखने के लिए आजम खां साहब जैसे, हुकुम सिंह साहब जैसे, हमारे मौर्य जी जैसे, अग्रवाल, महाना जी पंडित जी बैठे हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हैं हमारे राम गोबिन्द चौधरी साहब इन लोगों के इतने विशाल अनुभव हैं अम्बिका चौधरी जी इनका कोई जवाब ही नहीं है। हर बात का जवाब हैं उन के पास ऐसे लोग यहां हैं मैंने देखा है कि यह जितने नए-नए लड़के बैठे हैं इस सदन में मैंने देखा है कि इतने विद्वान और इतने योग्य हैं यह। कई बहुजन समाज पार्टी में, बी0जे0पी0 में कांग्रेस में लोकदल में और समाजवादी पार्टी में तो कोई गिनती ही नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इतने योग्य लड़के चुनकर आए हैं कभी लाबी में बैठकर मैं इनसे कहता हूं कि तुम्हें बहुत सीखने का मौका मिला। आजम खां साहब और हुकुम सिंह जैसे लोग तो दल से ऊपर हैं। इनको तो ऊपर जाना चाहिए लोक सभा में। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी यह लोक सभा की हैसियत के लोग हैं मैं अंदाज कर सकता हूं कि वहां भी शायद ही इनसे ज्यादा कोई योग्य होगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितने हमारे नए लड़के आए हैं यह इतने इंटेलीजेंट और वेल क्वालीफाइड हैं कि अगर इन्होंने इन सबका अनुभव सीखा और सद्चरित्र और ईमानदार रहे भगवान इन्हें स्वास्थ्य अच्छा दे तो निश्चित रूप से यह आगे आने वाले समय में इनका स्थान लेंगे। सभी विधायकों ने मुख्य मंत्री जी की कुर्सी के बराबर खड़े होकर इस आशा से एक-एक चिट्ठी बड़े भाव से दी है और इस मन से दी है तो मेरा मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है जितने भी मंत्री बैठे हैं उनसे आग्रह है कि वह इनकी भावनाओं के अनुरूप इस पर जरूर कार्यवाही करें। जब यहां से यह जाएंगे तो यह मन लेकर जाएंगे कि हमने माननीय मुख्य मंत्री को अपना कागज दे दिया या फलाने मंत्री जी को दे दिया या माननीय शिवपाल सिंह जी को दे दिया सबका मन भरा हुआ है कि हमारे काम होंगे। हमने आपको और सरकार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जितने पत्र आप लोगों को दिए हैं इस सत्र में मेरे ख्याल से अगर यह सरकार तीन महीने भी काम करे तब भी इन कामों का निपटारा नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इतनी समस्याएं आपके सामने हमने रख दी है।

हमें आशा है कि युवा मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारी सभी समस्याएं हल होंगी। इसके साथ साथ मैं दो एक बात और कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने अपने लास्ट के भाषण में चाहे तनख्वाह बढ़ाई हो या न बढ़ाई हो जो कुछ हो वह हमने नहीं देखी। लेकिन उन्होंने हम सबको इतना संतुष्ट कर दिया है कि मेरे ख्याल से कोई भी आदमी मेरे ख्याल से असंतुष्ट नहीं होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा मेरी उम्र भी है शुभकामनाएं भी दे सकता हूं। विशेष रूप से युवा एम0एल0ए0 जो हैं तो हम तो सोचते हैं कि हम लोग तो ऐसे समय में एम0एल0ए0 हुए हैं कि कहा जाता है कि साहब प्यारेलाल जी कैसे हैं तो कहा जाता है कि माला जपते हैं, चमड़े की जूती पहनते हैं और कहते हैं कि एम0एल0ए0 हैं अब समाज हम जैसे लोगों को पसन्द नहीं करता है। अब तो इनका समय आने वाला है। इनका नेतृत्व ऐसे कुशल नेता के पास है माननीय मुख्य मंत्री जी के पास उनका स्वभाव ऐसा है कि उन्होंने कुछ कहा या नहीं लेकिन लोग संतुष्ट हो गए। हालांकि बहुत सी इच्छाएं लोगों की पूरी नहीं हुई हैं। इस सरकार की दो-तीन बातें मैं और कहना चाहूंगा इनके तीन काम हो गए एक तो राम गोबिन्द चौधरी जी के विभाग में ट्रांसफर बिल्कुल पारदर्शी बिना रिश्वत के ईमानदारी के साथ हुए। एक पुलिस के जो ट्रांसफर हुए वह बिल्कुल ईमानदारी के साथ हुए। मैंने मार्केट में लोगों को कहते सुना मैं तो जानता नहीं कि लैपटॉप कितने का है क्या होता है लेकिन यह मैंने जरूर सुना मैं पूछ रहा था तो पिछली सरकार का कोई हिसाब बता रहा था कि खजूर का पेड़ 70 हजार रुपए का था। तो हम यह अंदाज कर रहे थे कि वर्तमान सरकार जब लैपटॉप देगी तो हो सकता है कि इसमें कुछ जुगाड़-वुगाड़ भी होता हो। लेकिन मार्केट में लोग मुझे यह कहते हुए मिले कि जो लैपटॉप दिया है वह आनापाई ईमानदारी के साथ जो ऐक्चुअल में मार्केट में कीमत है उससे भी मेरे ख्याल से पांच-छः हजार रुपए कम में है। मुझे आशा है कि यह सरकार ईमानदारी से काम करेगी, चौधरी चरण सिंह द्वारा बताये गये रास्ते पर चलेगी। हम माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी मंत्रियों से आशा करते हैं चूंकि अभी तक

किसी मंत्री के बारे में किसी तरह की सूचना नहीं है, इसलिए भविष्य में भी इसी आदर्श को आप कायम रखेंगे। इससे आप लोग बहुत आगे जायेंगे, सैकड़ों नये लड़के आये हैं यह आगे के 50 सालों तक एम0एल0ए0 बनेंगे। आप लोग सचरित्र रहें, ईमानदार रहें, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी हम तो आपके बहुत आभारी हैं अगर मौर्या साहब जी जैसा कोई आपकी सीट पर बैठ जाए तो रोज झगड़ा हो। हम नियमों को ज्यादा नहीं समझते लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और जो हमारे अग्रवाल साहब हैं, महाना जी हैं, ये लोग दिन-रात पढ़ते रहते हैं। मैं उनके साथ ट्रेन में जा रहा था तो मैं माननीय हुकुम सिंह जी के बगल में बैठा था, वह किताब पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि अब तो छोड़ो, तो इन लोगों से इतना सीखने को मिला है और जब यह सब लोग जायेंगे तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि भगवान की कृपा से इनमें से लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनें।

हम लोग भी कहा करेंगे कि ये हमारे साथ एम0एल0ए0 रहे, मंत्री रहे या मुख्य मंत्री रहे। इनकी इतनी प्रगति की लम्बी रेंज है कि सब वहां तक पहुंचेंगे। मैं इस आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि वर्तमान का जो माहौल है, जो वर्तमान सदन है और यह जो सरकार है, यह आदर्श सरकार के रूप में भविष्य में देखी जाए जिससे कि अगली आने वाली सरकार बेईमानी की तरफ मुखातिब किसी तरीके से न हो। होली के अवसर पर सभी लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं और सभी से निवेदन है कि सब लोग अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखने के लिए तत्पर रहें और लगन के साथ काम करें। मैं अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी से और सभी मंत्रियों से कहूंगा कि मैंने और विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों ने जो आपको एक-एक चिट्ठी दी है वह इस भाव से दी है कि आप काम निश्चित रूप से करेंगे। हम जानते हैं कि हमने आपको इतना काम दे दिया है पत्रों के माध्यम से, नियम-51 और 301 के माध्यम से कि आपकी सरकार लगातार तीन महीने तक काम करे तब कहीं जाकर वह खत्म होंगे। मैं समझता हूं कि आप हमारी भावनाओं के अनुरूप काम अवश्य करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं सदन की तरफ से आपको बधाई दे सकूं। मान्यवर, इसमें कोई दो-राय नहीं है कि जो परिवार यहां बैठा है यह एक अनूठा परिवार है, सब विभिन्न विचारधाराओं के लोग यहां बैठे हैं। बसपा की अलग विचारधारा, भाजपा की अलग विचारधारा, हमारी अलग और आपकी अलग विचारधारा है, कुछ मेल भी खाती है कुछ बेमेल भी है। लेकिन इस गुम्बद के नीचे जब हम बैठते हैं तो सच्चा प्रजातन्त्र कैसा होता है मैं तो दावत देता हूं कि जिस किसी को भी देखना हो तो हमारी विधान सभा में आकर देख ले, यहीं सच्चा लोकतन्त्र दिखाई पड़ता है। मान्यवर, इसमें कोई दो-राय नहीं है, यहां तो तारीफ ही तारीफ हो रही है, ठीक है होनी भी चाहिए। लेकिन यहां ऐसे भी क्षण आते हैं जब तलवार भाले निकल आते हैं, हम लोग एक दूसरे पर हमला भी करते हैं और क्यों न करें विचारधाराओं की बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती है, करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि सब एक दूसरे से मुस्कराते हुए मिलते हैं, सब बात करते हुए मिलते हैं। आप देखिये ना मान्यवर, सब तारीफ कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। मैं नहीं जानता कि अगली बार मुझे माननीय मौर्या जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसमें मुझे जरा डाउट लग रहा है लेकिन उन्होंने ईमानदारी से बात कह दी है। मान्यवर, सदन में अगर ढूंढने का मौका मिले कि कोई एक आदमी ऐसा हो जिसकी विरोधी भी तारीफ कर रहे हों तो उसका नाम अखिलेश यादव है।

इसमें कोई दो राय नहीं है, विरोधियों को भी जिसने मजबूर किया है कि उसकी बात करे। मान्यवर, यही राजनैतिक विरासत है, पर सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करना चाहता हूं, आपका नाम बहुत सोच-समझकर रखा गया है, आपके माता-पिता ने इसीलिए आपका नाम माता प्रसाद पाण्डेय रखा है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन मां जैसा प्यार किसी को नहीं दे सकता, न कोई दे सकता है न ले सकता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस सदन में आदरणीय पाण्डेय जी आपने एक ममत्व के साथ इस सदन को चलाया है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है (पूरे सदन के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।) कोई अगर इंकार करता है तो मैं कहूंगा कि वह सच नहीं बोल रहा है। मान्यवर, कितनी हम लोगों की तरफ से जिद होती है, कितना नियम, बे-नियम, तमाम काम होते हैं मैं ही अक्सर बगैर नियम के बोलता हूं। लेकिन आप बोलने देते हैं, यह आपकी कृपा है अगर आप ऐसा न करें तो शायद यह सदन, सदन न रहकर निर्जीव एक हाल बन जाए लेकिन इसे अगर सजीवता मिलती है तो आपकी पीठ से मिलती है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं। आज भी हम लोग राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन को याद करते हैं, उन्हें राजर्षि कहते हैं लेकिन मैं तो कहूंगा अगर आजम खां साहब तैयार हो जायं तो आपको सदन-श्री की पदवी दे दी जाए जो हमेशा सबसे बढ़िया स्पीकर श्री के रूप में आप याद किये जायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आप सबको लेकर चलते हैं, सबको समझकर चलते हैं तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पर मान्यवर, आप लोगों ने एक साजिश भी रची, आपने और नेता सदन ने। सदन इतना लम्बा चला दिया कि हम लोगों के पास हथियार क्या होते हैं। हुकुम सिंह जी, नियम-300, नियम-56, नियम-301 वगैरह तो विकास के होते हैं पर विपक्ष का हथियार सामान्यतः नियम-300 व 56 होता है।

आप विश्वास मानिये, रात गुजर जाती थी जगते-जगते यह ढूंढते हुए कि अगला नियम-56 कौन सा हो। इतना लम्बा सत्र चल गया। उसी तरह से कि युद्ध क्षेत्र में हों जो पीछे तरकश से तीर निकालें तो सारे तीर खत्म हो चुके हैं तो लम्बा सत्र चलने में यही फायदा होता है कि विपक्ष को अपनी सारी बातें कह लेने का मौका मिलता है और आखिर में एक दिन ऐसा आता है कि जब सत्ता के ऊपर अखबार का सहारा रह जाता है कि कहां कौन सी घटना हुई, वही नियम-56 में लगा दो। (मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि हम और लम्बा सत्र चलायेंगे।) तो मैं कहूंगा कि लम्बा सत्र चले। जब आपने इतने इतिहास बनाये तो एक और बना लीजिए, नियमावली के नियम-14 में जो अंतिम पैराग्राफ जोड़ा गया था, हम लोग कमेटी में थे कि हर दो महीने पर 10 दिन के लिए सदन बुलाया जाए। वैसे तो पहले तीन सत्र होते थे अब अगर यह मान लें तो 6 सत्र होंगे। जो आजम खां साहब धमकी दे रहे हैं कि और लम्बा सत्र चलायेंगे, वह न चलायें बल्कि महीने-दो महीने का गैप कर लीजिए जरा हम लोगों के पास कुछ इकट्ठा हो जाए, आपके पास भी

कुछ काम इकट्ठा हो जाए तो दो महीने बाद फिर हम लोग अगर यहां मिले तो सत्र फिर उसी जीवटता के साथ चलेगा, मैं इतना कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं जहां आपकी प्रशंसा करूंगा, नेता सदन के दो रूप होते हैं, एक मुख्य मंत्री का और सदन के नेता का। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं 1980 से यहां आ रहा हूं। मुख्य मंत्री बहुत देखें हमने, बहुत से बहुमत के आधार पर मुख्य मंत्री बनते देखे लेकिन अगर नेता सदन की कहीं परिभाषा मिलती है तो वह अखिलेश यादव जी के रूप में। (पूरे सदन ने मेजें थपथपाईं।) मान्यवर, आप प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप गांव में देखो, मोहल्ले में देखो कि जिनके पास जाने से डर लगता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आदमी पहुंच जाता है और जब कुछ कहो तो इनका भाव रहता है कि हां, हां लाओ कर डालो। इनका वश चले तो मान्यवर, ये पूरा उत्तर प्रदेश दे दें। यह एक जो भावना इनके अन्दर है ईश्वर करे कि वह हमेशा बनी रहे, परवरदिगार से दुआ है कि वह बनी रहे और जो यह एक भावना है कि क्या कर सकते हैं कर डालें, मान्यवर, यह अच्छा है। मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन फिर आपसे अपने अनुभवों के आधार पर कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा को 403 टुकड़ों में बांट दीजिए, 403 टुकड़ों का बराबर विकास करिये वर्ना बहुत ही खूबसूरत आप कैनवास तैयार करेंगे, कुछ गड्ढे उसमें नजर आयेंगे तो वह कैनवास कभी खूबसूरत नहीं हो सकता।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

तिवारी जी, 403 नहीं 404 विधान सभा क्षेत्र है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मान लेता हूं 404। वैसे 403 है और एक नामीनेटेड होता है, अब जो कह रहे हैं वो मान लेता हूं, उसके पास क्षेत्र नहीं होता है जो शारदा प्रताप जी कह रहे हैं वही सही है जो मैं कह रहा हूं गलत है। मान्यवर, एक बार अभी मैं पार्लियामेंट में मिल गया आदरणीय नेता जी से। नेता जी के बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह कहीं से आये नहीं थे, कहीं से उनको विरासत में कुछ ऐसा जैसा अखिलेश जी को मिल गया, नहीं मिला था। मान्यवर, वह कठिन श्रम से, जनता के बीच जाकर जैसे कुन्दन निखरता है आग में वैसे निखर कर नेता जी बने हैं समाजवादी पार्टी के। (मेजें थपथपाई गईं) मैंने उनसे कहा, कहने लगे नाम लिया कहने लगे कि कैसा काम कर रहा है तो मैंने कहा सुनिये आप अंग्रेजी नहीं सुनते लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल है मैं बता दूं। आपका बैटर वर्जन है। तो कहने लगे बैटर बर्जन ? अच्छा मतलब हमारी तुम्हारी इतनी दोस्ती और कुछ ही दिन में तुमको बैटर वर्जन लगने लगा। तो मैंने कहा देखिये आपका संस्कार है, आपकी सिखाई हुई शिक्षा है लेकिन उनके अंदर बहुत एक अच्छी बात है कि आप कभी कभी जो बांह चढ़ाने लगते थे मैंने अभी बांह चढ़ाते अखिलेश यादव जी को नहीं देखा है इसलिये आपसे बैटर वर्जन है। तो मान्यवर, कायदे से तो हमारे भाई ने और हुकुम सिंह जी ने दोनों ने बहुत आशीर्वाद भी दिया है और कहा है कि विनम्र बने रहो लेकिन मैं कुछ दूसरा कहने जा रहा हूं अब विनम्रता से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ेगा। विनम्रता से आपने सबका दिल जीता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन जीते और प्रशासन एक ऐसा घोड़ा है जिस पर जो सवार बैठता है, जहां कुछ दूर चला उसकी ऐड़ी की चोट से वह समझ लेता है कि सवार कैसा है। आपकी नम्रता सबने देख ली अब थोड़ा सख्ती दिखाइये और प्रशासन को बता दीजिये (मेजें थपथपाई गईं) कार्य पालिका को बता दीजिये कि

मेरा काम बिजनेस है, मैं फैसले में यकीन करता हूं, बातों में यकीन नहीं करता। आपका जो ज़ज्बा है, आप तो इंजीनियर हैं, कुछ गढ़ने बैठेंगे तो हथौड़ा चलाना पड़ेगा और जब तक हथौड़ा नहीं चलायेंगे, मूर्ति बन ही नहीं सकती। कुछ निर्माण करेंगें, सृजन करेंगे तो सख्ती होगी। आपके अंदर सब कुछ है, कहीं आपके व्यक्तित्व में मुझे थोड़ा सा यह कम नजर आया तो बड़े होने के नाते, आपके प्रति स्नेह है, अपनत्व है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मुलायमियत इधर रखिये, ममत्व इधर रखिये, स्नेह इधर रखिये और अगर कहीं हथौड़ा चलाना हो तो अब अगर कहीं चलना चाहिए तो प्रशासन के ऊपर चलना चाहिए (मेजें थपथपाई गईं) उसको जवाबदेह बनाना चाहिए, उसको बनाइये मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं लोग कहते हैं कि दुनिया में आश्चर्य होता है। बहुत चीजें आश्चर्यजनक भी होती हैं। एक आश्चर्य हमने भी देखा है। सन् 1980 से एक इंसान को देख रहा था दांये-बांयें लोग हट जाते थे मान्यवर, अगल बगल से चलो तो पता नहीं किसको सींग मार दें। उस इंसान को मैंने अगर बदलते देखा है तो मैंने इस विधान सभा में बदलते देखा है जिसका नाम आज़म खां है। (मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, हुकुम सिंह जी, अभी तारीफ में कह रहे थे और सही कह रहे थे कि यहां जो सरकारी वर्जन आता है उसको लोग पढ़ देते हैं पर कई बार मैंने आज़म खां साहब को कहते सुना है, कई बार मैंने आज़म खां साहब को कहते सुना है कि यह सरकारी वर्जन है, मेरा वर्जन नहीं है, इस सरकार का वर्जन नहीं है। जब यह जज्बा आ जाय तो वह आदमी ईमानदार हो जाता है। (मेजें थपथपाई गईं) और जब आदमी ईमानदार हो जाता है तो वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। यह तो ऐसे पत्थर हैं मान्यवर, कि बाहर से पत्थर अंदर है पानी-पानी। देखने वाला होना चाहिए और मैं इतना ही कह सकता हूं आपके लिये कि- रामपुरी पठान, आगे बढ़ो और सुधरो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान्यवर, हुकुम सिंह जी के लिये सन् 1980 में हम दोनों साथ-साथ आये थे। आज नहीं बदले हैं, सन् 1980 से ऐसे हैं। पढ़ना लिखना, नियम कानून की बात करना। इनकी जितना प्रशंसा करूं मैं, कम है। यह कह रहे हैं वहां चले जायं, मैं कहता हूं कि हमेशा यहीं बने रहें और लोक सभा, बद्दुआ दे रहा हूं कि यहीं बने रहें हम लोगों के साथ। यह चले जायेंगे तो सदन सूना हो जायेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि यह यहीं बने रहें। मान्यवर, एक गाना है, जो वादा किया वो निभाया कभी नहीं, कलराज मिश्र जी के लिये कह रहा हूं। आप सब गवाह हैं, पूरा सदन। इन्होंने कहा था कि हम उमा जी को ले कर आयेंगे। पूरा सत्र बीत गया हमें उमा जी के दर्शन नहीं हुए। एक मात्र शायद वो सदस्य ऐसी हैं, आई होंगी शायद थोड़ी देर के लिये जब वह कुर्सी लगी थी ऊंची वाली तो वह कोई बात हुई। देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, बोली भी नहीं, तो जरा उन्हें ले आयें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

प्रमोद जी, थोड़ा आप एक सज्जन को और भूले जा रहे हैं लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी, वह भी नहीं आये हैं। बहुत कम आये हैं। उन्हें हुकुम सिंह जी ने डरा रखा है उन्हें यह समझा दिया है कि यहां आओगे तो कद कम हो जाएगा तो हुकुम सिंह जी से दरख्वास्त है यहां आएंगे तो कद कम नहीं होगा और बढ़ेगा। उन्हें लाइए उनकी कमी लगती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

सदन को शान्ति पूर्वक चलने दीजिए। (हंसी)

हुकुम सिंह जी रहते हैं तो ठीक रहता है मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं। जिनको आप याद कर रहे हैं उनको मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है चलने दीजिए। मान्यवर, आखिर में अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्या, हम लोग एक ही जिले के निवासी हैं, एक शहर के निवासी हैं और मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि इधर उनमें बहुत परिष्कार आया है, सुधार नहीं परिष्कार कह रहा हूं, परिष्कृत हुए हैं इसमें मान्यवर, कोई दो राय नहीं है कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है, नेता विरोधी दल हैं, उनकी जिम्मेदारी है सबको लेकर चलने की, और वह उसको निभाने की कोशिश करते हैं उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन कभी-कभी शब्दों के चयन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वह चलता है, शब्दों का चयन धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा और जब भी यह गड़बड़ी करते हैं तो वह रामपुरी चाकू लेकर दौड़ा लेते हैं मान्यवर, दोनों आदमियों का बराबर का मामला रहता है। मैं इतना जरूर कहता हूं कि रहम करो मेरे भाई, वह अपनी तरफ से, जवाब तो उनको देना पड़ रहा है, मजा तो दूसरों ने लूटा है, तो उनसे जवाब क्यों लेते हो तो वह तो बेचारे निरीह हैं पर मैं इतना कह सकता हूं कि अनुभव के साथ बहुत सधी हुई अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं जितनी इनकी प्रशंसा की जाए कम है वैसे इनका मैच हमको मिल गया है इनका नाम भी 'स' से है और सावित्री जी का नाम भी 'स' से है, तो लंग पावर में मान्यवर, जितना तेज यह बोलते हैं,हुकुम सिंह जी से कहूंगा जरा ठीक-ठाक रखिए इन्हें, दोनों आदमी अगर बराबर से मिलते रहेंगे तो उनका जवाब मिलता रहेगा। अन्त में मंत्रि-मंडल के सहयोगियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा यथा संभव अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भरपूर किया है। अम्बिका चौधरी जी भी जितना बन पाता है, करते हैं। शिवपाल जी के लिए इतना कह सकता हूं कि जितने विभाग प्रदेश में रहे होंगे आधे से ज्यादा बजट रखने की जिम्मेदारी इनकी रही है और इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक रखा है, कायदे से रखा, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए, कम है और इन्होंने पूरे मेहनत और विश्वास के साथ किया। सारे मंत्री, राम गोविन्द चौधरी जी का नाम आया बलराम भाई का, अवधेश जी को जगा दीजिए, (हंसी) मैं अवधेश जी का भी नाम ले रहा हूं।

सभी लोगों का नाम लेते हुए मान्यवर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत दिनों बाद कह सकता हूं, जैसे हमारे नेता कह रहे थे सन् 1985 के बाद अगर युवा सदन कहीं दीखा है तो यह 2012 में, जो हमारे नये साथी आए हैं, एक चीज देख लीजिएगा आजम साहब, मैं कल भी आपसे कह रहा था कि जो बोलने वाले थे सरकार की तरफ से, ज्यादातर नये मंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी है जिम्मेदारी से रखी है, तो इन नये मंत्रियों को थोड़ा काम भी दिला दीजिए, जिससे पुराने मंत्रियों का थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाए और हम लोगों के लिए भी सुविधा हो जाए। इनको भी कुछ ट्रेनिंग हो जाएगी कुछ काम मिल जाए, अच्छा है यह मैं मा0 मुख्य मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी पूरी मजबूती के साथ अपनी बात कहते रहे, ब0स0पा0 के कुछ बहुत ही सम्मानित साथी रहे हैं और कांग्रेस के जितने हमारे साथी हैं जिन परिस्थितियों में, अब हमारी कुछ मजबूरियां भी होती हैं देखना पड़ता है मान्यवर, (हंसी) फिर उसके बावजूद भी हमारे साथियों ने अपनी जिम्मेदारी अपने फर्ज का निर्वाह किया। अगर मान्यवर, कोई आठ साल, कोई 12 साल और कोई 18 साल वाला है अगर शुद्ध ठर्रा कहीं दिखता है तो वह लोकदल में दिखता है जिसका नशा मान्यवर, घातक होता है। (हंसी)

मान्यवर, दिल की बात, अगर कोई किसानों की बात कहता है तो वह हमारे भाई दलवीर जी कहते हैं। महिला सशक्तीकरण की जहां तक बात है अपना दल की हमारी साथी जब भी बोलीं बहुत कायदे से बोलीं। हमारे पीस पार्टी के लोग जब कभी भी शान्ति भंग करने की जरूरत पड़ी, इन्होंने पूरी ताकत से अपनी शान्ति भंग की। शुरुआत इन्होंने मान्यवर, शान्ति भंग करने की अपनी पार्टी से ही की है और मैं चाहता हूं, मान्यवर, इनका प्रयास सफल हो, मैं इस तरह की कामना कर सकता हूं। अन्त में मान्यवर, जो और सदस्य है, आपके सामने बैठे हुए प्रमुख सचिव जी, जिनके एक पारिवारिक दुःख हुआ, इनकी माता जी का निधन हुआ, हम सब संवेदना भी व्यक्त करते हैं, लेकिन पूरी ताकत से आपका सहयोग करते रहे, सामने बैठे साथी। एक बात जरूर माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब आपने कर दिया लेकिन यहां के लोग जो हैं, जितने एम0एल0ए0 बैठे हैं, किसी एम0पी0 से कम नहीं हैं। सबसे बेबस इन्सान अगर पूछा जाए तो एम0एल0ए0 से ज्यादा कोई नहीं है। प्रधान अपना काम एम0एल0ए0 से, प्रमुख अपना काम एम0एल0ए0 से, एम0पी0 अपना काम एम0एल0ए0 से, नगर पालिका मेम्बर, मेयर, एम0एल0ए0 पर, हम जब आपसे कुछ मांगते हैं तो अपने लिए नहीं मांगते हैं। हमारी समस्या, इस लोकतंत्र में एम0एल0ए0 नामक एक ऐसा प्राणी है, निरीह, हैण्डपम्प हो, उससे, सड़क हो, उससे, बिजली हो, उससे, किसी की बीबी भाग जाए, तब भी एम0एल0ए0 साथ जाए। लड़का नाराज हो जाए, बाप से तो बाप भी कहता है कि हमारे लड़के को समझा दो तो मान्यवर, कौन सी ऐसी चीज है और मान्यवर, कुछ तो हमारे ऐसे भी साथी हैं, अगर किसी की बीबी भाग जाए तो लोग अम्बिका चौधरी से कहते हैं कि भाई बुलवा दो तो मान्यवर, बड़ी समस्याएं हैं, सारे काम एम0एल0ए0 को करने पड़ते हैं तो मैं इन समस्याओं के साथ समझता हूं, मैं आपसे फिर कहता हूं, आपने जो किया, बहुत किया, अच्छा किया।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो ड्यूटी मुझे उन्होंने अभी-अभी बताई है तो मान्यवर, पहले जो सूची दी थी, वह छोटी थी, थोड़ी बड़ी करवा दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो सूची दी थी, जिन्होंने खोजने की जिम्मेदारी उनकी लगायी थी, अब वह कहते हैं कि परमानेन्ट गायब हो गयी है, इसलिए मान्यवर, मैं इस जिम्मेदारी से इनको वापस लेता हूं। मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जब हम एम0एल0ए0 आपसे बात करते हैं तो कोई अपने लिए नहीं करते हैं, मत करिए लेकिन इतना याद रखिए, आपका एक सपना है, मुख्य मंत्री जी, आपने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को सुन्दर बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, नेता, मुख्यमंत्री के रूप में यह आपके हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, पर नेता सदन के रूप में हम 403 या 404 जो भी हों, सबके नेता आप हैं। आप सबको इसका अधिकार दे दीजिए। अब मान्यवर, छोटी सी बात है, पैसा नहीं लगता, एम0पी0 के पास लाल बत्ती है, दिल्ली के एम0एल0ए0 के पास लाल बत्ती है, हमारे एम0एल0ए0 को अगर आप दे देंगे तो उनका एक मान-सम्मान बढ़ जायेगा, स्वाभाविक रूप से, इसमें क्या दिक्कत है ? इसके बारे में विचार कर लीजिए। एक बीडीओ, नायब तहसीलदार नीली बत्ती लगाकर चलता है, दरोगा नीली बत्ती लगाकर चलता है। आप कर लीजिए, दिल्ली के सारे विधायक करते हैं, एम0पी0 सब यहां करते हैं, हरियाणा में करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ? हिमाचल में करते हैं, आजम साहब, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इगो की बात नहीं है,

कोई बड़ी बात नहीं है। मान्यवर, मैं कह रहा हूं, मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, परिवहन मंत्री रहा हूं, सिर्फ आपको एक संशोधन करना पड़ेगा। आप मंत्रियों को अलग रखना चाहते हैं, उनकी छत पर नचवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक विधायक को यह लगना चाहिए कि हां, विधायक अगर आ रहा है, सड़क पर चल रहा है तो थोड़ा सा फर्क कर दीजिए। याद रखिए जो बात मैं कह रहा हूं, जिस दिन आप यह कर देंगे, कार्यपालिका के ऊपर विधायिका अपने आप अलग से दिखने लगेगी, एक छोटे से प्रयास से। एक सन्देश चला जायेगा कि हम विधायकों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो भी जरूरी है, करेंगे। इस पर आप विचार कर लें, जब चाहें कर लें। मान्यवर, बहुत आभारी हूं, आपका, बहुत देर से इशारे कर रहे थे, मैं इतना ही चाहता हूं, जैसे हमें संसद के अधिकार दीजिए तो यहां काम करने वाले मार्शल, यहां करने वाले अनुवादक, समीक्षा अधिकारी, उनको भी मान्यवर, लगभग वही वेतनमान और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो लोकसभा की हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपकी एक बार फिर प्रशंसा कर दूं, आपमें धैर्य बहुत है, बहुत धैर्य है, मान्यवर, मैं आपके धैर्य की जितनी भी सराहना करूं, कम है, वरना तो इस सदन में स्वामी भाई हों, हम जैसे लोग हों, उस सदन में आप बैठे रहते हैं, मान्यवर, यह बहुत बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष-

अनुप्रिया जी, जल्दी से अपनी बात कह दें क्योंकि सबको 3.00 बजे ट्रेनें पकड़नी हैं।

*श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इस बात की खुशी है लेकिन आप जब भी अवसर देते हैं, टाइम लिमिट पहले मुझे बता देते हैं, जबकि मैं टाइम की पाबन्द हूं, मैं ज्यादा समय कभी लेती भी नहीं हूं। मैं सबसे पहले माननीय नेता सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। क्योंकि जब 2012 के चुनावी नतीजे आये थे मैं पहली बार विधायक बनी थी और जो जानकरी मेरे पास थी कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सदन बहुत कम चलाया गया। मेरे मन भी कहीं न कहीं यह संदेह था कि शायद इस सरकार में भी ऐसा ही हो और घबराहट थी कि हम विधायक तो बन गये हैं लेकिन हमें यह ही पता नहीं चलेगा कि सदन चलता कैसे है सदन में होता क्या है। पुराने जो भी हमारे कई दलों के जो भी नेतागण हैं, विधायकगण हैं उनके लिए सदन के चलने या न चलने का बहुत अर्थ नहीं होता है क्योंकि उनके पास जीवन भर का अनुभव है। सदन की सारी कार्रवाईयों से सारी गतिविधियों से और एक विधायक के रूप में एक नेता के रूप में वह अपने अधिकारों से परिचित हैं। लेकिन एक नये सदस्य के लिए इस बात का बहुत महत्व होता है कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा। माननीय कांग्रेस के नेता श्री तिवारी जी ने कहा कि माननीय नेता सदन की दो जिम्मेदारियां होती हैं एक नेता सदन के रूप में और एक मुख्य मंत्री के रूप में। मैं यही कहूंगी कि आपने नेता सदन के रूप में अपने सबसे बड़े दायित्व का बहुत ही बखूबी ढंग से निर्वहन किया है। इस सदन को आपने चलाया है और मेरे जैसे बहुत से विधायक जो पहली बार चुनकर इस सदन में आये हैं और हम सबको खुशी है और मैं सभी की तरफ से आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने सदन को बहुत लंबे समय तक चलाया और जब पहली बार हम सदन में आये थे तो पहले दिन हम लोग बहुत घबराये हुए थे विशेषकर से मैं बहुत घबरा रही थी मुझे लग रहा था कि पता नहीं सदन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाकर मुझे करना क्या है। इतने सारे लोग बैठे हैं। हम कैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन जब सदन इतने लंबे समय तक चला और हम लोगों को यहां पर बैठने का, सीखने का मौका मिला तो अब उतनी घबराहट नहीं है। हम खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा दौर रहा कि एक ऐसा प्रचलन बन गया कि कोई भी सरकार आती है तो विपक्ष के कार्यों को करना नहीं चाहती है। और मैं समझती हूं कि इससे राजनीति की एक जो सूरत बन गयी थी वह बहुत ही भद्दी और कुरूप बन गयी थी और यह एक प्रक्रिया बनती चली गयी कि हमारी सरकार आयी है तो हम अपने लोगों का काम करेंगे। फिर अगली सरकार आएगी तो वह सोचेगी कि हम अपने लोगों के काम करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार की ओर से हुयी है। मैं यह तो नहीं कहती कि आप पूर्ण रूप से सौ प्रतिशत कार्य विपक्ष के विधायकों के कर देते हैं लेकिन बहुत कुछ आप सुनते हैं बहुत कुछ आप करते हैं और अगर आप इसको बढ़ायेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो एक गलत प्रक्रिया एक गलत प्रचलन की शुरुआत हुयी थी कहीं न कहीं वह प्रचलन टूटने लगेगा और एक स्वस्थ परम्परा की शुरुआत होगी। तो निश्चित रूप से आगे आपकी सरकार आये या किसी और की सरकार आये इस स्वस्थ परम्परा को आगे बढ़ाने में उसकी भी अपनी भूमिका रहेगी। उन्हें यह अहसास जरूर होगा कि जब आपकी सरकार थी तो आपने ऐसा अच्छा काम किया एक स्वस्थ परम्परा का पालन किया। तो इस बात का अहसास करते हुए आगे भी जो भी सरकारें आयेंगी आपकी या हमारी आये या किसी की भी आये इस परम्परा को हम चलायेंगे और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक शक्ल है वह निश्चित रूप से बदलेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपको भी बधायी देना चाहती हूं आपके धैर्य की प्रशंसा और सराहना आज कई मा0 सदस्यों ने की है। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह स्मरण है और आपको भी होगी और मैं समझती हूं कि आज जितने भी हमारे मा0 सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं मीडिया के सदस्य बैठे हुए हैं।

सभी को ध्यान होगा कि 6-7-8 जनवरी को जब हम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की उत्तरशती रजत जयंती का समारोह का आयोजन कर रहे थे मैं आपसे सबेरे आपके कक्ष में मिली थी और जब मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप दो मिनट ही सही मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। मा0 तिवारी जी ने भी आपसे कहा था कि कम से कम एक महिला को आप बोलने का मौका दें। और यह भावना भी बहुत सशक्त रूप से मेरे मन में थी कि सदन में जब भी कोई खास मौका होता है तो किसी भी महिला को बोलने का अवसर कभी मिलता ही नहीं है और आपने उस वक्त मुझे आश्वासन दिया था कि आप मुझे दो मिनट का समय देंगे और आप नहीं दे पाये थे जो भी कारण रहा हो, समय की कमी थी लेकिन आपने इतने बड़े सदन में खड़े होकर क्षमा याचना की थी जिसे देखकर मैं चकित रह गयी थी कि आप अध्यक्ष की पीठ पर बैठे हैं और आप एक नयी सदस्य को जिसे कोई अनुभव नहीं है। जिसे समय मिलना शायद इतना जरूरी भी न हो और आप इतने बड़े सदन में मीडिया के सामने सारे सदस्यों के सामने खड़े होकर क्षमा याचना कर रहे हैं। यह बड़प्पन उसकी जितनी सराहना की जाये अध्यक्ष जी उतनी कम है और मैं समझती हूं कि जितने भी युवा सदस्य हैं हम सब लोगों को आपसे सीखने की जरूरत है। क्योंकि बड़प्पन एक ऐसा गुण है जो बहुत कम लोगों में मिलता है और बड़प्पन हमें महान बनाता है और निश्चित रूप से हम आपका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे सीखने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर भी इतनी शक्ति दे कि हम यह बड़प्पन अपने अंदर ला सकें। लचीला होना और बड़प्पन रखना जिन्दगी में ग्रो करने में, आगे बढ़ने में

सदैव सहायक होता है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आप बहुत क्रोधित नहीं होते हैं, हम लोग बहुत हंगामा करते हैं, मैं तो नहीं करती हूं, लेकिन बहुत से सदस्य करते हैं और वेल में कूदने की जो सबकी एक प्रक्रिया बन गई है कि छोटी-छोटी बातों पर भी लोग वेल में आकर हंगामेबाजी करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और आप उस पर विचलित नहीं होते हैं।

मैं देखती हूं आप ऐसे ही बैठे रहते हैं और आप कहते हैं कि हां बैठ जाइये और कितना भी हंगामा हो जाता है, आप कभी विचलित नहीं होते हैं, तो ये निश्चितरूप से हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाता है कि इतना धैर्य जीवन में हमें सीखने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष के विभिन्न दलों के नेता प्रतिपक्ष जी का माननीय सभी नेतागण का मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं, आपने अपने वक्तव्यों में, अपने जीवन के जिन अनुभवों को इस सदन में रखा है, उससे हमारे जैसे नए सदस्यों को बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सभी सदस्यों का पुनः अभिवादन करती हूं, इस सदन में रहने का अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही बेहतरीन रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से सदन सुचारु रूप से चलेगा और नए सदस्यों को और विपक्ष के सदस्यों को सभी को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक अन्तिम बात जरूर कहना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष जी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेण्ट्री एसोसियेशन इण्डिया रीजन का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में पार्लियामेण्ट्री संसदीय शोध में एक सेमीनार दो दिवसीय आयोजित हुआ था। उसके लिए आपने मुझे नामित भी किया था, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं और हमारे मा0 राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी बैठे हुए हैं, उन्होंनें भी विशेषरूप से जब मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी तो आपने मुझे विशेष रूप से बुलाकर कहा था कि नहीं आप जाइये, बहुत अच्छा अवसर है, आपको सीखने को मिलेगा और मैं समझती हूं कि आपका निर्णय बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं दो दिन वहां पर रही और पूरे देश के हर प्रदेश के विधान मण्डल से दो-दो महिला सदस्य वहां पर आई थीं और जिस तरीके की वहां पर चर्चा हुई जो डिस्कसन हुआ, वह बहुत ही बेहतरीन था, हम लोगों के लिए और आगे भी मैं समझती हूं कि मेरे साथ अन्य महिलाओं को भी इसी प्रकार के अवसर मिलते रहेंगे। मैं सभी महिलाओं के लिए आपसे गुजारिश करती हूं कि हमारी सभी महिला सदस्यों को ये मौके मिलें और अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो इस सदन में शायद कभी नहीं मनाया गया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि महिला सदस्यों के लिए हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, उत्तर प्रदेश के सदन में जरूर मनाया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त कर के अपनी बात को समाप्त करती हूं, नमो-नारायण ।

*श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पिछले पांच टर्म से एम0एल0ए0 हूं बराबर, चला आ रहा हूं, मैंने अपने पीरियड में एक मुख्य मंत्री की इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी जितनी मैंने इस मर्तबा के मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी की सारे विपक्ष और पक्ष की तरफ से सुनीं। सबकी बातें आ गईं, एक बात रह गई मान्यवर, हमारे सदन के एक सदस्य ऐसे हैं जो हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं और वह इस मर्तबा की बैठक में, आधी बैठकों में वह भाग नहीं ले पाये, क्योंकि वह बीमार हैं, मेरी मुराद है वकार अहमद शाह के प्रति, वह बीमार हैं बहुत ज्यादा बीमार हैं और जिन्दगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने सभी मेम्बरान से यह अनुरोध करूंगा, उनके लम्बे जीवन के लिए, उनके लिए कामना करें ताकि वह हमारे बीच में रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आपको इसे संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कहना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे साथी ने जो बात रखी है, आपको याद होगा, प्रमोद तिवारी जी भी तशरीफ रखे थे, आपके चैम्बर में और मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम अपने एक ऐसे कीमती साथी के लिए, सभी से कहें कि वह अपने धर्म, अपनी आस्था के ऐतबार से अपने मालिक से दुआ करें, लेकिन उस वक्त यह बात आई कि कहीं इस बात को अन्यथा न ले लिया जाय और कोई यह न समझ बैठे कि ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और संदेश देना चाहते हैं, इसलिए मैंने उस बात को सदन में नहीं रखा था। अब चूंकि बात आ ही गई है, तो ठीक हैं, प्रोग्रेस है उनकी सेहत में, पहले से बेहतर हैं, वाकई बेहतर हैं यह कोई ऐसी राजनैतिक सूचना नहीं है, जो दी जा रही है और उनकी सेहत की तो जो बात है तो जिन्दगी एक बुलबुला है, न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाय। अभी कहा था आपने कि ऊपर चले जांय तो मैंने कहा था कि हम तो तैयार हैं, हालांकि प्रमोद तिवारी जी ने टाल दिया ऊपर जाने को। मान्यवर, एक लम्बे अर्से से इस सदन में रहने का मुझे श्रेय हासिल है, हमारे बहुत कम साथी हैं, जो हमारे उन दिनों के भी साथी हैं, छात्र जीवन से ही संघर्ष रहा व्यक्तिगत जीवन संघर्ष में गुज़रा, पारिवारिक जीवन संघर्ष में गुज़रा और हम एक ऐसी रियासत के क़मनसीब लोग हैं, जहां ऐतिहासिक संघर्ष भी रहा है और उस संघर्ष में मेरे जैसा एक आम ज़िन्दगी का आदमी यहां तक पहुंच सका, इसे मैं बार बार कहता हूं कि ये लोकतंत्र की ही देन है। सामन्तशाही से, राजशाही से, अंग्रेज़शाही से, मुगलशाही से और न जाने कितनी शहंशाहियतों से दबा हुआ हिन्दुस्तान और उनके पैरों तले रौंदा हुआ हिन्दुस्तान आज़ाद है और यहां रहने वाले सभी लोग एक अच्छे एहसास के साथ जीते हैं। मान्यवर, इस सदन में आपकी हैसियत हम सब से ऊपर सिर्फ़ कुर्सी के ऐतबार से नहीं है बल्कि आपका आचरण और जो बहुत अच्छा शब्द कहा है प्रमोद तिवारी जी ने कि एक मां जैसा प्यार, हमारे यहां भी कहते हैं, आपके यहां भी कहते हैं कि मां के पैरों के नीचे ज़न्नत होती है। जो लोग आपका मन से आदर करते हैं, वो आपके एक अच्छे बच्चे हैं, अच्छी औलाद हैं लेकिन जो आपका मन से आदर नहीं करते वो क़मनसीब हैं, उन्हें भी आज के माहौल से सीख मिलनी चाहिये और आप जैसे व्यक्ति से, जिससे पूरा सदन सीखता है, सबको सीखना चाहिये। नेता सदन नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी कोशिश में नाकाम रहा हूं कि मैं उनके नाम से पहले इंजीनियर का लब्ज़ लगाता रहूं लेकिन नेता सदन ने न जाने क्यों मेरे शहर रामपुर में, मेरे ज़िले में जो उद्घाटन किये, शिलान्यास किये, शायद मेरे ज़िद की वज़ह से उन्होंने वहां से तो इंजीनियर का

शब्द नहीं हटाया लेकिन और जगह लगने भी नहीं दिया। ये हमारे लिये, सबके लिये बहुत फ़क्र की बात है, गर्व की बात है कि हम लोकनायक के बेटे, जननायक के बेटे, रफ़ीक़-उल-मुल्क़ के बेटे और एक ऐसे ज़मीन से जुड़े हुये व्यक्ति के बेटे के साथ काम कर रहे हैं। यक़ीनन हमारे तजुर्बे हैं लेकिन उन नये तजुर्बों में, उन पुराने तजुर्बों में आने वाले हिन्दुस्तान की जो झलक मिलती है, उससे हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक नये इतिहास की तरफ़ बढ़ेगा।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

मैंने बड़ा दर्द महसूस किया है, हमारे यहां ज़मज़म, ज़मज़म अरबी का लब्ज़ है और इसका मतलब है थमथम, रुक जा। हमारी धार्मिक आस्था के ऐतबार से एक मां ने अपनी गोद के मासूम पैदा हुआ बच्चे को, जो प्यासा था, रेगिस्तान की जमीन पर छोड़कर पानी की तलाश में चली गईं और जब पानी नहीं मिला और बच्चे के पास लौटीं तो देखा कि जो वो पैर रगड़ रहा था ज़मीन से, वहां से चश्मा फूट पड़ा, वह चश्मा आज भी है। पूरे गल्फ में ऐसा पानी नहीं है और एक ही जगह से मीठा पानी निकलता है। बाकी या तो पानी है नहीं या समन्दर का कड़वा पानी है। वो ज़मज़म हमारे लिये बहुत अहमियत रखता है, उसे हाजी साहबान लेकर आते हैं और तक़सीम होता है और ज़मज़म वो अकेला पानी है। पानी के बारे में कहते ये हैं कि अपने मां बाप से मांगो। इतना पुण्य का काम है। कोई भी काम मां बाप से कहने के लिये किसी का धर्म इजाज़त नहीं देता लेकिन इस्लाम में कहा गया है कि पानी मां बाप से मांगो यानि पानी को बचाना, पानी को पाक़ रखना, पानी की अहमियत को समझना, ये इतना पवित्र है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो पानी ज़मज़म का हो, वो गंगा का हो, वो जमुना का हो, पानी पानी है और ज़मज़म बहुत अहमियत का है क्योंकि वो चश्मा बहुत ताकत के साथ फूट पड़ा तो उस वक़्त मां ने दुआ की थी इसके थम जाने की कि आहिस्ता से निकले ये। उस पानी का एक ड्रम हम लाकर यहां रखें, गंगा जल रखें, जमुना का जल रखें और उसमें दो बूंद या एक बूंद पेशाब की डाल दें तो सारा ड्रम पेशाब हो जायेगा, पवित्र पानी नहीं रहेगा। चाहे वो ज़मज़म ही क्यों न हो मान्यवर, बुराई में बड़ी ताकत है। तमाम जिन्दगी की अच्छाईयों को एक बुराई फ़नाह कर देती है। हमारी सरकार में विकास के बहुत काम हुए, लेकिन हमें तकलीफ है इसकी और इस बात की तलाश रहेगी कि आखिर वह ऐसी कौन-सी वजूहात हुईं कि हमारे ज़मज़म में और गंगा जल में कुछ ऐसी बूंदें डाल दी गईं या डल गईं, जिसने हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश की है, उसे तलाश करेंगे, मान्यवर। एक चीज जो रह गई है उसे भी मैं कहूंगा, मेरी जिंदगी में दोहरापन नहीं है, मैं जो दिल से हूं, वही जुबान से हूं और मुझे भी याद नहीं रहता कि मैंने कौन-सी बात कड़वाहट की कह दी है, लेकिन मेरा दिल मलामत करता है, अक्सर अहसास होता है कि मैं उन लोगों से माफी नहीं मांगता, लेकिन मैं अपने पैदा करने वाले से इतना डरता हूं कि मैं उससे माफी जरूर मांग लेता हूं और शायद मेरे अभी तक यहां तक पहुंचने की यही वजह भी रही है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, आप जैसी एक सादी जिदंगी का आदमी हूं, लेकिन जहां तक मैं आया हूं, अपनी मेहनत, नेकनीयती और ईमानदारी से आया हूं और जब भी कोई मेरे ऊपर अंगुली उठती है, तो मैं समझता हूं कि यह मेरे किसी गुनाह का अमल है। मौर्या जी, मैं आपसे आज के दिन अपनी उन तमाम कडुवाहटों के लिए माफी चाहता हूं। जो आपके दिल में हैं (मेजों की थपथपाहट), लेकिन यह भी सच है कि जब हम यहां से लड़कर, अध्यक्ष जी के कमरे में जाते हैं, तो हमारे ज़हन में यहां

का माहौल नहीं होता। हमें आपकी प्रतिबद्धताएं भी मालूम हैं और आपको हमारी जिम्मेदारियां भी मालूम हैं, न आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, न हम अपना रास्ता बदल सकते हैं और यही जम्हूरियत की शान भी है। हुकुम सिंह जी, मैं भारतीय जनता पार्टी पर चोट नहीं कर रहा हूं, अपनी विचारधारा है, अपनी पहचान है आपकी, लेकिन उस सबके बावजूद भी मैंने एक बार नेता जी से कहा था नेता जी आप मुसलमान क्यों नहीं है ? तो मुझसे उन्होंने कहा कि मैं हूं तो। उनकी वो मोहब्बत का अहसास मुझे आज भी याद है, लेकिन मैंने जवाबन कहा था कि हो न जाइयेगा, क्योंकि अगर आप मुसलमान हो जाएंगे तो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट) आप हिन्दू रहें, सेकुलर रहें और हम जैसे कमजोर लोगों के काम आते रहें। हुकुम सिंह जी को मैं, वे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि हुकुम सिंह जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप समाजवादी हो जाइये (सदन में हंसी)। ये मैं भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे ख्याल से यह उनके लिए एक अच्छी-सी बात है कि मैं उनके एक सदस्य के लिए ऐसा अहसास रखता हूं, महाना जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारी बहन साध्वी जी हैं और दोनों बहनें हमारी बहुत प्यारी-सी हैं, बहुत अच्छी हैं। लोग शक्ल से ही प्यारे नहीं होते, दौलत से ही प्यारे नहीं होते, उनका प्यार उनके आचरण में, उनके चरित्र में, उनके मिलने में, उनके जुलने में, उनके काम करने के तरीकों में होता है।

हमारे यहां एक हजरते बिलाल होते थे, प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ, उनके इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, हब्शी थे, बहुत स्याह थे, बहुत काले थे, बदशक्ल थे, लेकिन उन्हें हुक्म हुआ था कि वे अज़ान न दें। जो फज्र की अज़ान होती है, अज़ान कोई धार्मिक ऐलान नहीं है, बल्कि एक पुकार है कि आओ अपने मालिक के आगे सज़दा करो, इबादत करो, पूजा करो, उसे याद करो एक मौका ऐसा भी आया कि हजरते बिलाल को अज़ान देने की इजाजत रोक दी गई। हमारी धार्मिक आस्था यह है कि वह काला शख्स, वह बदशक्ल शख्स, अरब और रेगिस्तान की गलियों में पैदा हुआ शख्स, उसने अज़ान नहीं दी, तो सूरज नहीं निकला था। तो शक्ल कुछ नहीं देती, आपका अपना आचरण, आपका चरित्र, आपका रख-रखाव ही आपका हुस्न कहलाएगा। बहुत अच्छे तजर्बे हैं, कांग्रेस में तिवारी जी हैं, हमारे माथुर साहब हैं और हमारे बहुत अच्छे साथी, सर पर बाल कम हो गए, इसलिए दाढ़ी रख ली है, अनुग्रह नारायण सिंह जी है और दूसरे साथी हैं, अखिलेश जी है, हमारी बहन रीता बहुगुणा जी हैं, और इन सबसे हट कर एक साहब जिनकी मैं बगैर रिश्वत के तारीफ करता हूं मुख्य मंत्री जी से उनका नाम है दलवीर सिंह जी। मान्यवर, विधान सभा का इतिहास आपको याद रखेगा। आापका दल बड़ा नहीं है यह अलग बात है लेकिन आप एक बहुत बड़े दल और एक बहुत बड़े नेता को मानने वालों में से हैं आप और वह जिन्दा होते, वह सामने सरे मंजिल चिराग जलते हैं, चौधरी साहब नहीं हैं इसलिए कह रहा हूं, वह सामने सरे मंजिल चिराग जलते हैं जवाब पांव न देते तो मैं कहां होता।

हमारे यहां जो महिलायें हैं उनका भी आचरण बहुत सुन्दर रहा है। हमारे पक्ष के साथियों ने बहुत साथ दिया है और जब कभी मौर्या जी ने तंग किया है तो ज्यादा साथ दिया है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद और खासतौर से मुख्य मंत्री जी का जिनसे अभी मैं कह रहा था आप समझते है कि अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि दांये बांये वालों का संज्ञान न लें

अच्छी राय देने की कोशिश करते हैं यूं कि बुराई करेंगे तो कहां जायेंगे आपके पत्थरों से जख्मी हो जायेंगे। तो मैं तो इनकी सहनशीलता और इनकी बर्दाश्त को भी दाद देता हूं। मैं कह रहा था आपसे कि आप सबसे कहते हैं कि हम सबसे मिलेंगे आ जाओ पांच बजे कल आ जाओ पांच बजे तो क्या मिल लेते हैं। तो बोले हां सबसे मिल लेता हूं मैंने कहा इतना वक्त कहां से आता है। बोले कि कभी कभी असल में जो लोग डेढ़-डेढ़ दो-दो घंटे तक बैठे रहते हैं उनसे जरा उलझन होती है। तो यह एक शिकायत है नेता की जो संसदीय कार्य मंत्री ने सुनी है। अपने उन साथियों से जो दो मिनट का वक्त मिलने का लेकर जाते हैं और दो घंटे तक जान नहीं छोड़ते हैं उनसे दरख्वास्त है दूसरे साथियों का ख्याल रखें सबकी तारीफ हुई। लेकिन हमारे पाण्डेय जी की किसी ने तारीफ नहीं की। वह एक बहुत बड़ी कमी रह गयी कि राजाराम पाण्डेय जी ने जो सुन्दरता का एक मापदण्ड तय किया है मेजों की थपथपाहट। कुछ तो होते हैं मुहब्बत में जुनूं के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते है। यह कितनी अच्छी बात है तारीख का पहिया कभी रुकता नहीं है इतिहास कहीं थमता नहीं है और इस पहिये में अगर कहीं कोई दाग है तो वह आगे बढ़ जायेगा। वह दाग रुका नहीं रह जायेगा। इस सदन ने जम्हूरियत के उतार चढ़ाव के बहुत से दौर देखें हैं। लेकिन आज जो माहौल इस सदन ने देखा है वह यादगार रहेगा और इस यादगार का सारा श्रेय नेता सदन को जाता है मेजों की थपथपाहट। क्योंकि एक हैसियत तो मुख्य मंत्री की है। पार्टी के नेता की है और जो सबसे बड़ी हैसियत है वह नेता सदन की है और एक ऐसा नेता जो इस सदन में बैठे हुए 403-404 सदस्यों का नेता है और यह उनकी अख्लाकी जिम्मेदारी है और हो सकता है यह राजनीतिक जिम्मेदारी न हो, हो सकता है यह उनके पद की जिम्मेदारी भी न हो लेकिन अख्लाकी जिम्मेदारी भी है कि अगर किसी मा0 सदस्य के वकार के उपर कोई बात आती है उसके सम्मान के खिलाफ कोई बात आती है तो नेता सदन को उसी तरह उनके साथ खड़ा रहना चाहिये जिस तरह वह अपने पिता या अपने बेटे के साथ खड़े होते और इस बात का ख्याल रखा गया है पूरे साल इस बात का ख्याल रखा गया है कि किसी भी माननीय सदस्य के सम्मान के खिलाफ अगर कोई बात हुई है तो उसमें नेता सदन के जज्बात पूरी तरह उनके साथ रहे हैं। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हों पचास हजार। मेजों की थपथपाहट। इसी के साथ एक बार फिर मैं अध्यक्ष जी आपका क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जैसे हमारी बहन ने कहा कि आपने उनसे माफी चाही बहुत बढ़ गया कद आपका। जो लोग यह समझते हैं कि हम कहीं कोताही करें या किसी को नजरअंदाज करें और फिर उसे बेइज्जत और जलील करें तो दरअसल जिसके बारे में वह सोचते हैं वह जलील नहीं होता जलील वह खुद होते हैं जो दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं। आपने जो भाव रखा उसको बहुत सम्मान। मैं यहां बहुत सी फाइलें करता हूं पिछली बार आप नाराज हो गये थे और मैं भी नाराज होकर चला गया था। मगर उसके बाद आपने मुझे कभी फाइलें करने से नहीं टोका है। मैं उसके लिए आपका अलग से आभार व्यक्त करता हूं मेजों की थपथपाहट। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम तो चाहते यह हैं कि सरकार किसी की बनें पार्टी कोई हो लेकिन उस कुर्सी पर माता प्रसाद ही बैठें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेजों की थपथपाहट।

श्री अध्यक्ष-

समय बहुत हो गया है हमारे बहुत साथियों को ट्रेन पकड़ना होगा इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं, परम आदरणीय मुख्य मंत्री जी, सम्मानित नेता विरोधी दल, आदरणीय नेता भारतीय जनता पार्टी...

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक चीज रह गयी उसकी मुबारकबाद में माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से नेता सदन की तरफ से खुद अपनी तरफ से सदन को, प्रदेशवासियों को और पूरे देश में रहने वाले उन लोगों को भी देना चाहूंगा जिन्होंने एक बावकार महाकुम्भ में उसको कराने में, उसमें शामिल होने में पूरे राष्ट्र का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। दुनिया का यह सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक परम्परा है यह और एकजा होते हैं करोड़ों लोग। लगभग साढ़े तीन करोड़ स्नान करने के लिए लोग उत्तर प्रदेश आये और वह चिट्ठी है यहां जो हावर्ड यूनिवर्सिटी से आई है। वहां की एक टीम आई थी हावर्ड से जो बधाई देकर गयी है, मुख्य मंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल कयास के बाहर है कि इतनी बड़ी यह अलग बात कि एक अनहोनी हो गयी लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और इतनी शांति से यह सब कुछ हो गया उस पर उनके यहां शोध चल रहा है, रिसर्च टापिक दिया है उन्होंने, मुबारकबाद की चिट्ठी मुख्य मंत्री जी को आई है और यह भी सदन के लिए गर्व की बात होना चाहिए कि हावर्ड यूनिवर्सिटी से मुख्य मंत्री जी को और हमें दोनों को बुलावा है कि हम वहां आयें और बतलायें कि हमने इतना कामयाब पर्व कैसे किया है। मैं मुख्य मंत्री जी को इस ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय कामयाबी के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा।

हावर्ड यूनिवर्सिटी आफ द कुम्भ मेला, विद इमेंजिंग इंडिया, वी इनवाइट यू टू ज्वाइन अवर पैनल टू डिसकस द रोल यू एण्ड द स्टेट गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश प्लेड इन द सक्सेसफुल कोर्डीनेशन आफ द 2013 महाकुम्भ मेला।

यानि 2013 का महाकुम्भ मेला जिस कामयाबी से आपने सम्पन्न कराया है हम उसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं और हारवर्ड यूनिवर्सिटी बुलाने की आपको दावत देते हैं और यह दावत सरकारी खर्च पर नहीं, उनके खर्च पर है। अपने खर्च पर वह बुला रहे हैं इसके लिए भी मैं सदन के सहयोग उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से, अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से प्रदेशवासियों और देशवासियों को देना चाहता हूं और चाहता हूं मान्यवर कि यही हमारी शान है और यह शान बनी रहे। हम दो पहिये हैं और हमारी मोहब्बतें बनीं रहें। होली का पर्व आया है रंगों का पर्व है मैं सभी विधायक भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि बस इस रंग में रंग ही रहे, रंग में भंग न हो। हम सब कोशिश करेंगे तो प्रदेश भी बनेगा और देश भी बनेगा और जो लोग हमारे रिश्तों को खराब करना चाहते हैं वह खराब नहीं होंगे और हम सब मिलकर 120 करोड़ के हिन्दोस्तान को बहुत आगे तक ले जाने में कामयाब होंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी, सम्मानित नेता विरोधी दल, आदरणीय नेता भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नेता कांग्रेस, आदरणीय नेता लोकदल, सम्मानित और मेरे वरिष्ठ साथी प्रमोद तिवारी जी, अनुप्रिया जी, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं अपनी तरफ से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जिस ढंग से इस विधान सभा को संचालित करने में आप सबने सहयोग दिया उसके लिए मैं अपनी तरफ से फिर एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विधान सभा, यह विधान सभा में जनता की

समस्याओं का प्रतिबिम्ब यहां उभरता है और उसके माध्यम से जनसमस्याओं का निदान भी सत्ता में बैठे लोगों को करना होता है। यह सही है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका में बहुत सी ऐसी बातें भी रखी होंगी जिससे हमारे और आपके बीच में कभी न कभी कडुवाहट आ जाती होगी लेकिन उसका उद्देश्य यह नहीं है, कि कडुवाहट पैदा करना बल्कि जन समस्याओं के निदान की अपेक्षा करना है। बहुत दिनों के बाद यह विधान सभा इतने शान्तिपूर्ण ढंग से चली, मुझे भी यहां बहुत लम्बे समय से आने का अवसर मिला है लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि पूरे सत्र में प्रतिदिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कम से कम दो घन्टे, तीन घन्टे अवश्य बैठे हैं, जब यहां मंत्रि-मंडल के सदस्य नहीं रहे हैं, तब भी वह यहां बैठकर माननीय सदस्यों का उत्साहवर्धन करते रहे। यह भी एक परिपाटी शुरू हुयी जो पहले बंद हो गयी थी, कि कोई भी माननीय विधायक माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आये, अपना कागज दे, मेरे लिये तो समस्या पैदा हो जाती थी, लेकिन मैं इसलिये बहुत ज्यादा छेड़ता नहीं था कि इन विधायकों को मिलने में कहीं कठिनाई न हो, इसलिये अपनी-अपनी बात यह कह लें, इसलिये इस भावना से विधान सभा के संचालन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सहयोग दिया, मैं उनके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस बार के सत्र में कुल 23 उपवेशन हुये तथा यह 152 घंटा 45 मिनट तक चला है, जिसमें 4 घंटा 29 मिनट तक विधान सभा अवरोधित रही, इस प्रकार 148 घंटा 16 मिनट यह चला। इसमें हम अगर पूरा बतायेंगे तो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर हुयी 4 दिनों की चर्चा में कुल 87 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इसी प्रकार आय-व्ययक पर हुयी 5 दिवसीय चर्चा में मंत्रिगण सहित कुल 57 सदस्यों ने भाग लिया। आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों की मांगों पर मंत्रिगण सहित कुल 405 सदस्यों ने चर्चा में अपनी भागीदारी की।

इस सत्र में कुल 570 अल्पसूचित तारांकित प्रश्न प्राप्त हुये जिसमें से 05 अल्पसूचित तारांकित, 44 तारांकित तथा 340 अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार हुये तथा 181 प्रश्न अस्वीकृत हुये। तारांकित प्रश्न 2040 प्राप्त हुये, जिसमें से 151 तारांकित, 1109 अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार हुये तथा 780 प्रश्न अस्वीकृत हुये।

कुल 1480 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुये जिसमें से 1039 प्रश्न स्वीकृत हुये तथा 441 प्रश्न अस्वीकृत हुये। वर्तमान सत्र में सदन में कुल 02 अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, 107 तारांकित प्रश्न तथा 1742 अतारांकित प्रश्न उत्तरित हुये।

वर्तमान सत्र में नियम-51 के अन्तर्गत कुल 1201 सूचनाएं प्राप्त हुयी जिसमें से 85 पर वक्तव्य, 99 पर केवल वक्तव्य तथा 261 पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। इस प्रकार 756 सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। इस सत्र में नियम-56 के अन्तर्गत कुल 337 कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुयीं जिसमें से 166 को ग्राह्यता पर सुनने हेतु चयनित किया गया, 04 पर चर्चा, 06 पर वक्तव्य तथा 59 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया शेष 171 सूचनायें अस्वीकार हुयीं।

नियम-301 के अन्तर्गत कुल 719 सूचनाएं प्राप्त हुयी जिसमें 438 सूचनाएं स्वीकार हुयी तथा 281 सूचनाएं अस्वीकार हुयी। नियम-300 में कुल 88 सूचनाएं प्राप्त हुयीं जिसमें से 03 सूचनाओं को दलीय नेताओं की बैठक में विचार-विमर्श हेतु निर्देशित किया गया। 08 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सभी सूचनाओं को अग्राह्य किया गया। नियम-311 के अन्तर्गत

कुल 3 सूचनायें प्राप्त हुयीं और सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। नियम-52 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त समस्त सूचनाओं को अग्राह्य किया गया, जिसमें 02 सूचनायें नियम-52 में परिवर्तित की गयी, जिन पर डेढ़-डेढ़ घन्टे चर्चा हुयी ।

इस सत्र में कुल 7 विधेयक पुरःस्थापित हुये, विचारित किये गये एवं पारित किये गये और 01 विधेयक वापस लिया गया तथा 05 विधेयक पुनः पारित किये गये। यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि यह जो आपका 148 घंटा था, इसमें बहुत बड़ा काम निपटा है, मैनें पिछले सत्रों को भी देखा है, इतना बड़ा काम अभी तक इस विधान सभा से पहले नहीं हुआ था। मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मैंने वह दिन भी देखा है जब बजट पर चर्चा हो या अन्य किसी विषय पर चर्चा हो तो कोरम का अभाव हो जाता था और कोरम के अभाव का प्रश्न उठाकर सत्ताधारी दल उसे बंद करा देता था। यहां पहली बार मैनें देखा है कि सदस्य चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, कभी कोरम का अभाव नहीं हुआ और हर व्यक्ति, हर विषय पर बोलने के लिये उत्साहित रहा है, उसमें उमंग रही है इसलिये मैं इन सभी माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, यह एक इतिहास बना है। आप जो चौराहे पर भाषण देते हो वह इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाता, लेकिन जो आप यहां बोलते हो, वह इतिहास के पन्नों में रहेगा। 1936 से लेकर आज तक जब यह काउन्सिल थी तबसे जो यहां बोला गया वह इतिहास के रूप में लिखा गया है। जो भी आप यहां कहते हैं वह एक-एक वाक्य अंकित हो जाता है। और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका इसमें इतिहास छिपा रहता है। माननीय सदस्यगण अब जब आएं तो आप अच्छी तरह से खूब तैयार होकर आएं। हालांकि सब तैयार होकर आए। उन्होंने अच्छी बातें रखीं मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आने वाला सत्र इससे बढ़िया, इससे अच्छा प्रगति और सकारात्मक भावों से भरपूर हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको फिर होली की मुबारकवाद देता हूं और इस उल्लास के साथ आप जाएं और अपने आचरण को भी हम इस तरह से प्रदर्शित करें जिससे जनता के बीच एक संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश की एसेम्बली के सदस्य इस तरह का आचरण रखते हैं। आपके आचरण से विधान सभा का सम्मान बढ़ेगा। विधान सभा के सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने आचरण को इस तरह से प्रदर्शित करें जिससे लोग यह कह सकें कि उत्तर प्रदेश एसेम्बली के विधायक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं राजेन्द्र राणा साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं। कभी कभी मेरे लिए कठिनाई हो जाती थी लेकिन मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं यहां बहुत सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है। विधान सभा के संचालन में कितनी कठिनाई होती है हर माननीय सदस्य को एडजस्ट करना रहता है तो कभी किसी को रोकना पड़ता है। किसी को आगे बढ़ाना पड़ता है। हमारे यहां भदौरिया जी बैठे हैं और बंशी पहाड़िया जी बैठे हैं यह दोनों आपके मनोविनोद के साधन रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनकी कार्य प्रणाली की सराहना करता हूं कि अपना काम कराने के लिए कहां-कहां घुसकर अपना कागज लेकर जाते थे। एक बार मैं पुनः माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल सभी माननीय दलीय नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[02.25] सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[02.26] राष्ट्र-गान

जन-गण मन अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तव जय गाथा ।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत -भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 27 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 22 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 116 विधान सभा (233)-25-09-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।